राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का तृतीय दिवस [संख्या 3

बुधवार, दिनांक 4 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, स्वायत्त शासन, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, नगर विकास न्यास, जन स्वास्थ्य, सैनिक कल्याण, उद्योग विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न

श्री रघुनाथ विश्नोई :

रानीवाड़ा में हत्या का मामला

22. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 9-7-70 को रानीवाड़ा में विकास अधिकारी पंचायत समिति रानीवाड़ा के निवास स्थान के मुहल्ले में श्री भेकाराम, केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के अध्यक्ष की अल्सी सुबह हत्या कर दी गई ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि कत्ल होते ही तुरन्त पुलिस थाना रानीवाड़ा में सूचना देने के बावजूद भी पुलिस थाना रानीवाड़ा में मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो क्या क्या कदम उठाए ?

(3) क्या इस पुलिस की गफलत के कारणों की जांच की गई है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(4) क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई है ? अगर हां, तो क्या ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सत्य है कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट सांचोर व भीनमाल द्वारा उपरोक्त मुकदमें के पेश होते ही जमानतें हो गई एवं मुलजिमान का पुलिस रिमान्ड भी नहीं मिला ? अगर हां, तो क्यों ? उन हुक्मों की निगरानी या अपील सेशन्स अदालत में कब पेश की गई ? इतनी देरी से निगरानी या अपील पेश होने के क्या कारण है ? इसमें किसकी गलती रही है ? उस गलती के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहेगी ?

(6) उपरोक्त मुकदमें का मुख्य अभियुक्त पुलिस द्वारा अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है व कब तक गिरफ्तार कर लिया जावेगा ?

(7) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त संगीन जुर्म की छानबीन में पुलिस द्वारा बहुत गफलत बरती गई है ? अगर हां, तो क्यों ? इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहेगी ?

Page No 2

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना प्राप्त नहीं है, इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे···

श्री उपाध्यक्ष : इसकी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : कब लिया जायेगा ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : इसी सेशन में आना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस केस के मुलजिमान जैसलमेर····

श्री विजयसिंह : जिस प्रकार से यह मर्डर हुआ है और तफतीश हो रही है और जिस प्रकार से इसको पोलीटिकल कलर दिया जा रहा है·····

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पोलीटिकल कलर तो आप दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह : मैं दे रहा हूं या आप दे रहे हैं ? मुलजिम क्योंकि राजपूत है तो आप राजनैतिक कलर दे रहे हैं और फिर पोलीटिकल कलर की बात करते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो पोली-टिकल है ही। कलर की क्या बात है ? यू नो आफ दी फैक्ट्स। कलर क्या होता है ? दिस इज ए फैक्ट एंड यू नो देट दिस इज ए फैक्ट।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री बालसिंह सोढा : यह आपने शुरू किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने खड़े होकर कहा है।

श्री बालसिंह सोढा : आपने कहा है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : दिस डोज युवर मेरोनेस।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दिस इज माट सो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढा : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पुलिस पर उन्होंने एलीगेशन्स लगाई हैं······

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये जातिवाद फैला रहे हैं। अगर उनके अन्दर यह भावना नहीं होती तो यह विवाद ही नहीं होता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने ही कलर दिया है और जिस ढंग से यह कत्ल हुआ है, क्या आप नहीं मानते···

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

Page No 3

श्री विजयसिंह : मर्डर किसने किया है, यह तो मालूम हो जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या मालूम हो जायेगा? इसका मतलब आपको मुलजिम मालूम है।

श्री विजयसिंह : मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! अगला प्रश्न।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह नहीं चलेगा।

श्री विजयसिंह : नहीं चलेगा। राजपूत और विश्नोई का सवाल ला रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कैसे कहा कि पोलीटिकल कलर दे रहे हैं।

श्री विजयसिंह : किसने कहा था?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यू सैड लाइक दिस।

श्री विजयसिंह : यह फैक्ट्स के आधार पर निर्णीत होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह से हुल्लड़बाजी से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बालसिंह सोढा : पोइंट आफ आर्डर सर। मेरा पोइंट आफ आर्डर यह है कि, जो प्रश्न पोस्टपोन किया गया है वह अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि उपाध्यक्ष महोदय यह निश्चित कर दिया जाये कि किस तारीख को यह लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र जवाब दे यह कहा जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप से ज्यादा हमें व्यग्रता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य,

श्री पृथ्वी सिंह (शास्त्री) : सदन यह चाहता है कि इसका जवाब जल्दी से जल्दी मिल जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, जल्दी दिया जायेगा।

श्री विजयसिंह : मर्डर राजपूत का हुआ हो या विश्नोई का, यह खेद पूर्ण है लेकिन तफतीश में अगर पुलिस बदमाशी करती है तो मैं चाहता हूं कि वह नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामचन्द्र वैद।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस ढंग से आप चिल्ला रहे हैं वह गलत है। मर्डर बहुत गम्भीर मामला है और इसके कान्सीक्वेन्सेज बहुत बुरे होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : यह आप धमकी किसको दे रहे हैं? क्या कान्सीक्वेन्सेज होंगे किसको धमका रहे हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जिस जोर से चिल्ला रहे हैं, उससे हम दस गुना ज्यादा जोर से बोल सकते हैं।

श्री विजयसिंह : क्यों चिल्लाते हो ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह हाउस है। इस तरह चिल्लाने से नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस बात को यहीं समाप्त कर दीजिये।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अर्डर हुआ है। आप इसको आर्डीनरी बात समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, XXX की दाढ़ी में तिनका।

(शोरगुल)

श्री रघुनाथ विश्नोई : XXX आप हैं, इस लिये कहते हैं।

श्री विजयसिंह : आप सब से बड़े XXX हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड। कृपया स्थान ग्रहण करें। जिस प्रकार की आप एलीगेशन्स लगाते हैं उनमें कौन XXX है और कौन साहूकार है, कोई भी XXX नहीं है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज स्थान ग्रहण करें। आदेश में जो बातें कह दी गई हैं वे एक्सपन्ज की जायें। (व्यवधान) आर्डर प्लीज

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : ये सभी एक्सपन्ज किये जायें।

श्री विजयसिंह : आप क्यों बीच में कूद रहे हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : समझे न समझे।

श्री विजयसिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस होश में मत रहिये क्या समझ रखा है आप ने ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न। श्री लालचन्द वैद। /

23. श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ नगर में नगरपालिका चुंगी नाका स्टेशन के नाकेदार द्वारा आम यात्रियों को नाजायज तरीके से तंग किया जाता है और नाजायज तौर पर रुपया वसूल करता है और नाम मात्र की चुंगी की रसीद काटता है जो भी चुंगी नियम के विपरीत है ?

(2) क्या सरकार इस विषय पर कोई निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच करायेगी जिससे जनता को परेशान न होना पड़े ?

(3) सन् 1969-70 में गैर दुकानदारों के नाम चुंगी की कितनी रसीदें कटी हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम प्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्षजी इस प्रश्न

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
पर अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री लालचन्द वैद : मैंने कोई विशेष सूचना तो मांगी नहीं है, और अगर वह भी सूचना नहीं है तो यह तो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न था...

श्री उपाध्यक्ष : अगले टर्म पर इसका उत्तर दिया जावे।

श्री लालचन्द वैद : अगले टर्म पर तो ये मिलें न मिलें !

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

परगनाधिकारी रतनगढ़, चूरू व राजगढ़ के पास विचाराधीन मुकदमें

24. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्वमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) परगनाधिकारी, रतनगढ़, चूरू व राजगढ़ के यहां कुल कितने मुकदमे कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय। प्रत्येक मुकदमें में कितनी कितनी बार बिना सुने ही तारीख दी गई हैं व क्यों ?

(2) इनमें वर्तमान परगनाधिकारियों के कार्यकाल के कितने मुकदमे हैं ? वर्तमान परगनाधिकारियों ने अपने कार्यकाल में कितने मुकदमों में फैसले किये हैं ?

(3) डिस्पोजल का एवरेज क्या है ? क्या निर्धारित कार्यभार एवं निपटारे के अनुसार डिस्पोजल है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) परगना अधिकारी, रतनगढ़, चूरू व राजगढ़ के पास सन् 1963 से क्रमशः 496, 164 व 179 मुकदमे विचाराधीन हैं जिनकी कुल संख्या 839 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक मुकदमे में जो तारीख पेशी परिवर्तन की गई, उसका विवरण संलग्न सूची में अंकित है। बिना सुनवाई के तारीखें नहीं दी गई हैं।

(2) वर्तमान परगना अधिकारियों के कार्यकाल के मुकदमे की संख्या इस प्रकार है:—

रतनगढ़	12
चूरू	130
योग	142

वर्तमान परगना अधिकारियों के कार्यकाल में मुकदमों के निर्णय की संख्या इस प्रकार है:—

रतनगढ़	5
चूरू	350
योग	355

(3) परगना अधिकारियों द्वारा राजस्व मुकदमों के निर्णय का प्रति माह 10 मुकदमों का लक्ष्य निर्धारित है। परगना अधिकारी चूरू ने प्रति माह 13, रतनगढ़ ने प्रति माह 10, एवं राजगढ़ ने प्रति माह 18 मुकदमों का निर्णय किया है, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 6

श्री दौलतराम सारण : तो आपके मत अनुसार तो ये जो मुकदमे पेन्डिंग हैं वे मुकदमे ये परगना अधिकारी अपने जीवन काल में भी फैसला नहीं कर पायेंगे क्योंकि आपका जो निर्धारित लक्ष्य है वह तो दस का है, और मुकदमें इतने अधिक हैं कि उनको ये परगना अधिकारी कभी भी फैसला नहीं कर पायेंगे। मुकदमों की संख्या कई गुना अधिक है।

श्री गंगाराम चौधरी : कई गुना अधिक का प्रश्न नहीं है। निबटारे में देरी होती है उसके कई कारण है। राजस्व में खास तौर से कई बार अपील वगैरा हुआ करती है। बहुत से मुकदमे अपील में पड़े हुए हैं तो निबटारा नहीं होता है। कुछ मुकदमों में इसलिये भी देरी होती है क्योंकि एस. डी. ओ. को दूसरे कई काम भी करने पड़ते हैं, उसमें लगा रहता है। इस वजह से भी निबटारे में देरी होती है। लेकिन जो निर्धारित लक्ष्य डिस्पोजल्स का रखा है उससे ज्यादा डिस्पोजल्स होते हैं। इसलिये उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही सारे निबटारे हो जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि मुकदमों में तारीख पड़ने का मूल कारण यह भी है कि अधिकारियों को बार बार दौरे पर जाना पड़ता है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया मुख्य कारण तो यह नहीं है, लेकिन यह भी एक कारण है। नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने पड़ते हैं, वह काम भी इन अधिकारियों को करना पड़ता है, इसलिये भी मुकदमों के निबटारे में देरी होती है। गिरदावरी वगैरा भी इनको करनी पड़ती है।

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका के चुनाव चार वर्ष में अब कराये गये हैं इससे एक दिन की देरी हुई यह भी मान लिया जाय तो बाकी देरी होने के क्या कारण हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : अन्य कारणों के साथ एक कारण यह भी है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो कोई कारण नहीं आप और कोई कारण गिना सकते हैं? मेरे पास ऐसी भी सूचना है कि अधिकारी वहां रहते हुए भी मुकदमों की आगे की पेशियां दे दी जाती हैं इस वजह से भी जनता परेशान है। क्या आप इस बारे में निर्देश देंगे कि वहां रहते हुए तारीखें आगे न दी जायें?

श्री गंगाराम चौधरी : पहले से ही इस प्रकार के निर्देश है यथा संभव तारीखें तथा वहां पर ही रहा जाय और वहां रहते हुए दूसरी तारीख न दी जायें। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जिनमें एस. डी. ओ. को दौरे पर जाना पड़ता है।

श्री दौलतराम सारण यह अक्सर देखा गया है कि दौरों में रहते हुए तारीखें दें तो कोई बात नहीं लेकिन वहां रहते हुए भी तारीखें दे दी जाती हैं क्या यह मेरा कहना ठीक नहीं है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह बात बिल्कुल सही है।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप यह बता सकते हैं कि ऐसे कितने दिन हैं जिन दिनों में तारीखें दी हुई हों और मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हुए हों?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (ब्यावर) : जितने भी जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट आदि होते हैं वे मिनिस्टर आदि जब आते हैं उनके आगे पीछे फिरने में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं उनको मुकदमों का कोई ख्याल नहीं रहता।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसके बारे में और हिदायत जारी कर दी जायगी ताकि जल्दी से जल्दी मामले डिसपोज ऑफ किये जा सकें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हिदायतें तो दे रखी हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते इस बारे में उपाय कीजिए।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि अगली तारीख देने का कारण यह भी है कि अधिकतर ऊंचे अधिकारियों के आगमन पर उनके साथ उनको रहना पड़ता है उसमें उनका समय व्यतीत हो जाता है इसलिए मजिस्ट्रेट मुकदमों की तारीखों पर हाजिर नहीं रह पाते। पारवेक्षण के लिए कभी उच्च अधिकारी आ जाते हैं, कभी मंत्री महोदय चले जाते हैं, कभी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर आ जाते हैं, उनकी अगवानी में वे लगे रहते हैं इसलिए मुकदमें पेण्डिंग हो जाते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : आम तौर पर यह सही नहीं है। किसी जगह पर ऐसा हो सकता है आप ध्यान में लायें तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट श्री कुम्भारसिंह।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिविजन

25. श्री कुम्भारसिंह (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने पी. डब्लू. डी. डिविजन हैं और उनमें अलग अलग कितना रोड माइलेज है ?

(2) पी. डब्लू. डी. के अलग अलग डिविजनों व अकाल सहायता कार्य, बाढ़ क्षतिपूर्ति व रेगुलर रिपेयर व मेन्टीनेन्स ग्रान्ट की तहत पिछले पांच सालों में कितनी कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है ? यह भी बतावें कि केवल रिपेयर व मेन्टीनेन्स के आधार पर अलग अलग डिविजन को पी मील कितनी राशि दी जाती रही है ?

(3) रोड गेंग्स पर अलग अलग डिविजनों में कितना कितना धन खर्च किया जाता है और इनके द्वारा सड़कों की मरम्मत कहां तक ठीक ढंग से की जा रही है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) राजस्थान में पी. डब्लू. डी. डिविजन व उनमें अलग अलग रोड माइलेज की सूची (क) पर संलग्न है।

(2) पी. डब्लू. डी. के अलग अलग डिविजनों में पिछले पांच सालों में धनराशि जो उपलब्ध की गई व खर्च की तालिका निम्न प्रकार है :—

(1) अकाल सहायता कार्यों की सूची (ख) बाढ़ सहायता क्षतिपूर्ति की सूची (ग) रेगुलर रिपेयर व मेन्टीनेन्स की सूची (घ) रिपेयर व मेन्टीनेन्स के आधार पर अलग अलग

(श्री माधोसिंह)
डिविजनों को जिस आधार पर धनराशि उपलब्ध की जाती है वह ब्योरा सूची (त) में है। रिपेयर्स मेन्टेनेन्स की राशि सूची (थ) में सन् 70–71 के अन्तर्गत डिविजन-वाइज बताई गई है।

(3) रोड गैंग्स पर अलग अलग डिविजनों में जो खर्चा होता है उसकी सूची (द) पर संलग्न है। यथासंभव कार्य ठीक ही किया जाता है।

(ह सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : फ्लड रिलीफ की जो लिस्ट दी है उसमें 24 लाख खर्च किये गये हैं यह झालावाड़ डिविजन में कौन से प्रोजेक्ट पर खर्च किया है ?

श्री माधोसिंह : झालावाड़ डिविजन की जो सड़कें टूट गई थी उनकी रिपेयर पर खर्च किया गया है। अगर उसके अलावा खर्च किया गया है तो आप लिस्ट दे दीजिये उस बारे में जांच करवा लूंगा।

श्री जुझारसिंह : फ्लड से जहां डेमेज हुआ है उसकी लिस्ट जो दी गई है उन पर सैंकड़ों रुपये से ज्यादा खर्च हुआ लेकिन जहां जहां वास्तव में डेमेज हुआ उन कामों पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ ? यह आपको भी मालूम है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : इसके मुताल्लिक जो जवाब दिया गया इस बारे में मैंने भी जानकारी हासिल की है प्रीसाइज जिन जिन कामों के लिये मन्जूरी दी गई, जिस जिस पर खर्च हुआ है उसकी सूचना की इन्तजार है अगर इसके अनुसार नहीं हुआ होगा तो एक्शन लिया जायगा।

श्री जुझार सिंह : इस बारे में मैंने आपको छः सात लेटर लिखे हैं जो मेरी मांग थी उसको भी मैं उसमें बता चुका हूँ। राजगढ रोड पर जो ग्रान्ट खर्च हुआ है उसके बारे में मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं दो साल पहले आपने खुद ने भी उसका मुलाहिजा किया। इसके रिपेयर के लिये 1.60 हजार की ग्रान्ट हुई थी वह इस पर खर्च न करके रुपया दूसरी जगह पर खर्च कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं, आप खुद भी इस बात को दो साल से बराबर जान रहे हैं और मैं भी इस बारे में आपसे कहता रहा हूं, आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इस बात की जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं। जिस रोड के लिए सैंक्शन हुई उस पर खर्च नहीं हुआ इसके लिये इन्क्वायरी कायम कर दी।

श्री जुझारसिंह : यह तो आपने कह दिया इसको जांच होते छः महीने तो हो गये क्या आप अब भी उस डेमेज्ड पोर्शन की रिपेयर करवायेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जरूर करवायेंगे। इस बात का जवाब आ जाता है कि कितना खर्चा कहां कहां हुआ और कहां नहीं हुआ उसके बाद जितना अमाउन्ट उस कार्य के लिये मुकर्रर था उतना रुपया उस पर खर्च किया जायगा।

श्री सरदारसिंह (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय को

Page No 9

(श्री भैरोंसिंह)
इस बात की जानकारी थी, झालावाड़ के दौरे के समय उन्होंने इस विभाग के इन्जीनियर को डाटा भी था इस घोटाले के बारे में ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह कैसे पता चले कि घोटाला हुआ है इस बारे में जानकारी मांगी गई है उसके बाद यदि यह मालूम पड़ेगा कि घोटाला हुआ है तो इस पर एक्शन जरूर लिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि इन्क्वायरी के आदेश दिये गये हैं आखिर इन्क्वायरी किस बात की करा रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो खर्चा किया गया है उसकी जांच । जो रुपया जिस काम के लिये था उस पर खर्च न कर दूसरे पर किया गया इसकी जांच करा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपके नोलेज में यह चार्जेज तो पहले से ही थे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ये नहीं लाये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : कब लाये गये ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसी पर आदेश दिये गये ।

श्री भैरोंसिंह : यह आपके ध्यान में क्वश्चन के जरिये आया है या पहले ही आ गया था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो मैं अर्ज कर चुका हूं इसी के मुतल्लिक लिखा गया है चार्जेज जो बताये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस संबन्ध में इन्क्वायरी के आदेश दिये हैं आपको जो चार्जेज की जानकारी मिली है वह विधान सभा के क्वश्चन के बाद जानकारी मिली थी या पहले ही जानकारी थी ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इससे पहले ही आ चुकी है ।

श्री जुझारसिंह : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं गत सत्र में भी आपने आश्वासन दिया था उसके बाद आपने क्या जांच की और क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई ? आप जांच कब तक पूरी कर लेंगे कोई निश्चित तारीख बता सकते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मैं तारीख कैसे बता दूं । अभी तो पूछ रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : जांच को शुरू हुए कितना समय हो गया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी तरफ से तो पूरा एक्शन हो रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जांच सर्विस रूल्स के अन्तर्गत की जा रही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : डिपार्टमेंटल जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेण्टल जांच सर्विस रूल्स में कवर नहीं होती है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : क्यों नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह जांच किस नेचर की है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है ।

Page No 10

श्री भैरोंसिंह : यह जांच इस प्रश्न की परिधि में आये या नहीं लेकिन इन सारे प्रश्नों के संबन्ध में, एलीगेशन्स के सम्बन्ध में आपने उक्त इन्जीनियर को झालावाड़ के दौरे के समय उनसे इस सम्बन्ध में आपने जानकारी की थी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मैं कैसे बता दूं। किसी से बात के संबन्ध में चलते हुए बात करली यह कोई सही आधार नहीं है। जो प्रेसाइज इलीगेशन है उसके बारे में जांच चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के बावजूद स्थानान्तरण स्थगित किया गया, क्या यह बातचीत के दौरान आपने कहा था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह तो आप अलग से डिबेट करवा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी-बाजार, जयपुर) : उप मन्त्री जी से जानना चाहता हूं 'घ' सूची कहां है उसमें क्या लिखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पहले पूछ लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं (घ) को पूछ रहा हूं। वह तो (क) की थी।

श्री माधोसिंह : सूची (घ) वह है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

गृह निर्माण के लिए ऋण

26. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत चार वर्षों में एम. आई. जी. एच. स्कीम (मध्यम श्रेणी) और एल. आई. जी. एच. स्कीम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु कर्जा दिया गया ? दोनों श्रेणियों के अलग अलग आंकड़े देने की कृपा करें।

(2) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत राज्य कर्मचारी हैं ?

(3) कुल धनराशि का कितना प्रतिशत राज्य कर्मचारियों को मिला ? प्रत्येक श्रेणी का अलग अलग प्रतिशत बतावें।

(4) इन योजनाओं के अलावा उक्त चार वर्षों में सरकार ने कितने राज्य कर्मचारियों को कितनी धनराशि मकान बनाने हेतु कर्ज के रूप में दी ?

उप मंत्री, नगर विकास न्यास (श्री खेतसिंह) : (1) गत चार वर्षों में 1966-67 से 1969–70 में अल्प आय, मध्य आय की गृह निर्माण योजना के अन्दर निम्न प्रकार ऋण दिया गया :—

(1) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना 2910 व्यक्ति

(2) मध्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना 890 व्यक्ति

(2) गत चार वर्षों में प्रत्येक श्रेणी

Page No 11

(श्री खेतसिंह)
में कुल ऋण प्राप्तकर्ता कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत निम्न प्रकार है:–

(1) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना 42.3 प्रतिशत

(2) मध्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना में 39.55 प्रतिशत

(3) गत चार वर्षों में दिये गये कुल ऋण राशि में से राज्य कर्मचारियों को दी गई ऋण राशि का प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार है:–

(1) अल्प-आय गृह निर्माण योजना 44.93 प्रतिशत

(2) मध्य आय गृह निर्माण योजना 36.57 प्रतिशत

(4) अल्प। मध्य आय गृह निर्माण योजनाओं के अलावा सरकार में गत चार वर्षों में 3041 राज्य कर्मचारियों को 117.27 लाख रुपये अग्रिम वेतन के रूप में कर्ज दिए हैं।

श्रीमती मदनकौर: लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो लोन दिया गया वह आधे सरकारी कर्मचारियों को दिया। गया और आधा हिस्सा जनता को दिया. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को और भी लोन दिया गया। इसमें ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियो के लिए ही यह स्कीम है। राज्य की आम जनता को इस स्कीम के अन्तर्गत लोन नहीं दिया जाता।

श्री खेतसिंह: ऐसी बात तो नहीं है। इसमें प्रतिशत जो है उससे साबित है कि जनता को अधिक प्रतिशत दिया गया है। पर शहरों में अमूमन राज्य कर्मचारी ज्यादा इच्छुक होते हैं। उनकी तरफ से ज्यादा दरख्वास्तें आती हैं इसलिए ज्यादा मिल जाता है उनको।

श्रीमती मदनकौर: जो प्रोसीजर आपने इसके लिए ले डाउन कर रखा है वह इतना कम्पलीकेटेड है कि जिससे या तो जो असर वाले हैं वे जनता के लोग या फिर सरकारी कर्मचारी हो उस प्रोसीजर से निकल कर यह ऋण ले सकते हैं। तो मैं यह चाहूंगी कि यह प्रोसीजर बिल्कुल सरल बनाया जाय ताकि साधारण जनता भी इसका लाभ उठा सके और अधिकारियों को भी यह हिदायत दी जाय कि साधारण जनता को और अधिक प्रतिशत में ऋण दिया जाय। सरकारी कर्मचारियों को तो और भी जगह से मिल सकता है।

श्री खेतसिंह: अब तो जीवन बीमा निगम इसके लिये बहुत अधिक ऋण दे रहा है। हम भी वहीं से प्राप्त करके राज्य कर्मचारियों को देते हैं। जनता का भी कोई व्यक्ति जो बीमा करा ले तो उसे लोन मिल सकता है।

श्री शंकरलाल (जैतारण): इस ऋण का वितरण तो सरकार के मारफत ही होगा।

श्री खेतसिंह: नहीं, वितरण वे स्वयं ही करते हैं। अब जो प्रोसिजर के बारे में कहा है, इसके लिये मैं देखूंगा कि इसमें ऐसी क्या पेचीदगियां है, जिन्हें दूर किया जा सकता है।

श्री शंकरलाल: क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, के लिये भी इसमें व्यवस्था की गई है?

Page No 12

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : यह बताने की कृपा करें कि सरकारी कर्मचारियों की दरखास्तें ज्यादा आती हैं या साधारण जनता के लोगों की? पिछले चार वर्षों का अनुपात बतावें और यह भी बतावें कि उसी अनुपात से ऋण भी दिया गया या नहीं?

श्री खेतसिंह : अलग अलग शहरों में अलग अलग एप्लीकेशनें आई हैं। अजमेर में कुल 41 एप्लीकेशनें आईं जिनमें से 22 सरकारी कर्मचारियों को दिया गया क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से राज्य कर्मचारियों की दरखास्तें ज्यादा थीं। अब जनता की दरखास्तें कितनी कितनी आईं, यह फिगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं, मैं जानकारी हासिल करूंगा तब आपको दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि जिला हैडक्वार्टर तक ही यह योजना सीमित है?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : अन्य कस्बों में और देहातों में रहने वालों के लिये क्या स्कीम है।

श्री खेतसिंह : अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्टेट इन्श्योरेंस विभाग से कर्मचारियों को दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री खेतसिंह : जब कि खुद का भी इन्श्योरेन्स हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर राज-कर्मचारी के लिये कम्पलसरी इन्श्योरेन्स है।

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर?

श्री खेतसिंह : वे वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर आप उन को वहीं से दिलावें न? क्या सरकार इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि सरकारी कर्मचारी राज्य बीमा विभाग से ही लें और इस योजना को पूरी तरह से जनता के लिये ही रखें?

श्री खेतसिंह : आपका सुझाव वाकई बहुत अच्छा है, सरकार विचार करेगी।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : राज्य कर्मचारियों के घर के लोग जनता नहीं है क्या?

श्री दौलतराम सारण : यह जो आप ने बताया है कि यह जिला हैड क्वार्टर पर ही सीमित है तो फिर नीचे के स्तर के कस्बों के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये कौनसी योजना है ऋण देने की?

श्री खेतसिंह : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अलग से पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो साधारण नीति का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : लो और मिडिल ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के बारे में पूछा गया है

(श्री उपाध्यक्ष)
यह प्रश्न इस बारे में उनकी आपत्ति ठीक मालूम होती है।

श्री दौलतराम सारण : तो यह समझा जावे कि जिला हैड क्वार्टर के नीचे वालों के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है?

श्री खेतसिंह : यह नहीं समझा जावे। इनके लिये भी जरूर योजना है। पर मुझे अगर अभी तत्काल पूछना चाहें तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह अलग से पूछ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27

श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है और नीतियां निर्धारित करते हैं मुखाखिया जी, नीतियों से इनका क्या लेना देना।

श्री लालचन्द डूंद : ये अनीतियां निर्धारित करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

बिजोलिया क्षेत्र के जंगलात के बीड़

28. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया क्षेत्र के जंगलात के बीड़ राजस्व में आ चुके हैं ?

(2) यदि आये हैं, तो कौन कौन से बीड़ ? इनका कुल रकबा कितना है ?

(3) क्या यह सही है कि जंगलात से राजस्व में आने के बाद भी बीड़ मसोदा का अलाटमेन्ट रोक दिया गया है ?

(4) यदि यह सही है तो अलाटमेन्ट रोकने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि सैंकड़ों भूमिहीन हरिजन, आदिवासी तथा अन्य खेतीहर भूमिहीनों को इन बीड़ों में जमीन दी जा सकती है ?

(6) क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री बृजसुन्दर इन बीड़ों की जमीन को साधन सम्पन्न किसानों को देने का वादा कर चुके थे या आदेश भी दे चुके थे ? यदि आदेश दिया हो तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उप राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की अभी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिये इसे स्थगित किया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय मेरी बात सुन लीजिये। 3½ साल से लगातार मैं यह प्रश्न पूछता आ रहा हूं पर सरकार उत्तर टालती जा रही है। 30 हजार रुपया लोग खा गये। अब इस कारण से गरीबों की जमीनें नहीं बट रही हैं। तीस हजार रुपया ले लिया और इस कारण टाल रहे हैं यह मामला। गरीबों में यह जमीन नहीं बांटना चाहते। इसका कृपा करके जल्दी से जल्दी आदेश मंगवाइये, उत्तर मंगवाइये। उन गरीबों के बच्चे भुट्टों के लिये तड़प रहे हैं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
जिनसे उन्होंने चालीस हजार रुपये प्राप्त किये हैं, क्षेत्रीय नेताओं ने।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसका उत्तर कब मिलेगा उपाध्यक्ष महोदय? जब भी यह प्रश्न आता है तभी जवाब देते हैं अगली बार देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न पर दे देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगली बार कब आवेगी। गरीबों की जमीन कैसे मिलेगी?

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न पर दे दिया जावेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : साढ़े तीन साल से लगातार एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपत्ति हो उत्तर देने में कि नहीं दिया जा सकता, तो ऐसा स्पष्ट कहें। लेकिन उस साढ़े तीन साल में एक प्रश्न के उत्तर के ऊपर मौन धारण करना यह कोई स्वस्थ परम्परा है? सरकार को सोचना चाहिये।

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): मेरी जानकारी में तीन साल से नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। इसमें तो यह साफ लिखा है--क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्व मन्त्री श्री बृजसुन्दर शर्मा इन बीडों की जमीन को साधन सम्पन्न किसानों को देने का वायदा कर चुके थे या आदेश भी दे चुके थे? यदि आदेश दिया हो, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री गंगाराम चौधरी : यह एक भाग है। इसके अलावा पांच भाग और भी हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं चार साल से पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर का जवाब नहीं आया।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर नहीं आता है तो उनको सूची में प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है? यह जान बूझकर प्रश्न को टालने की परम्परा है। यह व्यवस्था कर दी जाय कि या तो जो प्रश्न प्रकाशित हो जाय उसका जवाब मिलना चाहिये और जवाब नहीं मिले तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जवाब नहीं आय तो सूची में प्रकाशित नहीं किया जाय। यह राज्य सरकार की तरफ से प्रश्नों के उत्तरों को दबाया जा रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ उठने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय पहले मुझे इसके उत्तर की तिथि बताई जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह में।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न उठाया उसकी व्यवस्था दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी हुई है। जो आम तौर से सूची प्रकाशित की जाती है उसमें यह आशा की जाती है कि उसका उत्तर उसी दिन दिया जायगा और राज्य सरकार यह प्रयत्न करेगी कि उनका उत्तर आम तौर से तुरन्त उसी दिन दिया जाय। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है, उसके लिए आप जानते हैं कई दफा राज्य सरकार को चेतावनी भी दी गई है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मन्त्री महोदय ने अगले सप्ताह में इसका उत्तर देने का कहा है। मैं समझता हूं अगले हफ्ताह में इसका उत्तर दे दिया जायगा।

नेवस्ट

नगरपालिकाओं को सहायता एवं अनुदान

29. श्री मूलचन्द डागा (पाली) की अनुपस्थिति में श्री शंकरलाल (जैतारण) द्वारा पूछा गया : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में प्रत्येक नगरपालिका को 1969-70 व 1970-71 में कितनी कितनी राशि ऐड के रूप में तथा कितनी कितनी राशि कर्जे के रूप में दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ये राशियां किन-किन मदों में दी गईं तथा इन राशियों को देने का आधार क्या था?

(3) क्या राज्य सरकार ने ऐड व लोन देने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम बना रखे हैं और क्या ये सभी राशियां उक्त नियमों के अनुसार दी गई हैं?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): (1) (क) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्ष 1969-70 में 16,58,718.50 रु. सामान्य अनुदान के रूप में तथा वर्ष 1970-71 (दिनांक 26-10-70 तक) में 1,69,231 रुपये की राशि दी गई। जिन नगरपालिकाओं को सामान्य अनुदान की राशि दी गई है उनकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

तथा (ख) विशेष अनुदान के रूप में वर्ष 1969-70 में निम्नलिखित नगरपालिकाओं को 1,45,000 रुपये दिये जाने की स्वीकृति दी गई:-

1.	बीकानेर	30,000.00
2.	सागवाड़ा	15,000.00
3.	डीडवाना	25,000.00
4.	नाथद्वारा	25,000.00
5.	डूंगरपुर	25,000.00
6.	नांजत	25,000.00

(ग) वर्ष 1969-70 में छापर को 27,000 रु. व सांभर को 50,000 रु. ऋण के स्वीकृत किये गये तथा वर्ष 1970-71 में (26-10-70 तक) नगरपालिका चूरू को 50,000 रुपयों का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(2) प्रश्न 1 के भाग (क) के उत्तर में अनुदान की राशियां मद 71 विविध (घ) सहायतार्थ अनुदान, अंशदान आदि (1) नगरपालिका (2) नगरपालिकाओं को दिये जाने के सामान्य अनुदान से दी गई है।

प्रश्न के भाग (2)(1) (ख) के उत्तर में स्वीकृत राशि मद अकाउन्ट आफ एड-

Page No 16

(श्री खेतसिंह)

वान्सेज फ्राम राजस्थान कन्टीनजेन्सीज फन्ड 103 केपीटल ले प्राउट प्रान पब्लिक वर्क्स-(डी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : केपीटल ले आऊट या केपीटल प्राऊट ले...

श्री खेतसिंह : सोरी, प्राऊट ले। थेन्क्यू वेरी मच। प्रान पब्लिक वर्क्स-सो ग्रान्ट-इन ऐड प्रश्न के भाग (1) (ग) में स्वीकृत ऋण की राशियां मद राजस्थान आकस्मिकता निधि में से दिये गये अग्रिम लेखे-या-राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण एवं अग्रिम-का-स्थानीय निधियों निजि पक्षों आदि को ऋण-क-नगर निगम तथा नगरपालिकाओं को ऋण से स्वीकृत की गई है।

यह हैड बताया है।

(3) सरकार द्वारा ऋण देने हेतु कोई नियम नहीं बना रखे हैं। सामान्य अनुदान हेतु नियम है और उन्हीं के अनुसार अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। विशेष अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में भी कोई खास नियम नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूची प्राप्त हुई है उसमें 70–71 में 20 नगरपालिकाओं को अनुदान की राशि बताई गई है। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इन 20 में ऋण की राशि नहीं गई है 70–71 में ?

श्री खेतसिंह : 20 की सूची कैसे है ? हमने तो सारी नगरपालिकाओं को पापूलेशन बेसिस पर-सबको दी है। नगरपालिका की तादाद 20 नहीं ज्यादा है आपके पास सूचना 70–71 में 20 को दी गई और 69–70 में 146 नगरपालिकाओं को दी गई थी।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची प्राप्त हुई है उसमें 69–70 और 70–71 के अनुमान की राशि है। ऋण का ब्योरा नहीं है।

श्री खेतसिंह : ऋण का ब्योरा उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि आपने उन नगरपालिकाओं को ग्रान्ट इन ऐड दी है जिन्होंने राज्य सरकार के विपरीत भी हाउस टैक्स नहीं लगाया ?

श्री खेतसिंह : यह सवाल पेचीदा है। मेरे पास इन्फर्मेशन नहीं है ?

श्री शंकरलाल : 69–70, 70–71 में जो ऋण दिया है उनकी सूची ...

श्री खेतसिंह : जी हां, इसकी एक प्रतिलिपि आपको दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बालसिंह सोढ़ा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कम किए गए कर्मचारी

30. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल कितने कर्मचारी थे ? इस

Page No 17

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
वर्ष अकाल नहीं होने के कारण कितनी कमी की गई और किस किस जिले में सार्वजनिक विभाग के प्रकाश के खण्ड इस वर्ष भी रखे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि माह सितम्बर से पूर्व राज्य में अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं ? अगर नहीं, तो कौन कौन से जिलों में सितम्बर के बाद भी कार्य चल रहे हैं ? सूची सदन को मेज पर रखें और इसके क्या कारण हैं तथा इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कौन कौन से अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए किस जिले में कितनी राशि और मांगी गई है ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (1) सूची प्रस्तुत है ।

(2) सड़क निर्माण कार्य 15 अगस्त, 1970 से बन्द हैं । अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्वेश्चन इम्पोरटेंट है । जवाब सुना नहीं ।

एक माननीय सदस्य : बटन दबा दें ।

श्री भैरोंसिंह : बटन उनका दबाया जाय या माइक का दबाया जाय ?

श्री माधोसिंह : (1) सूची प्रस्तुत है (क) ।

(2) सड़क निर्माण कार्य 15 अगस्त, 1970 से बन्द हैं । अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : भाग (1) का क्या जवाब है ? संख्या बता दें कितने निकाले ?

श्री माधोसिंह : मैंने कहा सूची संलग्न है ।

श्री भैरोंसिंह : अकाल राहत कार्य बन्द होने के कारण कितने आदमियों को नौकरी से हटाया गया । यह बता दें ।

श्री माधोसिंह : एक्जीक्यूटिव इंजीनियर 65 ए.ई.एन. 31, मिनिस्ट्रियल स्टाफ 180 और क्लास फोर्थ 84 थे ।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, कितने ओवरसीयर हटाये ?

श्री माधोसिंह : सबॉर्डिनेट्स में ओवरसीयर भी सम्मिलित हैं ।

श्री बालसिंह सोढा : उसमें तो मिस्त्री भी होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उन लोगों को जिनको नौकरी से हटाया है उनको एम्पलॉयमेंट देने के बारे में कोई योजना रखी है ?

श्री माधोसिंह : सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : जो लोग सरप्लस हुये हैं, उनके लिये विचाराधीन है या क्या ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : जो लोग इसमें सरप्लस हुये हैं उनके लिये एक कमेटी मुकर्रर की है कि किस तरह से उनको काम पर लगाया जा सके । तीन सौ एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और ओवरसियर हैं जिनको सरप्लस करार दिया गया है । उनमें से अभी तक जो लेटेस्ट

Page No 18

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)
हमारी रिकमन्डेशन है उसके अन्दाज से सवा सौ या 150 को उलटे रख रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : उलटे कैसे साहब ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बाकी के लिये कमेटी की बैठक की जा रही है। तमाम जगह तलाश की जा रही है ताकि सरप्लस इन्जीनियर और ओवरसियर लगाये जा सकें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरा ख्याल है कि जल्दी ही हम इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि इस तरह से इन सब को हम रख सकें। नहीं रख सके तो दूसरी बात है लेकिन 1/3 तक का जो मसला है वह तो तकरीबन तय सा हो गया है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इनमें हरिजन कितने हैं जो निकाले गये हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हरिजनों का इसमें नहीं है...

श्री मदन सिंह : कैसे नहीं है ? उनका रिजर्वेशन होता है अपॉइन्मेन्ट में.....

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हरिजनों का नहीं देखा गया है क्योंकि इसका ताल्लुक हरिजन और नॉन-हरिजनों का नहीं आता और सीनियोरिटी के लिहाज से यहां देखा जाता है।

श्री मदनसिंह : क्या फोर्थ क्लास में भी सीनियोरिटी को देखा गया है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने इस बात के आदेश जारी कर दिये हैं कि जब तक इन इन्जीनियर्स को जो आपने सरप्लस करके निकाले हैं इनको री-एम्पलॉय नहीं किया जाये तब तक बाकी के डिपार्टमेंट में इस प्रकार की क्वालीफिकेशन के लोगों को नियुक्त नहीं किया जायेगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके लिए पी. डब्लू. डी. से लिखा जा चुका है और जी. ए. डी. ने नोट कर लिया है और उन्होंने क्या कार्यवाही की यह उनकी जिम्मेदारी है कि इसी क्वालीफिकेशन के दूसरे लोगों को नहीं रखा जाये । यह पी. डब्लू. डी. की तरफ से रिक्वेस्ट हो चुकी है और जी. ए. डी. ने हमको लिख कर भी भेज दिया है कि उनके ध्यान में यह बात पूरी तरह से है। अगर ऐसी बात नहीं होती है तो पी. डब्लू. डी. की तरफ से जरूर उसका ख्याल रखा जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं या नहीं ? आपके ध्यान में ऐसी चीज है कि केबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है कि जब तक इनको री-एम्पलॉय नहीं किया जाये तब तक फ्रेश अपाइन्टमेन्ट्स नहीं किये जायें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह जी. ए. डी. से ज्यादा ताल्लुक रखता है क्योंकि उन्हीं के हाथ में है यह। उन्होंने जो पी. डब्लू. डी. को लिख कर भेजा है वह यह है कि इसको नोट कर लिया गया है कि ऐसे फ्रेश लोग नहीं रखे जायं जब तक कि पहले इनका फैसला नहीं हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपके नोटिस में ऐसी बात नहीं आई है कि इन लोगों को री-एम्पलाय किये बिना ही इसी क्वाली-

Page No 19

(श्री भैरोंसिंह)
फिकेशन के लोगों का अपॉइन्टमेंट किया गया है?'

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरे पास ऐसी इन्फर्मेशन नहीं आई है।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न के खण्ड (2) में मैंने यह पूछा है कि 15 अगस्त के बाद निर्माण कार्य बन्द कर दिये गये क्या ? और क्या राज्य सरकार के पास कलेक्टर, बाड़मेर और कलेक्टर, जैसलमेर ने ऐसी इन्फर्मेशन दी है कि 15 अगस्त के बाद भी कार्य चालू हैं?

श्री माधोसिंह : हमारे नोटिस में नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (2) में स्पष्ट लिखा है कि 15 अगस्त के बाद किन किन जिलों में अकाल राहत कार्य चालू हैं और बाड़मेर के कलेक्टर और जैसलमेर के कलेक्टर ने पी. डब्लू. डी के ठेकेदारों की ट्रकों को सीज करके उनको पकड़ा है जो कि वर्क कर रहे थे और उनका फेमिन विभाग से पेमेन्ट किया जा रहा था और ठेकेदार और पी डब्लू.डी. ने मिल कर काम किया या नहीं किया लेकिन भुगतान फेमिन के नाम से किया गया है ऐसी कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ऐसा है तो मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि पूरा उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। यह नहीं होना चाहिए था और जहां तक हमारी जानकारी में है कोई नये काम उसके बाद में नहीं खोले गये हैं लेकिन जैसा आपने कहा तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जायेगा।'

श्री बालसिंह सोढा : मैं स्पष्ट कर देता हूं कि नये या पुराने कार्यों का मैं नहीं कह रहा हूं। 15 अगस्त के बाद में फेमिन के तहत पी.डब्लू.डी. ने ठेकेदारों को भुगतान किया है जिसका विरोध कलेक्टर, जैसलमेर ने इन्क्वायरी करके अपनी इन्क्वायरी रिपोर्ट जो गवर्नमेन्ट को भेजी है उसमें किया है और गवर्नमेन्ट के आदेश नहीं होते हुए भी पी.डब्लू.डी. ने आदेशों की अवहेलना की है।

श्री माधोसिंह : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि वर्क्स जो पहले किये जा चुके हैं उनके पैसों का भुगतान तो बाद में ही किया जा सकता है।

श्री बालसिंह सोढा : उसमें यह नहीं था। ठेकेदारों को वर्क करते पकड़ लिया है और मजिस्ट्रेट साथ में गया है इससे ज्यादा और क्या जानकारी चाहिए आपको ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर कलेक्टर ने ऐसी रिपोर्ट दी है तो यह रिपोर्ट फेमिन के मिनिस्टर साहबान के पास होगी और यदि ऐसा है, तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जायेगा क्योंकि इससे बढ़ कर और क्या बात हो सकती है कि कलेक्टर की रिपोर्ट आये और उससे ज्यादा और सही सबूत क्या हो सकता है? उसके ऊपर जरूर एक्शन लिया जायेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उत्तर पूरा नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में क्या इस प्रश्न को स्थगित नहीं किया जा सकता?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के बारे में क्या हुआ सरकार को पता ही नहीं है और कोई जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में आसन के द्वारा सरकार को संकेत होना चाहिए। अगर अपर्याप्त उत्तर है तो पूरा उत्तर तो मंगाना चाहिए।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सरकार को जानकारी कैसे नहीं है ? सरकार को जानकारी है कि कलेक्टर ने रिपोर्ट की है और सरकार एक्शन लेगी।

श्री बार्लसिंह सोढा : कलेक्टर की रिपोर्ट का सरकार को मालूम नहीं है। मैं सदन के अन्दर आज सूचना दे रहा हूं। प्रश्न के भाग (2) में मैंने मांगा है कि कौन कौन से जिलों में अकाल राहत कार्य 15 अगस्त के बाद में चालू हैं ? एक जिले का नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मालूम होने का सवाल ही नहीं है।

श्री माधोसिंह : कलेक्टर की रिपोर्ट है और वह अकाल राहत मन्त्रीजी के पास होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री बार्लसिंह सोढा : चाहे अकाल के राहत कार्य हों या दूसरे, सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचना इसकी मिलती है या नहीं ?

श्री माधोसिंह : आपका प्रश्न मैं समझा नहीं।

श्री बार्लसिंह सोढा : मैं आपको समझा दूं। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है इसके मिनिस्टर फेमिन मिनिस्टर हैं या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं ?

श्री माधोसिंह : यह तो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं लेकिन फेमिन की जानकारी कलेक्टर करता है तो उसकी रिपोर्ट पहले फेमिन मिनिस्टर के पास करता है क्योंकि उसकी सेंक्शन फेमिन विभाग देता है न कि सार्वजनिक निर्माण विभाग देता है। हम तो एजेन्सी हैं काम करवाने वाली और हम तो उनके कहने से काम करते हैं।

श्री बार्लसिंह सोढा : क्या यह सही है कि कलेक्टर, जैसलमेर ने जो रिपोर्ट दी है उसको कापी चीफ इन्जीनियर पी.डब्लू.डी. को दी है ?

श्री माधोसिंह : प्राप्त नहीं हुई।

श्री बार्लसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड (2) में मैंने सूचना चाही है और यह सूचना नहीं है इसलिए यह क्वेश्चन पोस्टपोन किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा है तो जांच हो जायगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने कहा था कि ऐसी रिपोर्ट आ गई है और उस पर हम आगे कार्यवाही कर रहे हैं और उप-मन्त्रीजी कह रहे हैं कि ऐसी कोई सूचना नहीं है तो इनमें से कौन सी सूचना सही मानें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नहीं है। यह कहा है।

श्री दौलतराम सारण : वह कह रहे हैं कि कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

Page No 21

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने नहीं कहा है कि कलेक्टर की रिपोर्ट आ गयी है। मैंने कहा कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि कलेक्टर की रिपोर्ट है, तो इससे ज्यादा सही बात और क्या हो सकती है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लिस्ट के अनुसार जो कर्मचारी फेमिन में काम कर रहे थे उनमें एल. डी. सी. और फोर्थ क्लास को सरप्लस नहीं करके उनको सेवा से मुक्त किया गया है? क्या यह सही है?

श्री माधोसिंह : इसकी डिटेल नहीं है, आप चाहेंगे तो बाद में दे देंगे।

श्री भंरोंसिह : आप यह बता दें कि आपने जो सारे एल.डी.सी. या चपरासी, इन्जीनियर टेक्नीकल स्टाफ में से सबको सरप्लस घोषित किया है या उनकी सर्विसेज सदा के लिए टर्मीनेट कर दी हैं ?

श्री माधोसिंह : मैं आपको जानकारी दे दूं कि 109 आदमियों को रिट्रेन्च किया है, 301 को सरप्लस घोषित किया है•••

श्री भंरोंसिह : बाकी ?

श्री माधोसिंह : नान-गजेटेड की सूची नहीं है।

श्री भंरोंसिह : सूची नहीं मांग रहे हैं आपने जो किया है वह बता दें।

श्री माधोसिंह : इसकी सूचना नहीं है।

श्री भंरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री जी बारबार उधर ताक ताक कर जवाब देते हैं यह तो कम से कम हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इस बात पर हमें बड़ी शर्म आती है। आपके घर पर सूचना नहीं है लेकिन मंत्रीजी का घर यहां पर होता है। इसमें है कि नहीं कुछ? उसमें है तो जवाब दे दें।

श्री माधोसिंह : मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री बिरदाराम।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री बिरदाराम।

जिला जालोर में लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत मामले

31. श्री बिरदाराम (जालोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला जालोर में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कितने मामले चल रहे हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): जिला जालोर में 1-10-70 को कुल 1,847 मुकद्दमे राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत विचाराधीन थे। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री बिरदाराम : यह मुकद्दमें कब तक निपटाये जायेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : निपटाये जा रहे हैं यह सूची से विदित होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कितने साल के मुकद्दमे हैं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
सबसे पुराना मुकद्दमा कौन सी तारीख का है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार 1-1-70 को 1,68- मुकद्दमे थे और इसके बाद में 79 मुकद्दमे और दायर हो गये। 1,820 निपटा दिये गये। 1971 इस वर्ष में होने चाहिए 1-1-70 को। कुछ मुकद्दमे पहले के भी हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : पहले के जो मुकद्दमे हैं उनमें सबसे पहले वाले की तारीख बता दें।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरे पास जानकारी नहीं है इस सम्बन्ध में।

श्री आईदानसिंह : 91 के केसेज कितने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं पूछा गया है।

श्री आईदानसिंह : दो हजार मुकद्दमे हैं तो मुकद्दमों के बारे में प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्न के दायरे में ही पूछ सकते हैं।

श्री आईदानसिंह : मूल प्रश्न के दायरे में ही पूछा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री श्रवणलाल।

नादौती तहसील के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

32. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने नादौती तहसील (जिला सवाई माधोपुर) के कुछ गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकार को लगभग 23 लाख रुपये देने की स्वीकृति दी थी ?

(2) यदि हां, तो उस योजना व उन रुपयों का क्या हुआ और उक्त धनराशि अब कहां है ?

(3) उक्त गांवों में कब तक पीने के पानी की व्यवस्था हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (जन स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (1) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई रकम देने की स्वीकृति नहीं दी।

(2) राज्य सरकार स्वयं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। इसकी लागत 20,66,000 रु. है, अभी तक 3,09,355 रुपयों का पाईप खरीदा गया है।

(3) धनराशि व सामग्री की उपलब्धि के अनुसार लगभग 3 वर्ष की अवधि में।

श्री श्रवणलाल : यह राशि कब मन्जूर हुई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस योजना की स्वीकृति टेक्निकल और दूसरी 25-6-70 को हुई।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री शिवनाथसिंह।

मजदूरी का भुगतान

33. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले मे उदयपुरवाटी तहसील के रूपनगर काले पहाड़ी फेमिन कैम्प पर पत्थर तोड़ने में लगे चोबीस मजदूरों को दिनांक 16-7-69 से 31-7-69 तक की मजदूरी मस्टर रोल नं. 3340 3341, 3342, 116434, 16435, 16436 का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : मस्टर रोल नं. 3340 से 3342 तक का भुगतान हो चुका है। शेष मस्टर रोल 16-7-69 से 31-7-69 को अवधि के नहीं हैं।

श्री शिवनाथसिंह : जिस अवधि का मैंने पूछा है उसका भुगतान हुआ कि नहीं?

श्री माधोसिंह : उनकी भुगतान के लिए चेक इश्यू कर दिये है। जिनका पैसा काटा गया है उनको रोक दिया गया है क्योंकि वे काम पर नहीं थे।

श्री शिवनाथसिंह : किस अवधि का रोका था ?

श्री माधोसिंह : जिन लोगों का पेमेन्ट हो गया था और जो लोग मौके पर नहीं मिले थे उनका पेमेन्ट रोक दिया गया था।

श्री शिवनाथसिंह : मैंने मस्टर रोल के नम्बर दिये हैं और तारीखें दी हैं। उनका भुगतान किस तारीख का किस अधिकारी ने किया है मेरा यह एलीगेशन है कि इनका भुगतान नहीं हुआ है।

श्री माधोसिंह : जिन मस्टर रोल के लिए आपने कहा है तो मस्टर रोल ने 3340 से 42 तक का भुगतान कर दिया गया है। तारीख मेरे पास इस वक्त नहीं है। जो दूसरे मस्टर रोल आपने बताये हैं उनकी डेट 16-7-69 से 31-7-69 के नहीं है। 10 लेबर ऐसे थे 16434 में जिनका पेमेन्ट नहीं हुआ था क्योंकि वे साइट पर नहीं थे तो उनका चेक कलेक्टर झुन्झुनू के पास भिजवा दिया गया है 31-10-70 को।

श्री शिवनाथसिंह : आपके हिसाब से राशि कितनी बाकी है और चेक कब गये हैं ?

श्री माधोसिंह : चेक 31-10-70 को इश्यू किया गया है।

श्री शिवनाथसिंह : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मस्टर रोल को देखिये। मेरा यह एलीगेशन है कि उनका पेमेन्ट नहीं हुआ है। मैं चेलेन्ज करता हूं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है।

श्री माधोसिंह : मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जो मस्टर रोल के नम्बर आपने दिये थे उनका पेमेन्ट हो चुका है। आप चाहें तो दुबारा जानकारी कर लें। यदि आप मुझे ऐसी सूचना देंगे कि मेरी जानकारी गलत है तो मैं उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा।

श्री शिवनाथसिंह : मैं कह रहा हूं कि पेमेन्ट नहीं हुआ है, पेमेन्ट नहीं हुआ है। इससे अधिक और क्या चाहिए आपको।

श्री माधोसिंह : जिस मस्टर रोल के बारे में मुझे सूचना दी गई है अगर उनका पेमेन्ट

(श्री माधोसिंह)
नहीं हुआ है तो उस अधिकारी को मोत्तिल करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवनारायणसिंह : पेमेन्ट करेंगे या नहीं ?

श्री माधोसिंह : पेमेन्ट करेंगे और अधिकारी को मोत्तिल करके कार्यवाही भी करेंगे गलत सूचना देने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न। इनको मोत्तिल करने का अधिकार है क्या ?

श्री माधोसिंह : कायदे के अनुसार सब किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि सूचना मैं सरकार की ओर से दे रहा हूं और सरकार को पूरा अधिकार है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि पेमेन्ट पहले करेंगे और उसके बाद में मोत्तिल करने की कार्यवाही करेंगे या मोत्तिल पहले करके पेमेन्ट को लहुतलाली में पटक रखेंगे ?

श्री माधोसिंह : मैं विरोधी पक्ष के नेता महोदय को नम्र निवेदन करूंगा कि पेमेन्ट कोई भी अधिकारी कर सकता है और कसूरवार पहले भी मोत्तिल किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री फतेहसिंह।

सैनिक विश्राम गृह, अजमेर

34. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि अजमेर शहर में एक सैनिक विश्राम गृह है जिसका निर्माण पोस्टवार रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो इसके निर्माण में कितना व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि इस विश्राम गृह का हाल तथा जे. सी. ओज कक्ष पिछले कुछ महीने पहले कलेक्टर अजमेर ने जिला सप्लाई एवं राशनिंग विभाग को अपने दफ्तर के उपयोग के लिए दे दिया है जिससे विश्राम गृह लेने के इच्छुक सैनिकों एवं जे. सी. ओ. को असुविधा एवं परेशानी हो रही है ?

उपमन्त्री, सैनिक कल्याण (श्रीखेतसिंह): (1) जी हां, यह सही है कि अजमेर शहर में एक सैनिक विश्राम गृह है, परन्तु यह सही नहीं है कि इसका निर्माण केवल पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड द्वारा ही कराया गया था।

इस विश्राम गृह के निर्माण में कुल 60,876 रुपये व्यय हुए थे इसमें से उपरोक्त फण्ड से केवल 15,[illegible]13 रुपये ही दिये हुए थे।

(2) जी हां, कुछ दिन पूर्व जिलाधीश, अजमेर ने एक हाल तथा एक जे. सी. ओज. का एक कक्ष तथा दो स्टोर के कमरे सैनिक विश्राम गृह कमेटी के प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् जिला रसद कार्यालय को किराये पर दिये है।

यह सही नहीं है कि इससे सैनिक विश्राम गृह में विश्राम लेने के इच्छुक सैनिकों एवं जे. सी. ओ. को किस प्रकार की असुविधा एवं परेशानी हो रहा है।

श्री लाभचन्द वेद : ग्रह या गृह।

श्री फतेहसिंह : सरकार ने विश्राम गृह कमेटी कौन सी बताई है ?

श्री खेतसिंह : जिलाधीश, अजमेर उप-निरीक्षक, विद्यालय, अजमेर, सहायक एम्प्लायमेन्ट आफिसर, श्री भोमसिंह, सूबेदार लाल मोहम्मद, रामचन्द्र, सचिव जिला बोर्ड ।

श्री फतेहसिंह : यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था और उस समय इस सैनिक विश्राम गृह कमेटी में कौन से सदस्य उपस्थित थे ।

श्री खेतसिंह : आप बहुत ही डिटेल में चले गये । अगर आप यह चाहते हैं कि खाली करवा दें तो आप इस कमेटी से वापस प्रस्ताव पारित करवा दें ।

श्री फतेहसिंह : सारी बोगस कार्यवाही हुई है । कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है । भूतपूर्व सैनिकों ने मेरे सामने यह बात रखी है कि उनको असुविधा हो रही है और आप कह रहे हैं कि किराये पर दिया गया है उससे सैनिकों को कोई असुविधा नहीं हो रही है । मैं, श्रीमन्, पूछना चाहता हूं कि कोई भी सैनिक विश्राम गृह में विश्राम लेने को आयेगा तो कहां जायेगा ? उसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है । उससे उसको असुविधा होती है या सुविधा होती है ।

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, दो कमरे तो खाली रहते हैं उनके अन्दर कोई भी विश्राम कर सकता है इसके बावजूद मेजर साहब का आग्रह है तो खाली करा देंगे । हम तो इनके फायदे के लिये करना चाहते हैं । किराया मिलेगा ता मरम्मत हो जायगी और विश्राम गृह ठीक तरह से रहेगा । वे नहीं चाहते हैं तो क्या दिक्कत है । रसद कार्यालय से कह देंगे तो वहां से कार्यालय हटा कर दूसरा मकान किराये पर ले लेंगे ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : किराया लेकर ही मरम्मत करायेंगे दूसरे प्रोविजन से मरम्मत नहीं करायेंगे ।

श्री खेतसिंह : वार रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड होते हुए वह बढ़ता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टरों के बंगले किराये पर दे दें ।

श्री फतेहसिंह : इस विश्राम गृह में तीन कमरे हैं जिसमें से एक में साधारण सैनिक ठहरते हैं, दूसरे में आई. सी. ओ. और तीसरे में जे. सी. ओ. । एक जे. सी. ओ. का कमरा किराये पर दे दिया गया है और एक बड़ा हाल किराये पर दे दिया गया है । अभी आर्मी कालेज में भर्ती होने के लिए बहुत से विद्यार्थी आये थे तो वहां के प्रिन्सीपल ने लिखा था कि 30 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए स्थान सुरक्षित रख दिया जाय, लेकिन वहां पर कोई स्थान नहीं था । बड़ा हाल दे दिया गया था जहां कि विद्यार्थी इतनी बड़ी संख्या में ठहर सकते थे । मैं निवेदन करता हूँ कि आर्बिट्रेरी तरीके से कलेक्टर ने उसको किराये पर दे दिया है तो इसको खाली करवायें ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इनको नोटिस देकर खाली करवा दूंगा ।

श्री फतेहसिंह : थैंक यू ।

(12.00 मध्यान्ह)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

Page No 26

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह 'पेय जल की व्यवस्था' वाला हन्सराजजी का महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : यह ले लिया जाये तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : इसको पोस्टपोन कर देते हैं। अगले टर्न पर ले लेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको ले लिया जाये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री दौलतराम सारण : आगे 10 मिनट एडजस्ट कर लेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो चुका है। जानता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 बज चुके हैं। माननीय सदस्य और प्रश्न पूछने लगेंगे। इसलिए इसको दूसरे समय के लिए रख लिया जाये। काफी समय दे दिया।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न की महत्ता को देखते हुए इसको ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं लिया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी क्या बात है? अभी 12 बजे ही हैं। या सरकार तैयार नहीं हो तो दूसरी बात है? समय के बाद भी प्रश्न हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तैयारी की बात नहीं है। समय समाप्त हो चुका है। समय के बाद अब नहीं।

श्री दौलतराम सारण : आसन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को आपत्ति है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला टोंक में सड़कों पर व्यय

27. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला टोंक की सड़कों के लिए वर्ष 1970–71 में कुल कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है?

(2) क्या यह सही है निम्न सड़कों के लिए भी कुछ धनराशि रखी गई है—

(क) टोंक से सवाई माधोपुर वाया उनियारा

(ख) उनियारा से इन्द्रगढ़, लाखेरी

(ग) उनियारा से नगर

(श्री दिग्विजयसिंह)

(घ) कोड़ से नगर

यदि रखी है, तो कितनी कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि उनियारा क्षेत्र की सड़कों पर धनराशि इसलिए नहीं रखी जाती है क्योंकि वहां से विरोधी पक्ष जीत कर आता है।

(4) क्या सरकार सड़कों पर धनराशि का आवंटन क्षेत्रीय आधार पर करती है। यदि नहीं, तो टोंक के जिले में अब तक किस किस सड़क पर कितना कितना व्यय किया गया है ?

(5) क्या टोंक सवाई माधोपुर व उनियारा इन्द्रगढ़ सड़कों के प्रावधान वर्ष 68-69 में कमी की गई है ? यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वार्षिक योजना के वर्ष 70–71 के अन्तर्गत 5.23 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(2) टोंक से सवाई माधोपुर वाया उनियारा रोड हेतु वर्ष 70–71 में 0.50 हजार रुपये का प्रावधान है। शेष सड़कों पर इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं, यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी बार वहां पर विरोधी जीतें।

(4) जी नहीं, सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक मजदूरों तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले

17. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में औद्योगिक मजदूरों के विरुद्ध कितने मामले पुलिस में गत दो वर्षों से दर्ज किए गए हैं ? उनमें से कितने पुलिस की तफतीश में हैं ? कितने न्यायालयों में चालान कर दिये गये हैं तथा कितनों के फैसले हो गए हैं ? कितने मामलों की जांच हुई व कितने मामले सरकार ने वापिस किए ?

(2) राजस्थान में कितने राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस में केस गत दो वर्षों में दर्ज किए गए ? उनमें से कितने पुलिस तफतीश में हैं ? कितने अदालतों में चालान कर दिए गए हैं ? कितने मामलों के न्यायालयों में फैसले हो गए हैं ? कितने मामलों में सजायें हुई हैं कितने मामलों में बरी हो गए हैं ? कितने सरकार ने वापिस लिए हैं ?

(स्थगित किया गया)

पंचवर्षीय योजनाओं में खनिज उद्योगों का लक्ष्य

18. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना काल में खनिज उद्योग हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) क्या उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई? अगर नहीं, तो क्या कारण है? विस्तृत में जानकारी दें।

(3) क्या यह सही है कि निर्धारित धनराशि का योजना कालों एवं वार्षिक योजनाओं में पूर्ण उपयोग नहीं हो सका? अगर हां, तो क्यों? कृपया पूरा व्योरा दें।

उत्तर

1. पंचवर्षीय योजना में खनिज विकास के लिए कोई योजना नहीं रखी गई थी और न वित्तीय प्रावधान ही रखा गया है?

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खनिज विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं रखी गई थीं :—

(1) वेस्ट मई का ग्राइन्डिंग प्लांट को भीलवाड़ा में स्थापित करना।

(2) फूलर्स अर्थ का प्लांट को श्री कोलायतजी में स्थापित करना।

(3) खानों के सुधार के लिए मशीनें खरीद कर किराये पर देना।

(4) प्रोस्पेक्टिंग करने लिए मशीनें खरीदना।

(5) खान एवं खदानों तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण करना।

इन में से स्कीम नं 1 व 2 को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्यों कि प्रथम के लिये भारत सरकार ने विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी।

द्वितीय के लिये यह निश्चित किया कि उसे प्राइवेट सेक्टर में दिया जाय। बाकी तीनों स्कीमों के अनुसार मशीनरी खरीद कर के प्रोस्पेक्टिंग का कार्य किया गया व खानों के इम्प्रूवमेंट के लिए मशीनें खरीद कर खनन पट्टाधारियों को किराये पर दी गईं।

5वीं स्कीम के अनुसार जहां प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध थे व मेन सड़कों में इन खदानों को मिलाना था अन्तर्गत वहां पर करीब 12 सड़कें पाई गईं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्कीमें ली गईं :—

(1) इन्टेंशिव प्रोस्पेक्टिंग स्कीम

(2) क्वारी इम्प्रूवमेन्ट स्कीम

(3) छोटे खनन पट्टाधारियों को खानों में सुधार करने के लिये ऋण देना।

(4) फ्लोराइट प्रोजेक्ट

(5) खदानों से मिलने वाली सड़कों का निर्माण।

प्रथम स्कीम में 83 इनवेस्टीगेशन किये गये व खनिजों का सर्वेक्षण किया गया था व निदेशालय में भी लेबोरेटरी की स्थापना की गई व आवश्यकतानुसार अधिकारी व कर्मचारी बढ़ाये गये।

दूसरी स्कीम में भी पट्टाधारियों को किराये पर देने के लिए करीब 10 लाख की लागत से रेलस, टब, जेक हैमर्स, कम्प्रेसर, ट्रेक्टर, ट्रक व अन्य कई इसी तरह के यंत्र खरीदे गये व करीब सालाना 20 पट्टाधारियों को बिना हानि लाभ के आधार पर किराये पर दिये गये।

Page No 29

(खनिज मन्त्री)

तीसरी स्कीम के अनुसार छोटे खनन पट्टाधारियों को उनके खानों के सुधार के लिये 3 लाख 50 हजार रुपयों का ऋण दिया गया।

चौथी स्कीम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा फ्लोराइट खानों को प्रमुख सड़कों से मिलाया गया।

पांचवीं स्कीम के लिए 35 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया पर बाद में उसे घटा दिया गया क्योंकि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में देरी हो गई। इस समय में प्रोजेक्ट रिपोर्ट व बेनीफीसियेशन का कार्य किया गया।

2. इन स्कीमों में वित्तीय प्रावधानों में सरकार द्वारा समय समय पर कमी किये जाने के कारण निर्धारित तथ्यों के अनुसार प्रगति नहीं हो सकी।

3. निर्धारित धनराशि जो राज्य सरकार ने समय समय पर दी उसका योजना कालों में पूर्ण उपयोग हुआ है केवल 3%, बचत रही जो कि नहीं के बराबर है।

जन स्वास्थ्य अधिशासी अभियन्ता का जालौर में खन्ड

19. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जालौर में अभी तक जन-स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियन्ता का खण्ड अलग नहीं खोला गया है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि योजनाओं को देखते हुए जालौर में विभागीय अलग खण्ड व सांचोर व भीनमाल में खोलने के पूरे आधार हैं? अगर हां, तो यह खण्ड व उप-खण्ड कब तक खोल दिये जावेंगे? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

1. जी हां, स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

2. राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भादरा वाटर वर्क्स

20. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा भादरा के वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से कब तक समाप्त कर दिया जावेगा?

(2) इस वाटर वर्क्स पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

(3) क्या वाटर वर्क्स को बिजली का कनेक्शन मिल चुका है?

(4) यदि हां, तो कब?

(5) वाटर वर्क्स पर यदि बिजली का कनेक्शन मिल चुका है तो कस्बे को पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(6) कस्बे को पीने का पानी कब तक दे दिया जावेगा?

(7) क्या पानी फिल्टर करके दिया जायेगा?

उत्तर

1. वित्तीय वर्ष 1970-71 के अन्त तक।

Page No 30

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

2. सितम्बर 70 तक कुल 9.40 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

3. अभी तक नहीं मिला।

4. बिजली के कनेक्शन के लिये आवश्यक कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है।

5. अभी बिजली का कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है बिजली का कनेक्शन प्राप्त होने के पश्चात् लगभग 2 माह के बाद पाइप लाइन इत्यादि टेस्ट की जाकर पानी वितरण करना शुरू कर दिया जावेगा।

6. विद्युत् कनेक्शन के प्राप्त होने के लगभग दो माह पश्चात्।

7. जी हां।

मकराना में पीरजी के नले से डूब में आने वाली बस्तियां

21. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि मकराना का पुस्तकालय पंचायत समिति दफ्तर, हायर सेकन्डरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल, नगरपालिका भवन, माली मोहल्ला व गोडाबास मोहल्ला मय हरिजनों की बस्ती प्रति वर्षा के समय पानी की डूब में आते हैं?

(2) क्या यह सही है कि यह पानी पीरजी के नले को खेतों वालों द्वारा रोके जाने से इधर आता है जिससे रेल्वे लाइन को भी खतरा रहता है?

(3) क्या सरकार इस नले को रोकने वालों के विरुद्ध ठोस कदम उठाकर उसे पुनः जल्द से जल्द चालू करवा कर बस्तियों को डूब से बचाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) एक साथ अधिक वर्षा हो जाने पर इन मोहल्लों एवं भवनों के पानी की डूब में आ जाने की आशंका बनी रहती है।

(2) जी हां।

(3) इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

नगर विकास न्यास

22. श्री हंसराज आर्य (भांदरा): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कितनी नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनसे भूमि विक्रय के अधिकार ले लिये हैं?

(2) कितनी नगरपालिका क्षेत्रों में नगर विकास न्यास बना दिये गये हैं और कितने विचाराधीन हैं?

(3) जिन नगरपालिका क्षेत्रों में नगर विकास न्यास नहीं बनाये गये हैं उनमें कब तक कायम कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसी भी नगरपालिका के भूमि बेचान के पूरे अधिकार नहीं लिए गये है। जिन नगरपालिकाओं में नगर विकास न्यास से अथवा जो नहरी योजना क्षेत्र में हैं उनमें भूमि बेचान के अधिकार उनके क्षेत्राधि-

(स्वायत्त शासन मन्त्री)
कार से उन्ही भूमियों के बाबत वापिस लिए हुए हैं जो ऐसे नगर न्यास अथवा केनाल प्रोजेक्ट के घोषित सीमा क्षेत्रों में आ गई हैं।

(2) 12 नगरपालिका क्षेत्रों में नगर विकास न्यास बना लिये गये हैं व श्री गंगानगर में नगर विकास न्यास बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) फिलहाल अन्य नगरों में विकास न्यास कायम करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

बाईजी का तालाब जोधपुर

23. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में जालोरी गेट के अन्दर नाले पर निर्माणाधीन सड़क के लिये बाई जी के तालाब की नहर तोड़ी गई है ? यदि हां, तो इस नहर के टूट जाने के कारण बाईजी के तालाब में पानी पहुँचाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस तालाब की भूमि को प्लाट काट कर बेचे जाने का विचार है ?

(3) क्या यह सही है कि इस तालाब के नहीं भरने के कारण पानी की कठिनाई और अधिक बढ़ जायगी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सड़क निर्माण के समय नहर टूट गई थी किन्तु उसे ठीक करवा दिया गया है। अतः पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) नगरपरिषद् द्वारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

चित्तौड़गढ़ जिले की सड़कें

24. रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चितौड़ जिले में किन किन सड़कों के लिये कितनी कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है तथा कौन कौन सी सड़कों पर प्रावधान के अनुसार कार्य पूरा हो गया है ?

(2) उक्त जिले की ऐसी सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिन पर कार्य हुआ है और प्रावधान के अनुसार कार्य बाकी है ?

(3) सी.डी.वर्क में बिजयपुर पुलिया पर कितनी धनराशि का आवंटन हुआ और बिजयपुर-कनेरा रोड पर भी क्या धनराशि का आवंटन हुआ है ? यदि नहीं, तो कब तक रकम का आवंटन हो जावेगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि होडा-भदेसर आवरी माता तथा आवरी माता से निकुम तक सड़क की मंजूरी हुई थी ? यदि हां, तो इस सड़क की क्या स्थिति है तथा कहां तक बनी है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (क) संलग्न है।

(3) 1970-71 के योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में कोई धनराशि का आवंटन इन कार्यों हेतु अभी तक नहीं किया गया है।

(4) जी हां, सूची (क) संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री छगनसिंह जी से माता की भर तक सड़क

25. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खान श्री छगन सिंह जी से लेकर माता की भर, धोबी डूंगरी खान नं. 1 तक सड़क नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि बिना सड़क के उन खानों वालों को पत्थर लाने ले जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है जिसमें करीब 40 खाने आती हैं?

(3) क्या राज्य सरकार जल्द से जल्द इस सड़क को पूरा कर उपरोक्त खानों को सहूलियत प्रदान करने का विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

कैथून थाना हैडा सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

26. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कैथून थाना हैडा (झालावाड़ पी. डब्लू. डी.) की मरम्मत किन किन स्थानों पर कब कब करवाई गयी थी और उस पर कितना धन खर्च किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क की दशा शोचनीय है और उस पर बसों के आने जाने में दिक्कत होती है? यदि हां तो इसकी मरम्मत कब तक करवादी जावेगी?

(3) कैथून थाना हैडर रोड पर पुलियाएं बनना किन किन स्थानों पर बाकी है और किन किन स्थानों पर पुलियायें टूटी हुई हैं? पुलियाओं की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी?

(स्थगित किया गया)

कोटा व झालावाड़ की बाढ़ग्रस्त सड़कें

27. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा व झालावाड पी. डब्लू.डी. डिवीजन में बाढ़ की क्षति को पूरा करने के के लिए 1969-70 में कितनी राशि किन किन स्थानों के लिए मंजूर की गई थी? कृपया अलग अलग स्थानों सहित मंजूर की गई राशि की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर मंजूर शुदा रकम के अतिरिक्त कितनी धनराशि खर्च की गई और किन स्थानों पर कृपया बतावें?

(3) सांगोद राजगढ़ रोड पर बाढ़ से क्षति का क्या अनुमान लगाया गया था

Page No 33

(श्री जुझारसिंह)
और उस पर कितनी रकम खर्च की गई है ? इस सड़क पर मरम्मत न किये जाने के कारण हैं ?

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर जिले की सड़कों की हालत

28. श्री अवगलाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले में सभी सड़कों की दशा अत्यन्त शोचनीय है ? यदि हां तो उनके सुधार के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(2) यदि कोई योजना नहीं बनाई तो क्यों ?

उत्तर

(1) सड़कों की दशा सामान्यता ठीक है । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली मरम्मत धन राशि अनुसार कार्य करने की योजना है ।

उदयपुर वाटी पंचायत समिति म आदिवासी हरिजनों को भूमि का आवंटन

29, श्री शिवनारायसिंह (गुढा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

झुंझुनूं जिले की उदयपुर बाटी पंचायत समिति क्षेत्र में 2 अक्टूबर, 1969 से 31 अगस्त 1970 तक कितनी भूमि आदिवासी हरिजनों को अलोट की जा चुकी है तथा उसमें से कितनी जमीन पर कब्जा दिलाया जा चुका है ?

उत्तर

सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

प्रतापगढ़ तहसील में भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन

30. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़):— क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चितौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में अक्टूबर, 1969 से आज तक कितने को भूमि अलाट की गई ?. ग्राम पंचायत वार किस किस किसान को कितनी कितनी भूमि अलाट की गई एवं कब व जिन लोगों को भूमि अलाट की गई है वे किस किस जाति के हैं ?

(2) क्या यह सही कि मध्यप्रदेश आदि जगह के रहने वाले बाहर के लोगों को भी भूमि अलाट की गई है जो यहां और वहां दोनों जगह रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के नाम से अन्य लोगों ने जमीने अलाट करवाली है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर जिला चित्तौड़गढ़ गांव की तहसील प्रतापगढ़ में अक्टूबर, 69 से अब तक 544 भूमि

(राजस्व मंत्री)
तीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है, क्योंकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई ऐसा मामला प्रकट नहीं हुआ है।

(3) यह सही नहीं है, क्योंकि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई मामला प्रकट नहीं हुआ।

ऊंट सवार की पेन्शन का मामला

31. श्री फूल चन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण सिंह चांपावत नामक ऊंट सवार तहसील बाली में (जिला पाली) राजकीय सेवा में थे और उनका स्वर्गवास 1 जून, 1961 ई. को हुआ था?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त श्री कल्याणसिंह चांपावत की पेन्शन आज दिन तक उनके परिवार को नहीं दी गई जब कि रजिस्टर्ड पोस्ट से बार बार आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में जिलाधीश पाली को दिये गये उनके परिवार जनों द्वारा?

(3) अब कब तक उपर्युक्त चुकारा कर दिया जायेगा? कृपया निश्चित समय बतायें?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इसका कारण यह है कि श्री कल्याणसिंह के परिवार के सदस्यों द्वारा कोई दरख्वास्त पेश नहीं की गई थी मृतक की धर्मपत्नी ने दिनांक 25-9-70 को एक प्रार्थना-पत्र तहसील पाली में पेश किया है जो निर्धारित फार्म भराने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) पेंशन देने की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि पेन्शन मामला तैयार होकर महालेखाकार को भेजा जायेगा वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर शीघ्र चुकारे की कार्यवाही की जायेगी।

अस्थाई ट्रेन्ड कानूनगो की संख्या

32. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अभी राजस्थान में ऐसे अस्थाई कानूनगो (लेण्ड रिकार्ड) की संख्या कितनी है जो पांच साल से चल रहे हैं?

(2) इन अस्थायी कानूनगो को कब तक स्थाई किया जावेगा और अभी तक अस्थाई क्यों चलाये जा रहे हैं?

(3) क्या स्थाई किये जाने का सरकार का कोई नियम है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

सादड़ी (जिला पाली) चक नं. 2 का रास्ता खोलने का अदालत द्वारा निर्णय

33. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अदालत

Page No 35

(श्री फूलचन्द बाफना)

तहसीलदार देसूरी (जिला पाली) में मुकदमा नम्बर 1178-66 का निर्णय तहसीलदार ने तारीख 25-6-68 को दिया और क्रमांक 641 ता. 27-9-68 द्वारा तहसीलदार ने पटवारी सादड़ी (जिला पाली), चक नं. 2 को निर्णयानुसार शीघ्र तामील कर रास्ता खुलवाया जाकर तामीली रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने का लिखा ? यदि हां, तो आज तक इस क्रम में क्या कार्यवाही की गई और कार्यवाही के फलस्वरूप रास्ता खुलवाया गया कि नहीं ?

(2) उपर्युक्त मुकदमा नम्बर 1178-66 के ता. 25-6-68 के निर्णय की प्रतिलिपि एवं इस सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा सादड़ी के पटवारी (चक नं. 2 के) को लिखे गये उपर्युक्त आदेश क्रमांक 641 ता. 27-9-68 की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जावे।

(3) तहसीलदार ने अपनी सम्बन्धित आज्ञा में रास्ता खुलवाने की समय सीमा एक सप्ताह दी हुई थी परन्तु अभी तक रास्ता क्यों नहीं खुलवाया गया और अब कब तक रास्ता खुलवा दिया जायगा।

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को भूमि का आवंटन

34. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पिछली एक साल में सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को कितनी भूमि आवंटित की गई है ?

(2) भविष्य के आवंटन करने के लिए क्या मापदण्ड व सीमा अपनाई गई है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के 1493 व्यक्तियों को 5105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। अनुसूचित जनजाति के 973 व्यक्तियों को 2394 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

(2) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत 10 एकड़ असिंचित भूमि आवंटन करने की सीमा निर्धारित की गई है।

काश्तकारों को खातेदारी हक

35. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की दफा 15 एवं 19 के अन्तर्गत कितने काश्तकारों को विभिन्न जिलों में खातेदारी हक प्राप्त हुए ? जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की दफा 15 एवं 19 के अन्तर्गत जितने काश्तकारों को खातेदारी हक प्राप्त हुए, उनकी जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची संलग्न है)

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

Page No 36

जैसलमेर जिले के काश्तकारों को भूमि का अलाटमेन्ट

36. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में जब भूमि का सेटलमेंट चल रहा था उस समय अकाल होने के कारण कई लोगों के खेत नापे बिना ही रह गये हैं? अगर हां, तो राज्य सरकार यह मुनासिब नहीं समझती है कि जनता की सुविधा के लिए कुछ समय के लिए एक अधिकारी मय विभाग के कर्मचारी जैसलमेर को भेजे जिससे अकाल के कारण वंचित लोगों को अपनी भूमि नापने का मौका मिल जावे?

(2) अगर हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी यह सही नहीं है, किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जनता की सुविधा के लिए अधिकारी मय आवश्यक कर्मचारियों के मौके पर भेज कर पुनः प्रत्येक खेत को तस्दीक कराई जा रही है।

(2) पुनः तस्दीक का कार्य माह नवम्बर, 1970 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

जैसलमेर में समाज कल्याण विभाग का कार्यालय

37. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर)— क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में समाज कल्याण आफिस हटाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने स्व. माणिकलालजी वर्मा को सीमा सुरक्षा की दृष्टि से सीमा पर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को शिक्षित व विकसित करने के लिए एक योजना बनाने के लिए कहा था और योजना बनादी गई थी और उसके अनुसार कई छात्रावास खोलने की योजना थी और जिला अधिकारी कार्यालय भी जैसलमेर में रखने की व्यवस्था थी अगर हां, तो क्या राज्य सरकार सीमा क्षेत्र के लोगों के हित में उपरोक्त योजना लागू नहीं करना चाहती है? अगर चाहती है तो क्या जिला अधिकारी का कार्यालय वापिस खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि कुछ छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं? अगर हां, तो कुल कितने छात्रावास किस किस जगह है और किस छात्रावास में कितने छात्रों की क्षमता है? छात्रावास वार छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) छात्रावास में प्रवेश किस आधार पर होता है और किसके द्वारा प्रवेश की स्वीकृति दी जाती है? एक छात्र पर कितना खर्च प्रति माह किया जाता है?

(5) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग ने एक भी छात्रावास के भवन निर्माण के लिए आज तक राशि स्वीकृत नहीं की है? अगर हां, तो क्यों?

Page No 37

(श्री बालसिंह तोड़ा)

(6) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर स्थित जो सरकारी भवन छात्रावास के हैं उन भवनों की आज तक एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है और भवन सब जगह से गिरने लग गया है और अगर इस वर्ष मरम्मत नहीं हुई, तो वर्षा में मकान गिरने का अन्देशा है जिससे छात्रों को हानि हो सकती है ?

(7) क्या राज्य सरकार रामदेवरा में छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि ग्राम रामदेवरा में एक अनुसूचित जाति का छात्रावास सहायता द्वारा गत वर्ष चल रहा था और इस वर्ष उसकी सहायता बन्द करदी गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले से समाज कल्याण कार्यालय को हटाने का कारण प्रशासनिक व्यय में आर्थिक कटौती है।

(2) इस योजना की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। परन्तु श्री वर्मा की अध्यक्षता में एक समाज कल्याण सम्बन्धी समिति अवश्य थी उसकी सिफारिश पर समाज कल्याण कार्यालय जैसलमेर में खोला गया था और कुछ छात्रावास प्रारम्भ किये गये थे जो अब भी चालू हैं। प्रशासनिक दृष्टि से जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के कार्यालयों को एक कर दिया है। अब कार्यालय बाड़मेर है फिलहाल जैसलमेर में कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां, जैसलमेर में कुल 5 छात्रावास चलाये जा रहे हैं। जिनकी सूचना निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	योजना	स्थान	छात्र सं.
1.	अनुसूचितजाति जनजाति	जैसलमेर	30
2.	अनुसूचित जाति	,,	65
3.	,,	रामगढ़	30
4.	,,	पोकरण	30
5.	,,	मावना	30

(4) छात्रावास में प्रवेश प्रबन्ध सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया जाता है प्रवेश की स्वीकृति उक्त समिति ही देती है। एक छात्र पर प्रति माह 60/- रुपये औसतन व्यय होता है।

(5) जी नहीं। उक्त छात्रावासों के लिए जो पहले संस्थाओं द्वारा चलाये जाते थे, प्रत्येक के लिए 5000/- रुपये वर्ष 64-65 में स्वीकृत किये गये थे जो उनके द्वारा खर्च न किए जाने पर 65-66 वर्ष में अनुदान की राशि में एडजस्ट कर लिये गये।

(6) जैसलमेर में छात्रावास का एक सरकारी भवन है और उसकी पहले मरम्मत नहीं हुई है। यह सत्य नहीं है कि भवन सब जगहों से गिरने लग गया है। हां एक तरफ दीवार में दरारें पड़ गई हैं और मरम्मत की शीघ्र आवश्यकता है।

(7) मामला विचाराधीन है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(8) जी हां, छात्रावास बिना विभाग की मान्यता व स्वीकृति के प्रारम्भ कर दिया गया था। इस कारण चलाने वाली संस्था को अनुदान नहीं दिया जा सका।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने चम्बल घाटी क्षेत्र में डाकुओं द्वारा दिन दहाड़े छोटे बच्चों का अपहरण करने आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से प्राप्त हुई है जिसमें राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अजमेर डिविजन में जो धनराशि खर्च की गई है वह जन संख्या के अनुपात में कम होने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(3) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से कार्यवाही न किये जाने से भूमिहीन किसानों में असन्तोष व्याप्त है।

(4) श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि से खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने नगरपालिका, सवाई माधोपुर के चुनाव में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा है कि जिला गंगानगर में पुलिस अधिकारियों की गलत कार्यवाही के विरुद्ध रेल्वे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, जिससे जिला गंगानगर में चलने वाली रेलगाड़ियां कल से बन्द हो गई हैं।

(7) श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री नन्दलाल, सदस्य विधान सभा ने पश्चिमी बंगाल से राजस्थान में आये बंगाली विस्थापितों की देवली कैम्प में अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(8) श्री नन्दलाल व श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने एक और स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना दी है जिसमें जिला कोटा की तहसील किशनगंज के कई गांवों के निरपराध व्यक्तियों को 8 पुलिस द्वारा पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(9) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने और विशेष रूप से 5 वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक लोप हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

Page No 39

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री केसरसिंह हाड़ा सदस्य विधान सभा ने बूंदी के हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्रों को '-10-70' को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर माननीय सदस्यों को यथा शीघ्र सूचित कर दिया जाएगा।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थगन प्रस्तावों की भी सूचना प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं :-

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने नगरपालिकाओं के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) इन्हीं माननीय सदस्य ने बेरी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने की सूचना गत बजट सत्र में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने के उपरांत भी कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से प्राप्त हुई है जिसमें गत सितम्बर में राज्य कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन पर राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(4) श्री देवीलाल बुरासिया, सदस्य विधान सभा ने गांधी शताब्दी वर्ष में केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अब तक अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के सदस्यों को भूमि आवंटन नहीं करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने राज्य सरकार की गलत नीति के कारण अनाज के भाव गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने मकराना नगर में एक अधिकारी द्वारा नगरपालिका के चुनाव में भाग लेने व लोगों पर दबाव डालने आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) श्री हीराभाई व श्री बिट्ठल भाई सदस्य विधान सभा ने संयुक्त समाज वादी दल द्वारा देशव्यापी भूमि मुक्ति आन्दोलन को राज्य सरकार द्वारा दबाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(8) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने जिला गंगानगर के कस्बा भादरा में सरपंच को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने और पुलिस द्वारा मामले की सही जांच न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन, स्थगन

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव के विषय नहीं हो सकते । इसी तरह से सामान्य प्रकृति के मामले यह किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध शिकायत का मामला भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। इनके अतिरिक्त ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री रामचन्द्र आर्य : बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गंगानगर जिले में इतनी अराजकता फैल रही है, उसको यह राज्य मिटा नहीं सकता है । इसलिए इस सरकार का त्यागपत्र ले लेना चाहिए। आमने सामने बन्दूकें चलती हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस बहाना बनाती है, यह फलां के रिश्तेदार हैं।·······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मादरा में एक आदमी को गोली से उड़ा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि इस प्रकार से अपने प्रतिद्वन्द्वियों को ये सत्ताधारी·······

उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस राज्य में सुरक्षा नहीं है, इस लिए गृहमन्त्री जी का वक्तव्य होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप ने यह कहा है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दे दी है। आप आलोचना न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : पुलिस अधिकारी··

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त चर्चा हो गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला गम्भीर है। गंगानगर जिले को राजस्थान सरकार ने नहीं सम्भाला तो बंगाल की तरह वहां नक्सलपंथी पैदा हो सकते हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की घटनायें वहां पर बराबर हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं·······

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य नहीं दे····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

Page No 41

श्री रामचन्द्र आर्य : और इस प्रकार गम्भीर मसले को टालने की चेष्टा की जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला गम्भीर है । इस तरह वहां लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो और उन मामलों की ओर माननीय सदस्यों के द्वारा इशारा किया जाय तो भी सरकार कुछ कार्यवाही नहीं करती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना छोटा नहीं है कि इस तरह से लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बन्दूकधारी पार्टियां आमने सामने खड़े होकर गोलियां चलायें . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार उसके संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करे और वहां के. एस. पी. और पुलिस वाले गुण्डों के साथ हैं । इस प्रकार सत्ताधारी लोग वहां पर कार्यकर्ताओं की हत्या करवाते हैं, इस प्रकार के जो वहां पर कारनामे होते हैं उन सबकी होम मिनिस्टर को सी. बी. आई. के द्वारा जांच करानी चाहिए। यह मामला बहुत गम्भीर है . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती । इसके अन्दर कांग्रेस लोगों की साजिश है । अगर साजिश नहीं है तो वह खड़े होकर कह दें कि इसकी सी. बी. आई. के द्वारा जांच कराई जाय . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों में यह आम धारणा है कि हंसराज आर्य ने उस कार्यकर्त्ता का कत्ल कराया है । हंसराज आर्य . .

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + + + +

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो । आर्डर प्लीज !

श्री हंसराज आर्य : इनकी आदत पड़ गई है । यह आदत से लाचार हैं । इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आदत से लाचार नहीं हूं । मैं सही बात कह रहा हूं ।

श्री हंसराज आर्य : आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अगर यह बात सही नहीं है तो सी. बी. आई. के द्वारा जांच करवा [illegible] अगर आप निर्दोष है तो . .

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है

श्री हंसराज आर्य : सरासर झूठ है

श्री रामचन्द्र आर्य : + + + + +

+++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ++++++

श्री उपाध्यक्ष : यह बात पहले कह चुके हैं। माननीय सदस्य, यह कह चुके हैं। आप दोहरा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं दोहरा नहीं रहा हूं, मैं मांग कर रहा हूं राजस्थान सरकार गंगानगर की स्थिति को सम्भाले, जो वहां पर गुण्डागर्दी हो रही है उसको सम्भाले ...

श्री उपाध्यक्ष : यह बात पहले आ चुकी है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं दुबारा यह बात कहता हूं कि भादरा के अन्दर जो सरपंच का कत्ल हुआ उसकी सी. बी. आई. के द्वारा जाच करानी चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक चार्ज माननीय सदस्य ने सीरियस लगाया है। इस सदन के माननीय सदस्य श्री हंसराज आर्य, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के ऊपर आरोप लगाया है। यह गम्भीर आरोप है और इसके बारे में कोई न कोई स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब कि इस प्रकार का आरोप लगाया जाय कि जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है तो इसका स्पष्टीकरण सदन के सामने आना चाहिए।

श्री हंसराज आर्य : इनको तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं आम जनता की धारणा के बारे में जानकारी देता हूं। अगर हंसराज जी सही हैं तो वह सी. बी. आई. के द्वारा इस मामले की जांच करायें क्योंकि राजस्थान की पुलिस तो इस मामले की जांच नहीं कर सकती है, राजस्थान की पुलिस के ऊपर तो यह लोग छाये हुए हैं ....

श्री हंसराज आर्य : झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यह असत्य है।

श्री रामचन्द्र आर्य : असत्य है तो इसकी सी. बी. आई. के द्वारा जांच करायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को चर्चा से हटा दिया जाय।

श्री हंसराज आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, असत्य बात कहने की तो इनको आदत पड़ गई है। कल कहा कि नोहर नगरपालिका के दलपतसिंह हमारे उम्मीदवार थे और उनके लिए वोट मांगे। और जो हारे वह हमारे आदमी नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपका आदमी नहीं हो तो क्या कत्ल करवा सकते हैं। आपके आदमी को झूठे और फर्जी वोट मिले तो उसको रहने का अधिकार है ?

श्री हंसराज आर्य : यह भी असत्य है, बिल्कुल असत्य है।

श्री रामचन्द्र आर्य : असत्य नहीं है। इसकी जांच करवायी जाय। असत्य हुआ तो मैं त्याग पत्र दे सकता हूं। यह बिल्कुल सत्य है, यह जानबूझ कर ....

++++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस्तीफा लिख कर दे दीजिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको अगर इस बात से दर्द होता है और आप कहते हैं कि यह सत्य नहीं है तो आप सदन में खड़े होकर कह दें कि इस मामले की होम मिनिस्टर सी. बी. आई. से जांच करवा लें ।

श्री हंसराज आर्य : यह मेरा काम नहीं है । सरकार का काम है । सरकार जो चाहे वह करे । यह सरकार का काम है, मेरा नहीं है । आपकी बात असत्य है, सेंट परसेन्ट असत्य है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आम लोगों को धारणा है कि भादरा कस्बा में जो गोली काण्ड हुआ उसमें वहां के एम. एल. ए. का हाथ है । मैं उस इलाके में शामिल हूं, घर घर पर गया हूं और आम लोगों से मिला हूं। वहां बच्चे बच्चे की जबान पर यह बात है तो फिर मैं कैसे मान लूं कि यह बात गलत है । ठीक है आप गलत मानते हैं और अपने को निर्दोष मानते हैं तो आप शासन को कह दें, होम मिनिस्टर को कह दें कि इसको जांच केन्द्रीय पुलिस से करवायी जाय ताकि मामला साबित हो जाय, नहीं तो हंसराज जी, आपका दामन साफ नहीं हो सकता क्योंकि आम लोगों की यह धारणा है···

श्री हंसराज आर्य : बिल्कुल असत्य है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने आपके खिलाफ आरोप नहीं लगाया है, मैंने जान बूझ कर आरोप नहीं लगाया है । आप यह समझते हैं कि यह केवल रामचन्द्र आर्य कह रहा है, यह सही नहीं है, वहां के एक लाख आदमियों की यह मांग है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें । आप पन्द्रह मिनिट ले चुके हैं ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जब सत्यमेव के नीचे बैठे हैं तो असत्य मेव का सवाल नहीं है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वाकई एक मर्डर हुआ है ! इसलिए यह बात सही नहीं है कि आज राजस्थान के अन्दर कोई गोली से मारा जाय तो उसके सम्बन्ध में सदन में बात नहीं कर सकते, उसके सम्बन्ध में सवाल नहीं कर सकते, होम मिनिस्टर से जांच की मांग नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है, बार बार निवेदन किया है, लेकिन नियमों के अन्तर्गत, जो नियमों में आता है उस सवाल को उठाने की पूर्ण स्वतंत्रता है । आप इसको किसी अन्य तरीके से उठा सकते हैं ।

श्री मदनसिंह : कांग्रेस के लिए कोई ऐसी बात हो जाय तो आप हल्ला मचा देंगे, लेकिन राजस्थान के अन्दर····

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला गम्भीर है ।

श्री मदनसिंह : इस प्रकार का कोई कत्ल हो जाय तो उसके बारे में कह नहीं सकते ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है । आपने व्यवस्था दी

(श्री रामचन्द्र आर्य)
है, वह ठीक है लेकिन इस पर होम मिनिस्टर को वक्तव्य दे देना चाहिए।

श्री मदनसिंह : होम मिनिस्टर कह दें कि नहीं मारा गया है । क्योंकि मारा गया है इसलिए इनका अधिकार है ....

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री मदनसिंह : नहीं मारा गया है; यह बात कह दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत बात क्यों कहते हैं। मारा गया है, यह बात कहें।

श्री हंसराज आर्य : माननीय सदस्य, जान बूझ कर गलत बात कह रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है– यह जांच का विषय है। लेकिन यह घटना सनसनीखेज है कि एक निर्वाचित सरपंच को भादरा के ग्राम बाजार में गोली से मार दिया गया, दिन दहाड़े–इससे बढ कर कोई सनसनीखेज घटना नहीं हो सकती है । इतनी बड़ी घटना को लाइटली लेना और उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कार्यवाही नहीं करना खेदजनक है। मैं आसन से निवेदन करूंगा कि इस घटना को साधारण नहीं समझा जाय। यह घटना वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना है, इसके कारण वहां लोगों में आतंक है और दहशत है । वहां आम आदमियों में अफवाह है कि असली कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। कौन कातिल है, कौन कातिल नहीं है, किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है–इस पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। यह विवादास्पद मामला है, विवादास्पद मुद्दा है जो जांच से ही क्लीयर हो सकता है इसलिए इसकी सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। यह साधारण मामला नहीं है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि को सरे आम, दिन दहाड़े हत्या कर देना, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, हम सबके लिए चैलेंज है और यह हमारे अस्तित्व की रक्षा का सवाल है। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष तौर से जांच करवाई जाय। इसके साथ ही माननीय सदस्य सी. बी. आई. द्वारा इसकी जांच कराने की मांग करते हैं उसको भी मैं अनुचित नहीं मानता हूं क्योंकि बहुत से साधारण साधारण मामलों में मुख्यमंत्री जी ने सी.बी.आई. के द्वारा जांच करवाई है तो इस मामले में सी. बी. आई. के द्वारा जांच करने की मांग करते हैं तो मै उसमें औचित्य देखता हूं क्योंकि इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की जीवन रक्षा का प्रश्न निहित है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अर्ज कर दूं एक मिनिट ....

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक मिनिट के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। जो कत्ल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने यहां बात कही है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह कत्ल होना बहुत ही खेदजनक घटना है । लेकिन पुलिस की तरफ से इस सम्बन्ध में फौरन कार्यवाही हुई है । मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है हथियार बरामद कर लिये गये हैं और जो बन्दूक पकड़ी गई है उसे एक्सप्लोजिव एक्स-

(श्री दामोदरलाल व्यास)
पर्ट के पास भेज दिया गया है। इस मामले में तफतीश जारी है और जैसे ही तफतीश पूरी हो जायगी, मामले का चालान अदालत में पेश कर दिया जायगा। इसलिए यह कहना कि पुलिस की तरफ से कमी रही या रियायत हुई है—बिलकुल गलत है। मुलजिमान जो एफ. आई. आर. में दर्ज थे वह सब गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसके अलावा हंसराज जी का नाम इस मामले में लेना उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि उनका इस मामले से कोई सम्बन्ध होना नहीं पाया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता। जो आम लोगों में धारणा बनी हुई है कि इसके पीछे हंसराज जी का हाथ है और इसके अलावा वहां के अधिकारी कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जांच। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी सी. बी. आई. से जांच करवाई जाय। और खुद को हंसराज जी निर्दोष समझते हैं तो वह खड़े होकर कह दें कि इस मामले की जांच सी. बी. आई. के द्वारा होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस तो इस मामले की जांच नहीं कर सकती। वैसे भी छोटे-छोटे मामलों के अन्दर सी. बी. आई. के द्वारा जांच करवाई गई है तो यह तो इतना बड़ा और गम्भीर मामला है इसलिए इसकी सी.बी.आई. के द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए। यह मेरी मांग है। अभी होम मिनिस्टर ने जैसा कहा कि चालान जल्दी ही कर देंगे तो यह बात सही है कि चार आदमियों का चालान करने वाले हैं क्योंकि इस मामले पर पर्दा डाला जा रहा है और इस केस को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह तो आपका कहना ठीक लेकिन मेरी मांग यह है कि इसकी जांच सी. बी. आई. के द्वारा होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान की पुलिस तो सत्ताधारी पार्टी के नीचे दबी हुई है वह इसकी सही जांच नहीं कर सकती। हो सकता है कि जांच के बाद हंसराज जी को दोषी न पाया जाय, लेकिन इससे लोगों को विश्वास तो हो जायगा कि इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से हो गई है और हंसराज जी दोषी नहीं है इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरगढ) : इस बात से कोई मतलब नहीं कि चुनाव कौन हारता है, कौन जीतता है लेकिन माननीय दौलतरामजी सारण ने जो मुद्दे सदन के सामने रखे है वह मेरे ख्याल में गंभीर हैं और जिस तरह से यह निर्मम हत्या की गई है वह एक मुद्दा निष्पक्ष जांच का है, यह बिल्कुल निर्विवाद बात है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा मैं गृहमंत्री से यही कहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाए हैं निष्पक्ष जांच के सम्बन्ध में, सरकार के लिए भी शोभनीय व्यवस्था होगी अगर सरकार सहानुभूति से इस पर विचार करे।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय, इसमें मैंने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है और उस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की मैंने आज्ञा नहीं दी। इस पर माननीय आर्य····

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आसन की तरफ से पक्षपात किया जायगा क्योंकि राजस्थान सरकार पक्षपात कर रही है लेकिन आसन की तरफ

Page No 46

(श्री रामचन्द्र आर्य)
से निष्पक्षता नहीं बरती जा रही है, इसका क्या कारण है ····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, 'पक्षपात' शब्द का प्रयोग किया गया, इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार को एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही में ये शब्द रहे तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन यह आपत्तिजनक है, आसन के लिए यह बात कहना उचित नहीं है। मैंने निवेदन किया कि स्थगन प्रस्ताव इस तरह के मामलों के लिए उचित माध्यम नहीं है और जब आसन ने बारबार माननीय आर्य से कहा तो सी. बी. आई. वाली मांग आई।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रस्ताव के अन्दर अंकित है। मैंने लिखा है। मेरी मांग है कि सी. बी. आई. से जांच करवाई जाय। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस मामले को मैंने निवेदन किया कि किसी अन्य तरीके से सदन में लायें ·····

श्री रामचन्द्र आर्य : दूसरा तरीका तो बंदूक होती है, बंदूक उठा लें ? कौनसा और तरीका है, बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए अब चर्चा नहीं होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया, मसला बहुत महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय ने 20 मिनट के बाद खड़े होकर मुखारबिन्द से दो शब्द कहे। अगर वह पहले ही खड़े होकर कह देते तो इतनी उत्तेजना सदन में नहीं होती और 20 मिनट का समय जाया नहीं होता लेकिन अफसोस है कि ट्रेजरी बेंचेज बिल्कुल डैफ व डंब की तरह बैठे रहते हैं और आसन को दुविधा में डालते हैं। आप चाहते हैं कि कांग्रेस विधायक हंसराज की रगड़ाई हो और आसन को असुविधा हो और 20 मिनट बाद खड़े होकर कहते हैं। यह ट्रिक तो मुख्य मंत्रीजी की है न कि गृह मंत्री की। पहले खड़े होकर कहते तो हंसराज जी का क्यों नाम आता। श्री हंसराज का क्या हाथ है और गृह मंत्री ने कहा यह बिल्कुल गलत है। इसलिए मेहरबानी करके भविष्य में ऐसे स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में खुद खड़े होकर बयान दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा और आपसे निवेदन है कि सारे स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में हम लोगों का माइंड एजीटेटेड हैं। मैं विरोधी दल की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको असुविधा होती है और हमको कई बार एजीटेट करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि 5 महिने 18 दिन बाद सरकार सदन की बैठक बुलाती है, 8 दिन का प्रोग्राम देती है। 8 दिन में क्या प्रोग्राम इस सदन में हो सकता है, आप अनुमान लगायें, ढाई करोड़ जनता राजस्थान···

श्री उपाध्यक्ष : यह सब मुझे मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं इसलिए एडजस्ट करना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी आपसे सहानुभूति है । इसका तरीका यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : सब स्थगन प्रस्ताव एलाउ किए जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सरकार को ताड़ना दें । आप सरकार के प्रति उदार रुख अपनाते हैं इसलिए गडबड़ी हो जाती है । यह महा निकम्मी सरकार है इसलिए स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में आप इस प्रकार से तारीख फिक्स करें, जो भी पहले मसले उठाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं । अगर कल सरकार की तरफ से वक्तव्य हो जाता तो आज यह नौबत नहीं आती । नगरपालिकाओं के चुनाव के सिलसिले में मंत्रियों पर कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर मेम्बर ने, गृह मंत्री के लड़के ने आरोप लगाया है कि उन्होंने साम्प्रदायिकता का प्रचार किया । अखबारों में छपा है । कांग्रेसी हुकूमत आज नगरपालिकाओं के चुनावों में राजस्थान के जन जीवन में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाए और इस बात का आरोप कांग्रेस पार्टी का विधायक जनता के सामने रखें, सरकार उस सम्बन्ध में एक शब्द भी न कहे. उसकी तरफ से अपवाद न हो, कान्ट्रेडिक्शन न हो, स्पष्टीकरण न हो, यह बड़ी गंभीर बात है ।

आज सदन में इस सरकार में बैठे हुए सीनियर केबीनेट मंत्री पर कांग्रेस पार्टी के श्री सुरेन्द्र व्यास, जो प्रगतिशील नागरिक मोर्चे के संयोजक हैं, जिनको इन्दिरा गांधी का समर्थन प्राप्त है, श्री शिवचरण माथुर जिसके साथ हैं, गृहमंत्री के सुपुत्र ने खुल्लमखुल्ला आरोप लगाया हैं, अखबारों में आया है कि चुनावों में साम्प्रदायिकता का जहर फैलाया इसमें इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का हाथ है, हम जानना चाहते हैं, स्थिति का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए कि राजस्थान के जन-जीवन में साम्प्रदायिकता किस तरह से फैलाई जाती है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : किस मंत्री का हाथ है ?

श्री भैरोंसिंह : आपका ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अपनी बात कहूं । इसका ताल्लुक दो चीजों से है । मैं एक शहर में रहता हूं । अगर उसकी कोई बात हो तो गलत तरीके से उसका एक्स प्लॉइटेशन न हो । मैं 21 वर्ष से यहां रहता हूं और आगे भी रहना है । दूसरा सदन में भी, ताकि सदन समझ सकें, मैं एक्सप्लेनेश इसलिए देना चाहता हूं कि जो आरोप लगाया गया है वह कहां तक सही है व कहां तक सही नहीं हैं । नाम गलत तरीके से लिया गया । हम एक ही शहर में रहते हैं साथ रहते हैं और हमारा आपस में प्रेम भावना का सम्बन्ध है, आपस में कभी बात हो जाती है । मैं चाहता हूं कि मेरी बात सामने आ जाय तो अच्छा है । मुझ में इतनी लियाकत नहीं है, जैसी कि माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में कही या काबलाना तरीके से कही, वकीलाना तरीके से कही । मुझ में वह काबलियत नहीं है, मैं साधारण तरीके से इन्सानियत से सदन के सामने अपना ख्याल रखना चाहता हूं और कुछ कहना चाहता हूं । एतबार करना या न करना, यह आपके मुख्त्यार है । वाकई अगर कोई बात है तो इन्सानियत के नाते वह ठीक करनी चाहिए अगर नहीं है तो मेरे साथियों को ध्यान देना

(श्री अमीनुद्दीन)
चाहिए कि अगर आरोप लगाए जाय तो उनका किस तरह से उपयोग करें।

जितनी बातें हुई चुनावों के सम्बन्ध में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन चुनावों में मैंने अपने नजदीक बहुत थोड़ी दिलचस्पी ली। जहां पर मैं गया वह 6 जगहें थीं। उनके अन्दर 5 जगहों पर अपने हिन्दू भाइयों की मदद के लिए गया और केवल एक स्थान पर मुसलमान के लिए 5 ऐसी जगहों में गया जिनका ताल्लुक हिन्दू कांग्रेसी साथियों से था और एक जगह मुसलमान कांग्रेसजन था।

दूसरे जिस जगह में गया वहां मैंने यही बताना चाहा कि चुनाव जो होते है वह किस आधार पर होते हैं? चुनाव धर्म-कर्म के आधार पर नहीं होते शहर के नाते, शहर के आधार पर होते हैं और उसमें सब तरह की जन संख्या के लिये सोचना लाजिमी है। यह कहने के साथ साथ मैं यकीन दिलाता हूं कि कभी मेरा ऐसा प्रचार नहीं होगा जो जहर फैला सके। यह जरूर कहूंगा कि मेरे माननीय दोस्त, सदस्य ने जो इल्जाम लगाया, जाति का इल्जाम लगाया—वह नहीं कहते, दूसरों को राय जाहिर करते हुए, नाम लेते हुए मेरे पर इल्जाम लगाते हैं। अगर यह बात सही है कि किसी पार्टी वाले ने आरोप लगाया है, तो मैं समझता हूं, यह आरोप गम्भीर है क्योंकि कांग्रेस की नीति भी उस शख्स को जिसमें साम्प्रदायिक या जिसमें नफरत फैलाने की भावना है बरदाश्त नहीं कैसी यह बुरी बात है और उसे कोई हक नहीं कि वह कांग्रेस में रह सके····

एक माननीय सदस्य : वह इन्द्रा जी हैं उनको सलाह दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : एक मिनिट के लिए।

इसलिए यह बात आई है तो मैं अपने दोस्त, माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं और मैं अपने जिला कांग्रेस अध्यक्ष से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जांच पड़ताल करें। अगर मेरे पर आरोप सही हैं तो उनको मेरे खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी और पार्टी के नाते मेरे ऊपर इल्जाम लगाने वाले ने ऐसा आरोप लगाया है जो सही नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी····

श्री भैरोंसिंह : पूछ तो लो।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इससे पहले कि मैं बैठूं मैं भाइयों को, इस सदन के सब माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैंने पहले भी यह विचार जाहिर किया है कि इस देश में साम्प्रदायिता खत्म होनी चाहिए, कोई साम्प्रदायिकता का काम नहीं होना चाहिए और इस देश में प्रेम के साथ सबको रहना चाहिए। माइनोरिटी कम्युनिटी को भी मैं बताता हूं कि हमको इस देश में रहना है, एडजस्ट करके रहना है तो एडजस्ट करके रहना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : नाम किसी ने नहीं लिया, नाम उन्होंने लिया।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र!

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूल के लिए क्षमा चाहूंगा। एक एडजार्नमेंट मोशन का नोटिस मुझे समय पर देना

Page No 49

(श्री भैरोंसिंह)
चाहिए था लेकिन जिस व्यक्ति को नोटिस टाइप करने के लिए भेजा था वह पास के कारण, प्रवेश न पाने के कारण टाइम पर यहां नहीं भेज सका। वैसे यह मामला इम्पॉर्टेन्ट है। मैंने जो लिख कर भेजा है, उपाध्यक्ष महोदय, प्रापकी अनुमति हो तो मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से उसका उत्तर शाम तक दिलवा दिया जाय क्योंकि चार हजार मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं, और उस हड़ताल का डाइरेक्ट सम्बन्ध खेतड़ी प्रोजेक्ट, जहां पर कॉपर का काम चल रहा है, से है और उसके काम पर इसका असर पड़ रहा है। मैं चाहूंगा, वैसे मैं डिटेल में इस सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है इसलिए राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में, मेरे एडजोर्नमेंट मोशन पर भले ही नहीं सही, अपनी तरफ से शाम के चार बजे तक स्टेटमेंट दे दे कि किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति नहीं है। आखिर चार हजार मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं और वह इम्पॉर्टेन्ट प्रोजेक्ट पर हड़ताल पर बैठे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार अपनी तरफ से इस मामले का कॉग्नीजेंस लेकर इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहती है, यह बतायें।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : राजस्थान सरकार से उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास आया नहीं है, न हो मैंने देखा है। उसको देखकर मैं यह देखूंगा कि उसके सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, बंगाली....

श्री उपाध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है कि जानकारी चाही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बंगाली विस्थापितों के सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर उनकी स्थिति बड़ी विकट है....

श्री उपाध्यक्ष : वह आपने उसमें लिख रखा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया राजस्थान सरकार ने उनके सम्बन्ध में न रहने की व्यवस्था की है और न उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है...

श्री उपाध्यक्ष : वह उसमें लिखा हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : न उनके लिए ओढ़ने-पहनने की व्यवस्था की है....

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली के लिए श्यामशाह गाड़िया जो न कहें, देवली का नाम बदनाम न करें। वहां बन्दोबस्त अच्छा है। राज्य सरकार की व्यवस्था है वह अच्छी है, वहां अच्छा काम हो रहा है। उनको सही रहने की व्यवस्था दी है, उनको सही तरीके से पानी दिया है, उनको कपड़े दिये हैं और उनको मक्का के भुट्टे दिये हैं। आप कह रहे हैं वह झूठ कह रहे हैं। मेरी जानकारी है, मैं वहां पर होकर आया हूं और लोगों से

Page No 50

(श्री जगन्नाथ)
मिला हूं। आपने जानकारी कभी की नहीं है। आप देवली के लिए कहेंगे तो मैं आपके लिए कहूंगा ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप विराजो।

श्री जगन्नाथ : आप गलत बात कहते हो वहां की व्यवस्था के लिए। वहां पर पानी का बन्दोबस्त किया है, उनको चांवल दिये हैं। आप क्या बात कर रहे हो ?

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी माननीय सदस्य...

श्री जगन्नाथ : देवली का नाम नहीं लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया: विराजो।

श्री जगन्नाथ : मैं बारां की पोल खोल दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : विराजो।

श्री जगन्नाथ : मैं आपकी पोल खोल दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप विराजो। पोल खोलना आपको इजाजत है।

श्री जगन्नाथ : काम ठीक है तो देवली के नाम को बदनाम क्यों करते हो ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय जोशी जी, आपने यही सीखा है, आपके यही संस्कार रहे हैं।

(श्री देवीदत्त गाडिया और श्री जगन्नाथ एक साथ बोलते रहे : अश्रव्य)

हम बोलना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि हम बोलें नहीं। आप बोलेंगे तो हम देख लेंगे कि आप कैसे बोलते हैं। आपके लिए यह बड़ी शर्म और लज्जा की बात है। आप इस सदन के इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इतने वर्ष से मिनिस्टर चले आ रहे हैं, आपके इस प्रकार के घृणित विचार हैं..

(श्री देवीदत्त गाड़िया और श्री जगन्नाथ एक साथ बोलते रहे : अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल व्यास : हार गये।

श्री जगन्नाथ : मुख्य मन्त्री जी ने बार बार वहां जाकर सम्भाल की और गृह मंत्री जी और वहां के जो और कार्यकर्ता हैं वह लोग वहां पर अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। आप यह सब बातें गलत कह रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : अब विराजो आप।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार बंगाली..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : बंगाली विस्थापितों के लिए जानकारी चाही है

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी चाही है। माननीय सदस्य, सारी जानकारी चाही है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कब तक मिल जायगी वह ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पूछ लीजिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इसलिए ही निवेदन करता हूं कि सरकार की जो नीति

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
है वह ऐसी गम्भीर समस्या को टालने की नीति है और टालने की निति के कारण ऐसा नहीं हो...

श्री जगन्नाथ : आप यह बतलाइये कि वहां पर केम्प कितने हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : यह कोई साधारण सा प्रश्न नहीं है, बहुत ही एक गम्भीर प्रश्न है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा

श्री जगन्नाथ : कितना पानी वहां पर दिया है, कितने क्वार्टर वहां पर बने हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : बंगाली विस्थापितों की संख्या चार हजार है...

श्री जगन्नाथ : वहां पर कितने मकान बने हैं ? वहां पर कितने बंगाली विस्थापितों के परिवार रह रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : उन बंगाली विस्थापितों के रहने की व्यवस्था करने में यह सरकार असमर्थ रही है, सरकार उनको बसाने में असमर्थ रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोग वहां पर भूखों मर रहे हैं। राजस्थान में आने के बाद भी उनके लिए कपड़ों की आवास की व्यवस्था नहीं है। उनको गन्दा भोजन दिया जा रहा है और आज बंगाली विस्थापितों के साथ में भयंकर......

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाडिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष । कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। काफी हो गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यह आश्वासन चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : हम रिजेक्ट करें। स्थगन प्रस्ताव या रिजेक्ट नहीं करें—आखिर भाषण उतना ही होता है तो फिर स्वीकार करने से क्या फायदा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन की मेज पर (शोरगुल : अश्रव्य) रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जब जानकारी के लिए भेजा है तो इतना लम्बा भाषण क्यों ?

(शोरगुल अश्रव्य)

आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य। काफी हो गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : फिर दो दफा भाषण कैसे हो ?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री हीरा भाई के खड़े होने पर) हीरा भाई, थोड़े में।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : संक्षेप में ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी दल के द्वारा जो भूमि मुक्ति आन्दोलन चलाया गया . . .

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : उसको अस्वीकार किया गया है ।

श्री हीराभाई : अस्वीकार किया है लेकिन · · ·

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बा चौड़ा मसला है ।

श्री हीरा भाई : मेरी अपील तो सुनिये । आसन उसको रिजेक्ट करे तो ठीक है । मैं आसन को अपील कर रहा हूं । यह मामला छोटा नहीं है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : देश व्यापी मसला है ।

श्री हीराभाई : यह देश का मसला है । यह देश के भूमिहीनों का मसला है । जो गरीब हैं, बेकार हैं उनको रोजी देने का मसला है । इसलिए राजस्थान की सरकार अपना सिर्फ यह कर्तव्य मान कर चलें । और आप मानें कि आन्दोलनकारी सरकार की सहायता का इन्तजार करते करते थक जाय और भूखे मरते रहें ? उन्होंने जंगल में जाकर उपजाऊ जमीन पर कब्जा करके उस पर काश्त करके पेट भरने की कोशिश की या गली में सोने वाले बेकार लोगों ने जाकर किसी मकान-दार के मकान में जाकर किराये पर रहने की कोशिश की तो इस सरकार ने 151, 101 और 117 को तीनों धारायें लगाईं । उनकी बेकारी को यदि मिटाया जा सकता है तो सरकार उनको धन्धा दे । यह नहीं हो सकता है तो कुछ न कुछ सरकार की तरफ से वक्तव्य होना चाहिए और किसी प्रकार राज्य सरकार को बेकारी को दूर करना चाहिए । आखिर सरकार भूमिहीनों को किस प्रकार जमीन देना चाहती है और किस आधार पर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीरा भाई : एक नीति यह निर्धारित करदी जावे कि अमुक अमुक जंगल में जमीन उपजाऊ है वह वहां से निकाल कर भूमिहीनों में बांटी जाय । जिन लोगों ने ऐसी जमीन पर कब्जा किया है उन पर धारा 107 लगा दी । जहां लोगों के पास अपनी आजीविका के लिये कोई साधन नहीं है जिसका सरकार को इन्तजाम करना चाहिये जिससे वे अपना पेट भर सके, भले ही आप उन पर धारा 107 लगा दें लेकिन उनके लिए पेट भरने का साधन तो जुटावें । आप सदन को यह बतलाइये कि कितने भूमिहीनों को आपने जमीन दी है, उनकी संख्या क्या है और अब ऐसे कितने भूमिहीन बच गये हैं जिनको जमीन देना है ?

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त हो गया ।

श्री हीराभाई : भूमिहीनों के सम्बन्ध में और बेरोजगारों के सम्बन्ध में सरकार अपना वक्तव्य दे और सदन को यह विश्वास दे कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । श्री रामप्रसाद लढ्ढा ।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : (परिवहन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान

Page No 53

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)
राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे (अवधि 31 मार्च, 1967) एवं उन लेखाओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री यशवन्त सिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति) उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल की पटेल चौक दिल्ली में हुई गिरफ्तारी और उनकी रिहाई से सम्बन्धित जांच का 15 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार से जो प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं, पहले भी इस प्रकार के मसले सदन के समक्ष आये हैं जैसा कि नियमों में प्रावधान भी है, जो सिफारिशें हैं उस सम्बन्धी एक प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया जाना चाहिये। लेकिन होता क्या है कि विशेषाधिकार के सम्बन्ध में पूरे साल के साल निकल जाते हैं लेकिन उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं आते हैं। आया सदन उसको मन्जूर करता है या नामन्जूर करता है। इस बारे में हमारे नियमों में व्यवस्था है। फिर भी प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्योंही विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो उसके साथ ही उसकी स्वीकृति का प्रस्ताव लाया जाना चाहिये ताकि सदन उस पर निर्णय ले सके। सदन यह भी देख सके कि किस को दण्ड देना है और किसको दण्ड से मुक्त किया जाना है। मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जो भी विशेषाधिकार के संबन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाय उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति करने के संबन्ध में प्रस्ताव आना चाहिये उसी सत्र में।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रश्न एकदम सही और जायज है। अभी तो सदन में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन ही प्रस्तुत किया गया है। यह बात सही है कि इस संबंध में कारगर प्रस्ताव इसी सत्र में आ जाना चाहिये।

विधायी कार्य:
पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

श्री गंगाराम चौधरी (उप मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टेनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक 1970 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : इससे पहले कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के संबन्ध में एक प्रवर समिति इस सदन द्वारा बनाई गई थी जिसकी महीनों तक बैठकें भी हुई हैं। उसने अपना प्रतिवेदन भी तैयार किया। आप उसको प्रस्तुत करने के बजाय एक एक दो दो क्लाजेज के लिये अध्यादेश जारी कर देते हैं और विधेयक लाते हैं। इस तरह का पीस मील लेजिस्लेशन वाजिब नहीं है। आज जब कि टीनेन्सी लॉ में आमूल चूल परिवर्तन लाये जा रहे हैं उस संबन्ध में सदन की सिलेक्ट कमेटी भी बनायी उसने अपनी रिपोर्ट भी दी वह रिपोर्ट आप वहां पर दाबकर बैठ

Page No 54

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
गये हैं। पीस मील अमेण्डमेण्ट का हम विरोध करते हैं। आप खड़े होकर हमें आश्वासन दें कि रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आप टीनेन्सी कानून कब लाने जा रहे हैं? सदन की सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसको दाबकर आप क्यों बैठे हुए हैं? उसके अनुसार कब तक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा? यह आप बताने का कष्ट करें।

श्री रामकिशोर व्यास: (राजस्व मंत्री) नार्मली तो आप जो कहते हैं आर्डिनेन्स कम लाने चाहिये यह ठीक है इसके बावजूद भी जब जरूरी हो जाता है तब आर्डिनेन्स जारी करने पड़ते हैं। यह तो हमारी नीति रहती है कि गैर जरूरी आर्डिनेन्स से हम बचें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरे प्रश्न का तो उत्तर नहीं आया। सिलेक्ट कमेटी ने जिस प्रकार रिकमण्ड किया है उस आधार पर कम्प्रीहेन्सिव बिल आप कब ला रहे हैं?

श्री गंगाराम चौधरी: यह तो बाद की बात है। वह भी हाउस में आयगा।

श्री भैरोंसिंह: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है आप यह जो पीस मील लेजिस्लेशन लाते हैं और कानून में एड करवाते हैं यह उचित नहीं है। आप पूरा टीनेन्सी बिल, जिस प्रकार का सिलेक्ट कमेटी ने सजेस्ट किया उसकी रिकमण्डेशन को इनकोरपोरेट करके क्यों नहीं लाते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान टैनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 9 सन् 1970) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजस्व मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी (उप मंत्री राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजस्व मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी (उप मंत्री राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश) 1970 (अध्यादेश सं. 4 सन् 1970) को जारी करने के कारणों के

(श्री गंगाराम चौधरी)
विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उद्योग मंत्री।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 63, के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश सं. 10 सन् 1970) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय अध्यादेशों के जो बिल सदन में प्रस्तुत किये गये हैं उनके साथ संशोधनों की सूचियां भी दी हैं। ये संशोधन इतनी संख्या में है कि जैसे बिल का प्रूफरीडिंग ही नहीं किया गया हो। ये संशोधन इतनी तादाद में है कि हम इनको साथ साथ मिला कर नहीं पढ़ सकते। इतनी अशुद्धियां जो रह जाती है क्या बिल को छापने से पूर्व प्रूफ पढ़ा नहीं जाता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लढ्ढा।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (भाषा मन्त्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 63 के अन्तर्गत राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश 1970 (अध्यादेश संख्या 11 सन् 1970) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री-गृह): उपाध्यक्ष महोदय···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी क्या जरूरत है अब?

श्री हीरालाल देवपुरा : राजस्थान के कतिपय आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण तथा तत्संबद्ध मामलों के लिये उपबन्ध करने हेतु राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी आवश्यकता क्या है? वह तो राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में जारी किया गया था। वह हड़ताल हो चुकी, जिनको जेल जाना था वे जेल जा चुके, जिनको सजाएं भुगतनी थीं, वे सजाएं भुगत चुके। अन्त में सरकार ने समझौता किया। पर उस समझौते का पालन नहीं किया। इसका मसला हमने विधान सभा में उठाया है।

अब आप इसको एक्ट क्यों बनाना चाहते हो? वह तो आपका एक टेम्परी मेजर था। आप कहते थे कि जैसे ही हड़ताल वापिस ले ली जावेगी, वह तो अपने आप ड्रोप हो जावेगा। वह हड़ताल को मीट करने के लिए था। अब जब समझौता हो गया तब फिर इसको परमानेन्ट मेजर बनाना क्यों चाहते हैं? क्या आप अब भी यह एन्टीसिपेट करके चल रहे हैं कि निकट भविष्य में ही फिर से यह हड़ताल हो सकती है? सरकार और शासन अपने ही कर्मचारियों पर इस तरह से अविश्वास करके चले और आपस में कोर्डियल रिलेशन्स बनाकर नहीं चले तो यह बात किसी भी सरकार के लिए शोभा की नहीं हो सकती। कोर्डियल रिलेशन्स एक अच्छी सरकार के लिए बने रहना नितान्त आवश्यक है। सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच एक कोर्डियल एटमोस्फीयर बना रहे, अगर सरकार इसको वाहवित समझती है तो, फिर इस आर्डिनेन्स के मेजर को एक्ट की शक्ल न दी जावे।

मेरे इस निवेदन पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और सदन के सभी सदस्य मेरे इस सुझाव का समर्थन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन मैं यह भी चाहूंगा कि जब राज्य कर्मचारियों का और सरकार का समझौता हुआ तो इसमें राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार किया था कि यह आर्डिनेन्स, जो जारी किया गया है वह, वापिस लिया जावेगा तो उस समझौते के अनुसार इसे बिल की शक्ल देने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय गृह मन्त्री जी को चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण कर दें कि इस बात को स्वीकार किया था नहीं समझौते में?

श्री दामोदरलाल व्यास : (गृह मन्त्री) इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि कर्मचारी वर्ग के साथ इस बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्यमन्त्री से जानकारी कर लीजिये।

क्या इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया कि इसको वापिस ले लिया जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह विधेयक कर्मचारी वर्ग को दबाने के लिये नहीं है किन्तु आवश्यक सेवाओं में व्यवधान नहीं आये इसके लिए यह कानून है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : इससे कैसे अच्छे होंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह एक्ट लाया जा रहा है। इसके द्वारा हमारा कोई इरादा उनको विक्टिमाइज करने का नहीं है उनको एक्सप्लोइट करने का भी नहीं है। यह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसी विण्डिक्टिवनेस के लिये भी नहीं लाया जा रहा है। अनिवार्य सेवायें कायम रखने के लिए यह कानून जरूरी है ताकि कुछ लोग जो इन सेवाओं में व्यवधान डालना चाहते है उन पर नियंत्रण रखा जा सके।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : प्रेस के सामने आपने स्वयं ने कहा कि इसको खत्म समझा जावेगा। आज क्या कारण हो गया? क्या यहां असन्तोष पैदा होगा और क्या आप इस प्रकार अपने ही कर्मचारियों के सिर पर दुधारी तलवार लटकाये रखना चाहते है? क्या यह प्रजातान्त्रिक तरीका है? यह बहुत अप्रजातान्त्रिक और अलोकतान्त्रिक तरीका हैं। इसलिये मांग है हमारी कि आप यह जो एक्ट के रूप में ला रहे हैं इसको वापिस लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कौनसा लोकतन्त्र है आपका?

श्री हीरा भाई : क्या आपने समझौते के समय यह नहीं कहा था कि यह आर्डिनेन्स हड़ताल समाप्त होते ही समाप्त हो जावेगा फिर अब इसे लाने की क्या जरूरत हो गई। क्या आप यह भी कहने को तैयार हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ। हमने तो उनको धोखा देने के लिए यह बात कही थी। अगर आप कर्मचारियों को राहत नहीं देना चाहते और उल्टा इससे उनका मुंह बन्द करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं पर यह आपके लिए शोभा की बात नहीं होगी। क्या आपको यह खतरा है कि आपके ही खुद के रवैये के कारण कर्मचारीगण फिर कोई आन्दोलन चलाएंगे और उससे बचने के लिए इसे कानून बनाना चाहते हैं?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है कि कर्मचारियों के साथ समझौता किया गया था तो इसमें इस अध्यादेश को आगे रद्द समझने की भी बात कही गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : गृहमन्त्रीजी इससे इन्कार करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : दबी जबान से इसको ना कही है। क्या पुख्ता तौर से गृहमन्त्रीजी यह कहने की स्थिति में हैं कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने डेफीनेटली कहा है कि कोई समझौता ऐसा नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहूंगा कि जो गृह मन्त्रीजी ने कहा है उससे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल किया है कि कोई आदमी सरकारी कर्मचारियों को उत्साहित न कर सकें इस चीज को रोकने के लिये यह आर्डिनेन्स लाया जा रहा है।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैंने यह बात कही है कि इसेन्शियल सर्विसेज काम बदस्तूर करती रहें इसके लिये इसे ला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानना चाहूंगा कि जिस समय आर्डिनेन्स इश्यू किया था उस समय स्ट्राइक चल रही थी। इससे स्ट्राइक में ज्यादा उत्तेजना फैली। राजस्थान सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच में समझौता हुआ। इसमें सरकारी कर्मचारियों की ओर से निरन्तर यह मांग की गई कि इस आर्डिनेन्स को वापिस लिया जावे। यह हमारी पहली

Page No 58

(श्री भैरोंसिंह)
शर्त होगी। मुख्य मन्त्रीजी और उनके बीच में समझौता हुआ। समाचार पत्रों में समाचार छपे। इनसे यह धारणा बनी कि सरकार इसको वापिस लेना चाहती है।

मैं आज एक बात गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको आर्डिनेन्स इश्यू करने का अधिकार है। आइन्दा भी इस प्रकार की स्थिति के पैदा होने की सम्भावना अगर आप महसूस करें कभी तो इस बार जिस तरह से आर्डिनेन्स इश्यू किया है भविष्य में भी इश्यू करने से आप चूकने वाले नहीं हैं।

फिर परमानेन्ट मेजर के रूप में इसे लाने की क्या आवश्यकता है। इस कारण से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसे लावेंगे तो यह एक एजीटेशनल एप्रोच होगा और यह कहकर अगर आप चलते हैं कि डंडे के बल से या आर्डिनेन्स के बल से आपने सरकारी कर्मचारियों को डरा दिया हो ऐसी बात नहीं है। इस आन्दोलन में सरकार ने अपने ही कर्मचारियों के सामने बुरी तरह से घुटने टेके हैं तो क्या इसकी खोज है आपको? अगर ऐसा है तो, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक डेमोक्रेटिक राइट के तौर पर आपने उन लोगों की यूनियनों को मान्यता दी यह मानकर कि उनके अपने ग्रीवान्सेज को, लेजिटिमेट ग्रीवान्सेज को किसी न किसी रूप में रखने का एक अधिकार है। इस अधिकार की मांग उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में और हिन्दुस्तान की लोकसभा में भी वहां के सदस्यों ने बार बार दोहराई है। यह बार बार कहा है कि उनकी लेजिटिमेट ग्रीवान्सेज को मीट आउट करने के लिये, सुनने के लिये एक इण्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी मुकर्रर होनी चाहिये, जिसके पास वे कर्मचारी जावें और उनकी सुनवाई बिना किसी दबाव के हो सके और जो भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी निष्पक्ष सलाह दे सके। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती उस समय तक अपने ग्रीवान्सेज को लेकर वे कहां जावें, यूनियनों के मार्फत ही वे सरकार के सामने रख सकते हैं। और अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी तो नेचुरली एजीटेशन भी होंगे और स्ट्राइक भी होंगी। ऐसी स्थिति में यह आर्डिनेन्स कारगर सिद्ध हो जावेगा ऐसा दिखता नहीं है।

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकारी कर्मचारियों के डेमोक्रेटिक राइट्स पर एन्क्रोचमेन्ट करना चाहते हैं तो पहले यह व्यवस्था करके चलें कि उनकी मांगों में कितना औचित्य है इसका निर्णय आपके द्वारा नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष एजेन्सी के द्वारा कराया जावे।

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने भी इन सब बातों पर विचार करके अपनी सिफारिशें इस तरह की व्यवस्था के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों से की हैं। राज्य सरकारों ने अभी कोई निर्णय उस पर नहीं लिया है, न भारत सरकार ने लिया है। वैसी स्थिति में इस प्रकार के आर्डिनेन्स को लाया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। आपके स्वयं के कांग्रेसी नेताओं ने आपके इस तरह के रवैये का विरोध किया है। वैसी स्थिति में मैं सरकार से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच में इस समय जो कोर्डियल रिलेशन्स कायम हुए हैं

Page No 59

(श्री भैरोंसिंह)

उनको मिटाने की कोशिश न करें। आप इस बात को अपनी निगाह से ओझल न करें कि अपनी उचित मांगों के लिये तनख्वाह बढ़ाने के लिये या अन्य सुविधाओं के लिये भले ही उनकी मांगों को पूरी करें या न करें, पर जो उनका फन्डामेन्टल राइट है डेमोक्रेटिक राइट है उसको आप स्वीकार करें। इस राइट को इन्कार करने वाले इस आर्डिनेन्स को आप यहां पेश कर रहे हैं पर मैं मानता हूं कि इस सदन में यह पास नहीं होगा। आप इसको वापिस लेंगे। मैं यह मानता हूं।

मैं समझता हूं कि इस स्टेज के आने से पहले ही आप अपने रिलेशन्स अच्छे बनावें। आज अवसर है। फिर नहीं मिलेगा। डंडे के बल पर चलने से तो यह सम्भव नहीं होगा। इसलिये भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, आपमें अगर थोड़ी बहुत भी सद्‌बुद्धि बची है तो उसका उपयोग करके इसको वापिस ले लें। यह ज्यादा उचित होगा।

अगर आप इसको पेश करना ही चाहेंगे तो मैं एक दूसरा सुझाव रखना चाहूंगा कि समझौता मुख्यमन्त्री और राज्य कर्मचारियों के संघ के बीच हुआ है आप मुख्यमन्त्री को सदन में यह कहने का मौका दीजियेगा कि उन्होंने इसे वापिस लेने के लिये कोई कमिटमेन्ट तो नहीं किया था।

(1 म. प.)

यह स्थिति तो स्पष्ट हो जाय उसके बाद आर्डिनेन्स रखिये। फिर माननीय सदस्यों की बात है वे पारित करते हैं या नहीं करते हैं। सरकार को विवश करने की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा अर्ज किया कि राज्य कर्मचारियों को अपनी समस्याएं एवं मांगें सरकार के समक्ष रखने का पूरा अधिकार है और सरकार हमेशा उनकी मांगों पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करती है। हम राज्य कर्मचारियों के साथ रिलेशन्स को खराब नहीं करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं। अब रहा सवाल आर्डिनेन्स का इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि सरकार की इसेन्शियल सर्विसेज काम करती रहें और उन कुछ लोगों को जिनको मजा आता है गड़बड़ करने का, उनको गड़बड़ करने का मौका न मिले। इसलिए यह कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए कोई खास परेशानी की बात नहीं है। जो गड़बड़ करने के आदतन हो गये हैं वे इस कानून के द्वारा अपनी आदत से बाज आ जायं। यदि मुख्य मन्त्री जी ने कोई कमिटमेंट कर दिया है तो कानून वापिस किया जा सकता है। किन्तु मैं जानता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस तरह का कोई कमिटमेंट किया नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम कानून नहीं बनायेंगे। भारत सरकार ने भी ऐसा स्थायी कानून बनाया है और कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा कानून बना हुआ है मैं चाहता हूं आप इसमें सहयोग दें। सरकार चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों और सरकार के मधुर सम्बन्ध बने रहे और आपस में सहयोग से काम हो। दूसरे लोग जो गड़बड़ करना चाहते हैं उन पर नियन्त्रण रखा जावे।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे लोगों के लिए आर्डिनेन्स है ही नहीं। यह तो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

श्री खेतसिंह (उपमंत्री) : दूसरों को मौका नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : अनुमति देने से पहले हम बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री भैरोंसिंह : यह तो प्रिलिमिनरी बात है...

श्री उपाध्यक्ष : इस स्टेज पर इससे ज्यादा नहीं हो पायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम आपकी बात मान लेते हैं आप भी हमारी बात मान लिया करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें।

(हां पक्ष की आवाज)

(ना पक्ष की आवाज)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता...

(शोर गुल अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नोज हैव इट।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ऐज हैव इट।

(बार बार नोज हैव इट और ऐज हैव इट की आवाजें-दोनों पक्षों द्वारा)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(पुनः नोज हैव इट और ऐज हैव इट की आवाजें)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम मत विभाजन की मांग करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कक्ष खाली करवा दिये जायं और दरवाजे बन्द कर दिये जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दरवाजे बन्द कर दिये जायं।

(दरवाजे बन्द कर दिये गये)

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां पक्ष की लॉबी में जायं और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वे ना पक्ष की लॉबी में जायं।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक 1970 को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव

हां पक्ष की सूची

1. श्री अब्दुल हादी
2. श्री अमीनुद्दीन अहमद
3. श्री अमृतलाल यादव
4. श्री कालूराम आर्य
5. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)
6. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय)
7. श्री खेतसिंह राठौर
8. श्री गंगाराम चौधरी
9. श्री गणेशलाल
10. श्री गामा फताजी
11. श्री गिरधारीलाल व्यास
12. श्री गुलाबसिंह शक्तावत
13. श्री जगन्नाथ

Page No 61

14. श्री जयनारायण (लसाड़िया)
15. श्री विरदाराम
16. श्री सुरेन्द्रप्रसाद
17. श्री दामोदरलाल व्यास
18. श्री देवीलाल मीणा (सराडा)
19. श्री दौलतराम (देसूरी)
20. श्री नथमल बोहरा
21. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन)
22. श्री पृथ्वीराज पटेल
23. श्री बिरधीचन्द जैन
24. श्री बिशम्भरनाथ जोशी
25. श्री बीरबल
26. श्री भूरालाल
27. श्री मजलिस खां
28. श्रीमती मदन कौर
29. श्री महेन्द्रकुमार
30. श्री माधोसिंह
31. श्री मूलचन्द कटेवा
32. श्री मोतीलाल
33. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
34. श्री यशवंतसिंह नाहर
35. श्री रघुनाथ विश्नोई
36. श्री रणजीतसिंह
37. श्री रतनलाल सेठ
38. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
39. श्री रामनारायण
40. श्री रामप्रसाद लड्ढा
41. श्री रिद्धीचन्द पालीवाल
42. श्री रोशनलाल
43. श्री शंकरसिंह
44. श्री विद्यासागर
45. श्री शंकरलाल (जैतारण)
46. श्री शिवचरण माथुर
47. श्री शिवनाथ सिंह
48. श्री श्रीराम रावत
49. श्री सहदेव शर्मा
50. श्री सांवरमल बासोतिया
51. श्री हंसराज आर्य
52. श्री हरलाल मीणा
53. श्री हरिदेव जोशी
54. श्री हीरालाल देवपुरा

राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव

'ना पक्ष की सूची'

1. डा. श्री अम्बालाल
2. श्री आइदानसिंह
3. श्री कृष्णकुमार गोयल
4. डा. श्री गंगासहाय
5. श्री चुन्नीलाल जेलिया (लंडार)
6. श्री जुझारसिंह
7. श्री डूंगाराम राजोरिया
8. श्री देवीदत्त गाड़िया
9. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)
10. श्री नन्दलाल दण्डवासी (किशनगंज)
11. श्री नाथूदास
12. श्री नाथूलाल करौल
13. श्री पृथ्वीसिंह
14. मेजर श्री फतेहसिंह
15. श्री फूलचन्द बाफना
16. श्री बालसिंह सोठा
17. श्री बृजबल्लभ बोहरा
18. श्री बृजेन्द्रपाल सिंह
19. श्री भैरोंसिंह शेखावत
20. श्री मनोहरसिंह मेहता
21. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
22. श्री रामप्रसाद बोहरा
23. श्री लक्ष्मणसिंह
24. श्री लाभचन्द बैद

25. श्री विजयसिंह (मकराना)
26. श्री विट्ठल भाई
27. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
28. श्री श्रवणलाल
29. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
30. कु. श्री सुरेन्द्रसिंह
31. श्री हरजीराम बुरड़क
32. श्री हरनामसिंह खर्रा
33. श्री हरिवल्लभ शर्मा
34. श्री हीराभाई

(श्री मदनसिंह दांता ने मतदान में भाग नहीं लिया)

(1.22 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : मतदान का परिणाम इस प्रकार है--

हां पक्ष	54
नापक्ष	34

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 12, 1970) जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकारी शब्द लिखा है इससे थोड़ा सा मुगालता होगा। इससे फायदा तो होगा मंत्रियों को इसमें मंत्रियों का नाम भी जोड़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; आपका पहले ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 5, 1970) के जारी करने के कारण का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी (उपमन्त्री राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-

(श्री गंगासहाय)
राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन अध्यादेश) 1970 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1970) के जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से सम्बन्धित शासकीय संकल्प एवं आय-व्ययक 1970-71 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल से सम्बधित शासकीय संकल्प एवं आय-व्ययक पर वादविवाद। विरोधी पक्ष के नेता महोदय।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि सरकार की ओर से चार बजे से उत्तर दिया जाना प्रारम्भ होगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्युत् मण्डल के सम्बन्ध में निवेदन है कि निर्विवादित बात है कि कृषि और उद्योग समानान्तर रूप से आधुनिक शासन के अन्दर प्रगति करें, और इसका साधन बिजली (विद्युत्) हो सकती है और राजस्थान को इस विषय के ऊपर प्राथमिकता देकर ठोस कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यह निर्विवादित बात है।

मुझे इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना होगा कि चम्बल परियोजना में हमारा 50 प्रतिशत हिस्सा है और भाखरा-नांगल योजना के अन्दर 15 प्रतिशत हमारा हिस्सा है। हमारे विद्युत् के श्रोत हैं वे राजस्थान के बाहर हैं। इसलिए आज देश के अन्दर देशव्यापी वातावरण को मद्दे नजर रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि जब संकीर्णवाद भाषावाद, प्रान्तीयतावाद आदि कई बाद हमारी भावनात्मक एकता को ठेस देने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो हम को भी इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यदि हम स्वावलम्बी हो सकें और हमारे विद्युत् के श्रोत एक हद तक राजस्थान के अन्दर भी हम प्राप्त कर सकें ऐसी कोई व्यवस्था होना निश्चित रूप से मैं आवश्यक समझता हूं, अतएव मेरा सरकार से निवेदन है कि एटमिक इनर्जी, डीजल, स्टीम के द्वारा भी हमको विद्युत् पैदा करनी चाहिए, और खास करके हमारे पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर इस बारे में कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जैसा कि इजराइल के अन्दर हुआ है। इस सदन के अन्दर बारबार इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर किसी तरह से भी हरित क्रान्ति लाई जाय ताकि इस सूखे क्षेत्र को भी हरा भरा बना सकें।

(श्री लक्ष्मणसिंह)
विद्युत् के बिना यह नहीं हो सकता। जब राजस्थान कैनाल आयेगी तब आयेगी, किन्तु अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम ट्यूबवेल्स के द्वारा इजराइल के समान किसी उस भावना से नहीं, क्योंकि भारतवर्ष की वैदेशिक नीति उदार नीति रही है और इजराइल की अच्छी बातों को लेकर उन्हें कार्य रूप में परिणित करें और पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर कुछ कर सकते हैं तो वह कोई बुरी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अनुभव करता हूं कि राजस्थान की जो विद्युत्-व्यवस्था है वह हरियाणा, पंजाब और गुजरात आदि पड़ोसी प्रांतों के मुकाबले में पिछड़ी हुई है, अपर्याप्त है, और अगर इस सम्बन्ध में हम कोई ठोस कदम न लेकर आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो हम केवल एक पिछड़ा राज्य बनकर भारत माता के ऊपर भार स्वरूप हो सकते हैं, और अगर हम प्रगतिशील राज्य के रूप में होना चाहते हैं और ठोस कदम आगे बढ़ायेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राजस्थान खाद्यान्न का भण्डार न हो सके। वह स्वावलम्बी ही नहीं बनेगा बल्कि हमारे दूसरे पड़ोसी राज्यों के लिए भी अन्न की व्यवस्था कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खास करके राजस्थान का मुख्य धन्धा कृषि है और काश्तकार 83 फी सदी आबादी के अनुपात से गांवों के अन्दर बसे हुए हैं। जहां तक कि विद्युत् प्राप्त करने का सम्बन्ध है मुझे यह कहना पड़ेगा कि इन कृषकों को सरकार की ओर से सन्तोष नहीं है। जहां तक विद्युत् के डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न है वितरण असन्तोषजनक है। इस सम्बन्ध में सरकार को कोई न कोई ठोस ऐसी योजना बनानी चाहिए कि अगर पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके तो कम से कम 50 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर दे। यदि सरकार यह कर पाती है तो मैं समझता हूं कि वह उपलब्धि भी कम उपलब्धि नहीं होगी।

कनेक्शन के सम्बन्ध में निष्पक्षता के साथ सुचारु ढंग से व्यवस्था करना परमावश्यक है ऐसा मैं अनुभव करता हूं। मैं कोई विशेष उदाहरण नहीं देना चाहता, न सदन का विशेष समय लेना चाहता हूं, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, और मुझे कहना पड़ेगा कि इस सम्बन्ध में जिस तरह से निष्पक्षता बरतनी चाहिए वैसी शायद नहीं बरती जाती है। संकीर्णता और छोटे-मोटे क्षेत्रीय नेताओं के कथन के अनुसार सरकार को नहीं चलना चाहिए। सरकार को समान दृष्टि अपनाकर चलना चाहिए। यह जनता का प्रश्न है इसलिए सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और न्यायोचित ढंग से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्टडी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्थाई रूप से [illegible] हो वैसी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। अभी इसमें ऐसी कुछ खामियां हैं उन खामियों को सरकार दूर कर सकती है, दूर करेगी, लेकिन जितनी जल्दी शीघ्रता से इन खामियों को सरकार दूर कर सके उतना ही अच्छा होगा।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि विद्युत् की दरें हैं वे भी बहुत विशेष हैं

(श्री लक्ष्मणसिंह)
इन्डस्ट्रियल और अदरवाइज दोनों मुद्दों के अन्दर दरों में कमियां लाने की चेष्टा सरकार को करनी चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्यों का भी उदाहरण लेना चाहिए, इस सम्बन्ध में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वितरण का सम्बन्ध है वह वितरण या डिस्ट्रिब्यूशन मैं समझता हूं इक्विटेबल नहीं है, समानता लिये हुए नहीं है, किसी सिद्धान्त के ऊपर तो आधारित होना बहुत ही कठिन है। सिद्धान्ततः यही होना चाहिए कि जहां तक हो सके वितरण की व्यवस्था सन्तोषजनक हो, और बराबर ठीक तरह से, ठीक ढंग से हो। मैंने यह पाया कि कई जिलों के अन्दर एक प्रतिशत ही वितरण विद्युत का है तो बहुत से जिलों के अन्दर 10 पर्सेन्ट है। 10 पर्सेन्ट वाले जिलों के सम्बन्ध में मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक पर्सेन्ट का विद्युत का जहां पर वितरण हो उनके साथ में सरकार को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए खास करके बैकवर्ड एरियाज, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर सरकार को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

पंचायत समितियों में, उनके मुख्यालयों में जहां तक सम्भव हो सके विद्युत दी जानी चाहिए। पर जहां तक मेरे जिले का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पांच पंचायत समितियों में से तीन पंचायत समितियों के अन्दर विद्युत की व्यवस्था है, किन्तु बीछीवाड़ा और आसपुर के अन्दर विद्युत की व्यवस्था नहीं है। आसपुर जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर एक भी गांव के अन्दर बिजली नहीं गई है। सलूम्बर जो कि 12 मील के फासले पर है उसमें है, सागवाड़ा जो कि बिल्कुल निकटतम है। सीमलवाड़ा जो एक पंचायत समिति है डूंगरपुर के दक्षिणी कोने के अन्दर है और डूंगरपुर खास पंचायत समिति में सब जगह पर विद्युत है। मेरा निवेदन है कि आसपुर, बीछीवाड़ा के अन्दर भी कोई न कोई विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बार बार आरोप लगाने का मौका कम से कम मुझे मौका न मिले, क्योंकि विरोधी दल के लोग वहां पर से जीतकर आते हैं इसलिए सरकार उन क्षेत्रों के साथ उनको सौतेला व्यवहार देती है।

इसके साथ-साथ अगर बीछवाड़ा पंचायत समिति को सरकार खेरवाड़े से बिजली नहीं दे सकते, डूंगरपुर से बिजली नहीं ला सकते तो सांवलाजी जो कि गुजरात में है और वह वहां से 6 मील के फासले पर ही है, और मैंने जहां तक इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है मुझे यह कहा गया है कि गुजरात सरकार की विद्युत राजस्थान के अन्दर देने के लिए इनकारी नहीं है। राजस्थान का अन्तिम गांव रतनपुर है जो केवल 5 मील सांवलाजी से दूर है। मैं सरकार का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि जब कडाना बान्ध योजना पूरी हो तब कम से कम डूंगरपुर के आदिवासी जो हजारों की तादाद में विस्थापित होंगे उनके लिए कोई सिंचाई की और विद्युत की व्यवस्था होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र के अन्दर ऐसी विद्युत की कोई व्यवस्था होनी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहिए और इस क्षेत्र के अन्दर कोई न कोई बड़ा कारखाना कायम होना चाहिए।

फर्टेलाइजर के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि 300 करोड़ रुपयों का फर्टीलाइजर राजस्थान इम्पोर्ट करता है। अगर हम फर्टीलाइजर का कोई बड़ा कारखाना पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्दर स्थापित करें जैसे कि डूंगरपुर या बांसवाड़े का जिला है तो कम से कम वहां की जनसंख्या को बहुत फायदा हो सकता है। वहां पर जन संख्या के अनुपात में भूमि बहुत कम है और जमीन बहुत कम होने के कारण खेती भी कोई करेगा तो क्या करेगा? आदिवासियों के पास एक-एक, दो-दो बीघा जमीन है। उसके अन्दर कैसे वह खेती कर सकता है और स्वावलम्बी बन सकता है। इस कारण से यह परमावश्यक है कि वहां पर कोई न कोई बड़ा कारखाना लगाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्स्टाल्ड केपेसिटी और फर्म केपेसिटी के अन्दर कोई न कोई सामन्जस्य होना चाहिए। यह भी डेवलपमेंट लाप साइडेड होगा तो मैं समझता हूं कि वह सुनियोजित तरीके से नहीं होगा। वह बेड प्लानिंग होगा। अभी भी प्लानिंग के फीगर्स के अनुसार 518 मेगा वाट्स की इन्स्टाल्ड इनर्जी की हमारे पास में व्यवस्था है और फर्म केपेसिटी 269 ही है, तो यह अन्तर बहुत बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को कम करना चाहिए। अगर भविष्य के अन्दर यह अन्तर बढ़ता जाता है तो मैं समझता हूं कि आपकी योजना खामियों से भरपूर है। आप विन्डो ड्रेसिंग के अन्दर विश्वास करना चाहते हैं। वास्तविक उपलब्धियां प्राप्त करके जस्टिस नहीं करते हैं। सरकार से आशा करता हूं कि इस ओर वह ध्यान देगा।

जहां तक कि ऋण लेने का सम्बन्ध है 10 करोड़ की जो सीमा है उसको बढ़ाकर 50 करोड़ किया जाय उस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उसके साथ-साथ मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा···

(1.38 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

···कि एसेट्स और लायबिलिटीज की व्यवस्था भी हमें शान्तिपूर्वक देख लेनी चाहिए। हमारे एसेट्स 163.04 करोड़ और हमारी लायबिलिटी 180.04 करोड़ के करीब है तो एसेट्स कम हैं और लायबिलिटीज ज्यादा है। इस सम्बन्ध में भी जब आप ऋण लेने की सीमा को 50 करोड़ तक बढ़ा रहे हैं तो लायबिलिटीज बढ़ेगी ही यह निर्विवादित बात है। लायबिलिटीज बढ़ने के साथ-साथ एसेट्स भी बढ़ने चाहिएं, और अगर एसेट्स सन्तोषजनक रूप से नहीं बढ़ पाते हैं और लायबिलिटीज ही केवल मात्र बढ़ जाती हैं तो मेरे खयाल से यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भार स्वरूप है और यह राजस्थान की सरकार के लिए, जनता के शोषण के लिए एक व्हाइट एलिफेन्ट भर ही हो सकता है मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो लाइबिलिटीज को केलकुलेट किया है वह एल. आई. सी. का लोन, गवर्नमेंट का लोन, उसके ऊपर इन्ट्रस्ट को मैंने केल-

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कुलेट किया है, उसके साथ डिबेंचर को केलकुलेट किया है, उसके साथ प्राविडेंट फंड वह भी ग्राखिर देना ही है, को भी केलकुलेट किया है, डिपाजिटस को भी मैंने केलकुलेट किया है। इनको देखकर ग्रसेट्स का स्टेशनरी रहना ग्रौर लाइबिलिटीज का बढ़ना एक स्वस्थ बात नहीं है। कल जो चर्चा हुई, 10 करोड के ऊपर 1 करोड 65 लाख रुपया लोन का विद्युत मंडल के द्वारा लिया गया है बिना इस सदन की, बिना राजस्थान सरकार की स्वीकृति के तो मैं समझता हूं, इस तरह से फाईनेंसियल लाइबिलिटीज इन्क्रीज कर देना एक बहुत बुरी परम्परा है ग्रौर जनतंत्र के लिए महान ग्रशोभनीय चीज है। मैं सदन का इस मुद्दे की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1959 में सीलिंग का कानून पारित किया, ग्रगर ग्राप सरकार की परिभाषा के ग्रन्दर ग्राते हैं तो क्यों ग्राप उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए ग्रभी तक किंकर्त्तव्य-विमूढ होकर बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपये का सेल हो गया, करोड़ों रुपये का ट्रान्सफर हो गया, लाखों रुपये का इधर का उधर एलाटमेंट हो गया—ग्रब ग्राप कहते हैं कि सबको रेगुलेराइज किया जाय। तो इस तरह से कर्ज की व्यवस्था, ग्रगर ग्रार्थिक व्यवस्था के ग्रन्दर भी ग्राप रेगुलराइज करने की बात करेंगे, जिस तरह से कि कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा, यह ठीक है कि यह एक प्रगतिशील कदम है, यह ग्रावश्यक था, इसलिए हमको यह करना पड़ा—ग्रापके साथ मेरी सब सहानुभूति है, लेकिन परम्परा, कायदे ग्रौर नियमों के ग्रन्तर्गत जनतंत्र चल सकता है। जनतंत्र तो एक बहुत कोमल फूल है। ग्रगर नियंत्रण के ग्रन्तर्गत, नियमों के ग्रनुसार जनतन्त्र का परिपालन हो तो जनतन्त्र चल सकता है नहीं तो वह जनतन्त्र नहीं है, ग्राप उसे कुछ भी कह सकते हैं—यह एक ग्रधिनायकवादी व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में कुछ ग्रधिक न कहकर सरकार का, ग्रासन के द्वारा, ध्यान ग्राकर्षित करना मैं चाहूंगा ग्रगर ग्रापके द्वारा कोई ग्रनियमितता हुई है तो सरकार को चाहिए कि ग्रलग से स्वीकृति सरकार की ग्रोर सदन की लें ग्रौर बतायें कि 1 करोड 95 लाख रुपये का जो खर्च हुग्रा है वह इन कारणों से हुग्रा है ग्रौर वह वाहियात हुग्रा है—उसके लिए हमें दुःख है। तो रिग्रेट करके ग्राप स्वीकृति चाहें तो उचित होगा। वैसे ग्रापका बहुमत है ग्रापका व्हिप है ग्रौर बहुमत ग्रौर व्हिप के कारण तमाम ग्रधिनायकवादी व्यवस्था करने के बाद ग्राप स्वीकृति सदन की चाहते हैं तो सदन के ग्रन्दर तो ग्रापका बहुमत है, लेकिन ग्रगर ग्रापको जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परायें निभानी हैं तो जनतन्त्र की ग्रान-बान शान को कायम रखते हुए ग्रौर मर्यादाग्रों की इज्जत करते हुए ग्रापको यह व्यवस्था करनी चाहिए।

मुझे इतना ही निवेदन करना है ग्रौर मैं ग्राशा करता हूं सभापति महोदय, कि यह सरकार दस करोड़ से पचास करोड़ रुपये जो ऋण का लेगी तो पचास करोड़ रुपये को इस तरह से खर्च करेगी कि राजस्थान का ग्रधिक से ग्रधिक हित हो।

श्री सभापति : मिस्टर शिवनाथसिंह, ग्रापका संशोधन का प्रस्ताव है ?

श्री शिवनाथसिंह : पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : कल प्रस्तुत नहीं किया था।

श्री शिवनाथसिंह : मौका नहीं मिला, पेश कर रहा हूं। जल्दी कर देता हूं।

श्री सभापति : समय थोड़ा ही लीजिये।

श्री शिवनाथसिंह : बहुत थोड़ा।

सभापति महोदय, मेरा संकल्प की चौथी पंक्ति में अंक व शब्द "50 करोड" के स्थान पर अंक व शब्द" 100 करोड़" प्रस्थापित किये जायें"। जो संशोधन का प्रस्ताव है वह सरकार के संकल्प के समर्थन में ही है। राजस्थान सरकार ने चाहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ऋण सीमा पचास करोड़ बढ़ा दी जाय। मेरी अर्ज है कि यह राशि कम पड़ेगी राजस्थान को देखते हुए, इसलिए इसको और ज्यादा किया जाय। जैसा हम जानते हैं, विद्युत जनतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बन गई है, इसलिए ही विद्युत मण्डल का गठन किया गया। इसकी माइनर डिटेल्स में न जाकर मैं केवल निवेदन करना चाहूंगा, मेरा यह आरोप है कि विद्युत मंडल जो बना है और जिस तरह यह काम कर रहा है यह जनतंत्र की अपेक्षा को सही रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है! इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि इस बोर्ड को रीकान्स्टीट्यूट किया जाय। इस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या जो दूसरे आफिसियल सदस्य हैं उनके ऊपर मेरा कोई आक्षेप नहीं है मेरा सिर्फ यह सुझाव है कि जहां कहीं भी बोर्ड का नाम आता है तो उसमें जन प्रतिनिधित्व की भावना होती है। लेकिन इस बोर्ड में आफिसियल मेम्बर काफी हैं। वैसे आफिसियल मेम्बर काफी योग्य होते हैं, वह प्रमाण-पत्र लेकर सर्विस में आते हैं, इसलिए उनकी काबलियत में कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन कोई आफिसर किसी जगह पर किसी चीज में काबिल हो सकता है, किसी जगह पर दूसरा व्यक्ति काम का हो सकता है। इसलिए इस बोर्ड का कान्स्टीटयूशन करके जनता के प्रतिनिधियों को इसमें समाविष्ट किया जाय तो जनता के अन्दर यह भावना उत्पन्न होगी कि इस बोर्ड का गठन अलग ढंग से है। आज सरकार का जिस तरह डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह यह बोर्ड है, तो जनता डिपार्टमेंट और बोर्ड में कोई फर्क नहीं समझती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोई नागरिक किसी बोर्ड के आफिसर या पदाधिकारी के पास कभी मिलने नहीं जाता है क्योंकि वह जानता है कि यह एक सरकारी एजेंसी है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और इस बोर्ड को रिकान्स्टीटयूट करे क्योंकि इसके बिना जनता की भावनायें, जनता की किस प्रकार की मांग है, किस प्रकार की उनकी दिक्कतें हैं और कैसे वह दूर होनी चाहिए—यह सब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि राज्य के अधिकारियों का एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है, वह सरकार के निर्देश पर चलते हैं, तो सरकारी अधिकारी तो सरकार के निर्देश के अनुसार चलते हैं, उनकी जगह जब जन प्रतिनिधि जायेंगे तो वह वहां जनता की समस्यायें रखेंगे और उनका निराकरण करेंगे और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो संक्षेप में मैं इस अमेंडमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बोर्ड का रीकान्स्टीट्यूशन इस ढंग से करे कि जहां तक हो जन प्रतिनिधियों को इसमें भाग लेने दे। यह हो

(श्री शिवनाथसिंह)

सकता है कि कई मेम्बर ऐसे होंगे, जो बोर्ड का रीकान्स्टीट्यूशन होगा उसमें टेक्निकल मेम्बर होंगे—एकाउन्टस् मेम्बर होंगे— उनको आप रखिये—उनका फर्ज तो बोर्ड को उचित सलाह देना होना चाहिए कि किस तरह की प्रोब्लम है या नहीं, किसी तरह का आब्जेक्शन है या नहीं, किस तरह से जो फाइनेन्सेज का दुरुपयोग हो सकता है उसको रोका जा सकता है। तो उनसे तो टेक्निकल एडवाइज ही ली जाय। अब कहां बिजली मिले, कहां पर लोगों को दिक्कत है, यह सब तय करने के लिए जन प्रतिनिधियों को इसमें बैठायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरा निवेदन है कि दूसरे जो बोर्ड का गठन किया है, उसके नतीजे और इस बोर्ड के नतीजे में काफी फर्क है। तो इस फर्क को मिटाने से फायदा हो सकता है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि जो पहले से मिली हुई है पुस्तिका, राजस्थान विद्युत मंडल ने जो एक पुस्तिका प्रकाशित की है उसके एक पेज पर दे रखा है कि अब 1968-69 के एण्ड तक इतने किलोवाट बिजली दी गई है, इसमें तीन भाग हैं, एक तो डामेस्टिक, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा एग्रीकल्चर। आपको देख कर आश्चर्य होगा कि हमारा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रान्त है। हमारी सरकार यह बार बार कहती है कि कृषि की ओर ध्यान देना जरूरी है, इसको पनपाना जरूरी है, किसानों को बिजली देना जरूरी है, लेकिन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जायगा कि सरकार और बोर्ड काश्त या खेती के लिए क्या कर रही है। आप डोमेस्टिक को छोड़ दीजिये, उसकी आप पूर्ति कीजिये। इंडस्ट्री के लिए भी मैं निवेदन नहीं करना चाहता कि उसकी बिजली की आवश्यकता की पूर्ति न करें, लेकिन इनके मुकाबले में कृषि के लिए नगण्य बिजली उपलब्ध कर रहे हैं—यह उचित नहीं है। इंडस्ट्री के लिए जो कोटा रखा है और जो कन्जम्पशन हुआ है, वह है 4.86 अप टू 69 और जो एग्रीकल्चर के लिए रखा है वह है 88734—तो दुगने से अधिक या अढ़ाई गुना उस पर खर्च किया है। आज इंडस्ट्रीज की राजस्थान में हालत क्या है, कई लाख रुपयों को इंडस्ट्रियलिस्ट्स में बकाया है लेकिन कोई किसान अगर निश्चित तारीख तक बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। यदि उसके खेत में फसल पकी हुई है तो कनेक्शन के लिए रोज रोज जाना उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। इसमें यह हो सकता है कि बिल उसके पास भुगतान के लिए ही नहीं पहुंचा हो, या पहुंचने में देरी हुई है लेकिन यह देखे बिना भी कनेक्शन काट देते हैं जब कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स के अन्दर कई लाख रुपये बकाया पड़े हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट्स से कहते हैं कि रुपया दो तो वह कह देते हैं कि रेट का झगड़ा चल रहा है हमारे अकाउन्ट्स सेटल नहीं हुए हैं, बोर्ड के पास हमारे अकाउन्ट्स हैं बोर्ड जब किसानों से इस तरह बकाया वसूल करता है तो उनसे भी इसी तरह से वसूल करे लेकिन यहां स्थिति दूसरी है। मुझे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट्स से चिढ़ नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि इंडस्ट्री पनपें और उनको अधिक मिलें लेकिन एग्रीकल्चर की कास्ट पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दे रहे हैं यह उचित नहीं है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों के साथ एक मूल-

(श्री शिवनाथ सिंह)

भूत दिक्कत पेश आती है। आपका यह डिपार्टमेंट एक कार्मशियल डिपार्टमेंट है, मैं मानता हूं कि इसका कार्मशियल ढंग से बिजनेस होना चाहिए लेकिन जो बिजली कन्ज्यूमर को देते हैं उससे पैसा वसूल करते हैं लेकिन उसमें काफी धांधली चलती है। जो सामान खरीदा उसका पैसा ले लिया उसमें भी धांधली चल रही है। यह कामर्शियल डिपार्टमेंट है लेकिन स्कीम का सही ढंग से विस्तार नहीं हो रहा है। कहीं पांच दस मील पर एक दो कुएं हैं तो भी लाइन ले जाते हैं, लेकिन कहीं पर बीस कुएं हैं तो एक फर्लांग भी लाइन नहीं ले जाना चाहते हैं। यह तरीका कहां तक ठीक है। इसका मतलब है कि गांव इलेक्ट्रिफाई नहीं हो पाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां से लाइन निकाली गई है, उस लाइन से एक फर्लांग या दो फर्लांग की दूरी पर जो कुवे हैं उनको बिजली देना चाहिए। उनको यदि बिजली देंगे तो कम खर्च में जल्दी से जल्दी फायदा वे उठा सकेंगे। बोर्ड का रुपया भी कम खर्च होगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। कहते हैं कि लोकेलिटी को सैंक्शन करेंगे। मैं अपनी ही कान्स्टिट्यूएन्सी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, पिछले पांच साल से लाइन पड़ी हुई है। फिजीबिलिटी की भी आप मिनिमम गारण्टी लेते हैं। यह भी आप काम करते हैं। एक लाइन है, थोड़े दिनों बाद उस लाइन से 5 आदमी और कनेक्शन ले लेते हैं तो उन आदमियों के बारे में बोर्ड कुछ नहीं देखता है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यहां एडवांस स्कीम निकली है। किसी से एक हजार, किसी से तीन हजार तक लेते हैं। आप के यहां से कोटा फिक्स होता है। जो पैसे वाला होता है वह एडवांस देकर कोटा ले लेता है। वह पहले ले लेता है। और जो प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है वह बैठा रहता है। उसको कनेक्शन नहीं मिलता है। आप को करना यह चाहिए कि जितना एडवांस स्कीम से देना है उनका अलग से बजट है, अलग से उनको दिया जाए। रेगुलर से उनको नहीं दिया जाए।

हमारे यहां उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। सरकारी रिकार्ड भी यही शो करता है। आम जनता की यही धारणा है। हमारे यहां पूरा यूटिलाइजेशन विद्युत् का नहीं हो रहा है। आपके पास यह जवाब है कि हमारे पास पोल्स नहीं है मैं कहना चाहूंगा कि आपका पड़ोसी राज्य हरियाणा है। वहां के जो आखरी गांव हैं उसमें भी अब प्रधान मन्त्री के हाथों हाल ही में उद्घाटन होने वाला है। उनको मेटीरियल कहां से मिल गया है? हमारे यहां पोजीशन उलटी है। हरियाणा में आप देखेंगे कि वहां यह हो गया है। जरूरी नहीं है कि आप लोहे के खंभे लगाएं। हम बल्लियों से काम ले सकते हैं। हमारे बोर्ड को अपना दिमाग बढ़ाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ऋण लेके जितना अधिक सतर्क रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप यह कहते हैं कि इस साल इतना घाटा हुआ है। आपके आफिसर गड़बड़ी करते हैं। इसलिए घाटा होता है। मैं निवेदन करता हूं कि बोर्ड की कर्ज लेने की क्षमता बढ़े। इसलिए इसको कार्मशियल पोजीशन पर लाना चाहिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका वह इकोनामिक रूप नहीं रह जाएगा।

श्री सभापति : श्री गोयल ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, विद्युत् मण्डल पर कल से वादविवाद चल रहा है। दोनों पक्ष से विद्युत् मण्डल पर कई प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। कुछ यह है कि इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही पूरे तौर से भरी हुई है। और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। आज चाहे वह शहरी क्षेत्र हो जो कि प्लाण्ड क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र हो।

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, सदन का कोरम नहीं है।

अन्य माननीय सदस्य : लो, वह आ गये। (किन्हीं माननीय सदस्य के आने पर)

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, बिना भेंट पूजा के इस विभाग में कोई कार्यवाही हो जाये यह असम्भव है वैसे राजस्थान का कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं है। लेकिन सदन में जब कभी रिपोर्ट आयी तो पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग—इनके बारे में ही भ्रष्टाचार की चर्चा रही। लेकिन मैं कहूंगा कि दिन प्रति दिन किसी किसान को काम पड़ता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से काम पड़ता है। और उसको मजबूर होकर भेंट पूजा करनी पड़ती है। भेंट पूजा के बिना काम नहीं होता है। लेकिन इसके जो कारण हैं। उनमें कुनबा परस्ती भी एक है, उसके लिये जिम्मेदार स्वयं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी ही है। सभापति जी, आपको आश्चर्य होगा यह सुनकर कि देश के अन्दर यह एक ऐसा विभाग है जिसमें नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन आज तक किसी का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। न कोई लिस्ट बनी है। एक भी कन्फर्म नहीं हुआ है। चाहे वह चीफ इंजीनियर हो, चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो। सारी की सारी एडहोक बेसिस पर नियुक्तियां हुई हैं। उनकी कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं है। इसका परिणाम यह है कि इनके अभाव में यह विभाग इस प्रकार का बना हुआ है। इसमें एक पृथ्वीसिंह जी का गुट है। भट्ट जी का गुट है। एक भट्टजी का गुट पृथ्वीसिंह जी के गुट को तंग करना चाहता है और पृथ्वीसिंह जी का गुट भट्ट जी के गुट को तंग करना चाहता है। एक गुट की दूसरे गुट से चल जाती है। एक गुट किसी काम को करना चाहता है तो दूसरा गुट नहीं होने देता है। विभाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर एक गुट का इंजीनियर किसी लाइन को स्वीकार करता है तो दूसरे गुट का इंजीनियर उसको रिजेक्ट कर देता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर राजस्थान सरकार मौन क्यों है? राजस्थान सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाये हैं?

2 से 2.10

(2 म. प.)

मैं केटेगोरीकली मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आज तक सारे एपाइन्टमेंट्स आपने एडहाक बेसिस पर कर रखी हैं? केवल इसलिए कि मर्जी पात्र लोगों को, केवल खुशामदी लोगों को खुश करने के लिए जैसे तैसे कर दो। मैं किसी की प्रशंसा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ लेकिन सारा राजस्थान जानता है कि जहां तक श्री पृथ्वीसिंह का संबंध है, जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने काम किया आज उसका नतीजा है कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दूसरे जो खुशामदी लोग हैं उनको विक्टीमाइज करने पर तुले हुए हैं। मैं नहीं जानता कि जो कुछ शब्द कह रहा हूं उसका प्रभाव उन पर क्या पड़ेगा, उनके प्रमोशन पर या उनकी कन्फरमेशन पर लेकिन वेदना होती है, एक पीडा होती है छोटी से छोटी एपाइन्टमेंट को लेकर, छोटी से छोटी ट्रांसफर को लेकर, छोटे से छोटे प्रमोशन को लेकर यह प्रश्न पैदा होता है, यह भट्ट ग्रुप का आदमी है—यह पृथ्वीसिंह ग्रुप का आदमी है। यह प्रश्न कब तक चलता रहेगा ? क्यों नहीं राजस्थान सरकार कोशिश करके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती ?

आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से काम बांटा हुआ है। एक चीफ इंजीनियर को हाईटेन्शन लाइन लगाने का काम और दूसरे चीफ इंजीनियर को लो टेन्शन लाइन डालने का काम सौंपा हुआ है। क्या राजस्थान सरकार ने या बोर्ड ने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि इस कार्य विभाजन के कारण आपस में लड़ाई पैदा नहीं होती है ? दोनों के दोनों अधिकारी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी शिथिलता को छिपाने के लिए अपनी जिम्मेदारी क्या दूसरे अधिकारी पर नहीं डालते होंगे ? आज दिनों दिन विद्युत् मण्डल के अन्दर इस कारण से अर्थात् जो कार्य विभाजन किया हुआ है, उसके कारण असंतोष है, और कार्य में शिथिलता चली आ रही है। दूसरे राज्यों के अन्दर भी ऐसे काम होते हैं, चाहे हाई टेन्शन हो चाहे 11 के. वी. सब एक चीफ इंजीनियर कर सकता है मेन्टेनेन्स का काम और दूसरे काम दूसरे इंजीनियर पर डाल सकते हैं लेकिन यहां पर कार्य विभाजन काम के आधार पर नहीं किया जायगा। कार्य विभाजन इस आधार पर किया जायगा कि कौन व्यक्ति खुशामदी है कौन हमारे हाथ का खिलौना है और किस प्रकार का काम किस व्यक्ति को दिया जाय ताकि वह हमारे हाथ में रहे इसी के परिणामस्वरूप आज विद्युत् मंडल के अन्दर जो कार्यशिथिलता है, जो काम के अन्दर दिखाई है, वह किसी से छिपी नहीं है।

आज इस मण्डल के अन्दर जो कुछ ग्रुपीजिम पैदा किया गया, भेदभाव पैदा किया गया, इसके अन्दर जो विद्युत् मंडल के भूतपूर्व चेयरमैन थे, उनका पूरा सहयोग और समर्थन रहा है। पर जो नए चेयरमैन महोदय आए हैं, मैं मंत्री महोदय के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करें कि आज इस गावाजी के कारण विद्युत् मंडल में शिथिलता आ गई है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाय या आपस में जो अधिकारियों में मत भेद है उसे कैसे समाप्त किया जाय और वर्तमान प्रणाली में जो खामियां हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाय।

सारे माननीय सदस्य और स्वयं सरकार मानती है कि राजस्थान विद्युत् मंडल घाटे के अन्दर चल रहा है घाटा लाखों रुपयों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का चला आ रहा है और इस सारे घाटे का किसी पर दोष डाला जाता है या किसी पर जिम्मेदारी डाली जाती है तो विद्युत् मंडल या सरकार केवल एक नारा देकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये और अपने दुर्गुण छिपाने के लिये एक बात कहती है कि हम ग्रामीण विद्युतिकरण कर रहे हैं, वह महंगा पड़ता है और इस कारण विद्युत् मंडल में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

घाटा चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि यह एक कारण हो सकता है लेकिन अगर इसी कारण को लेकर इस विद्युत् मंडल की कमजोरियों को, भ्रष्टाचार को चाहे खरीद के सवाल को लेकर, या बड़े बड़े पूंजीपतियों को सस्ती बिजली देने का सवाल हो या उद्योगपतियों को छूट देने का सवाल हो, अगर उन प्रश्नों को हरी क्रांति की आड़ में छिपाने का प्रयास किया जायगा तो विद्युत् मंडल और सारा राजस्थान अंधिकार के अन्दर रहेगा।

जहां तक खरीद का प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर चाहे कितना नुकसान हो, कुएं कुएं तक बिजली पहुँचाई जाय। बंगाल में जिस प्रकार अराजकता की स्थिति पैदा हुई और उसके कारण जो आज राजस्थान के प्रवासी भाई राजस्थान में लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, उनको यदि समय पर बिजली मिले तो यहां पर काफी लघु उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुओं व ढाणियों तक खंभे लगाकर मोटर लगाई जाय और खेतों को सिंचित किया जाय चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। आज हमें देखना होगा कि विद्युत मंडल में कौन से छिद्र हैं जो राजस्थान की संपत्ति को खाए जा रहे हैं।

विद्युत् मंडल में केवल 1967-68 में 328.71 लाख रुपयों का नुकसान है और 1964-65 से लेकर 1967-68 तक कुल नुकसान 974.46 लाख रुपयों तक गया। यह नुकसान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन क्या विद्युत् मंडल ने कभी इस पर विचार किया है कि यह घाटा क्यों हुआ? जो घोटाला है, खरीद के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं क्या इन पर कभी विचार किया है? सब से बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वह है इस बोर्ड में परचेज कमेटी का गठन। ऐसी कमेटी देश के किसी अन्य विभाग में नहीं है। यहां परचेस कमेटी का चेयरमैन खुद विद्युत् मंडल का चेयरमैन है, यह केवल अकेला राजस्थान है जहां ऐसी बात है। अगर घोटाले का सवाल आए, लोएस्ट टेन्डर एक्सेप्ट न करके हायर टेन्डर एक्सेप्ट करने का सवाल आए या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार कोई माल सप्लाई नहीं किया गया हो, शिकायत का सवाल हो तो किसको की जाय। जब चेयरमैन स्वयं परचेज कमेटी का सदस्य हो तो शिकायत किस जगह करें। अकेले राजस्थान के अन्दर परचेज कमेटी के अन्दर स्वयं विद्युत् मंडल का चेयरमैन बिठाया गया है। मैं समझता हूं नए चेयरमैन इस पर विचार करके जैसे देश में अन्य जगहों पर परचेज कमेटी के गठन की व्यवस्था है, उस प्रकार की व्यवस्था यहां पर भी करेंगे और जो लोग शिकायत करने वाले हैं उनको शिकायत दूर करने का मौका दिया जायगा परचेज कमेटी में चेयरमैन का जो स्थान बोर्ड के चेयरमैन को दिया हुआ है, उसमें उनको अलग करें।

आज जो देश में और राजस्थान में सब से बड़ी समस्या है वह है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे नोजवान आज बेकारी के शिकार हैं लेकिन हमारी सरकार और विद्युत् मंडल और विशेषकर उसके भूतपूर्व चेयरमैन अमरीका और पश्चिमी देशों की होड़ में लगे हुए हैं।

Page No 74

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

चाहे राजस्थान में कितने ही इंजीनियर बेकार हो जायं लेकिन वे सोचते हैं कि हम भी अमरीका से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं। उन्होंने एक मशीन आइमा खरीदी लगभग 15-20 लाख की, यह मशीन आटोमैटिक केल्क्यूलेशन करती है। इसकी क्या आवश्यकता थी ?

खैर, यह प्रश्न अलग है। मैं जानकारी चाहूंगा कि क्या इस मशीन को खरीदने के मामले को कभी भी पर्चेज कमेटी के सामने लाया गया ? क्या इस मशीन को खरीदने के लिये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने यह सवाल लाया गया ? न तो यह पर्चेज कमेटी के सामने आया और न ही यह मामला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने आया और स्वयम् चेयरमैन ने बिना टेन्डर इन्वाइट किये एक पार्टी से पर्चेज करने के आर्डर्स प्लेस कर दिये। टेन्डर इन्वाइट करने की फार्मेलिटी भी उन्होंने पूरी करने की कोशिश नहीं की। जो कन्ट्रोलर आफ अकाउन्ट्स हैं, जो उनके स्वयम् के मर्जी पात्र हैं, उनको पर्चेज करने के लिये भेज दिया। He is not an expert. He does not know A. B. C. of electricity. उनको इसको खरीद करने के लिये भेज दिया। न तो इसके लिये टेन्डर इन्वाइट किये, न पर्चेज कमेटी के सामने यह मामला आया, चेयरमैन ने स्वयम् अपने मर्जी के आदमी को, कन्ट्रोलर आफ अकाउन्ट्स को पर्चेज करने के लिये भेज दिया और वह इसको खरीद कर लाये। इससे भी अधिक आप, सभापति महोदय, आश्चर्य करेंगे कि यह आइमा को मशीन कैसे चलनी चाहिये, इसकी क्या टैक्निक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और राजस्थान सरकार के पास एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो इसको हैंडल कर सके। 15.20 लाख की मशीन आइडल पड़ी रही आखिर। कहीं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने यह मामला न आ जाय, अपनी कमी को छिपाने के लिये इस मशीन को चलाने की जबरदस्ती की और उसका नतीजा यह निकला कि वह मशीन बेकार हो गयी। इस मशीन के पर्चेज के जो स्केन्डल हैं उसके कारण राजस्थान की गरीब जनता के 20 लाख रुपये डूब गये। टेन्डर इन्वाइट करने की फोर्मेलिटी नहीं की गयी जिसमें कमीशन की भरमार है, इसको बोर्ड के सामने नहीं लाया गया। आखिर उस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या एक्शन प्रोपोज किया है ? राजस्थान सरकार यह कुछ नहीं कर सकती, कोई एक्शन लेना नहीं चाहती उस अधिकारी के विरुद्ध जिसने राजस्थान की गरीब जनता का बीस लाख रुपया हड़प कर दिया और ऊपर से यह कहा जाता है कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण करना चाहते हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अॉन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर। मैं यह जानना चाहूंगा कि कोई मेम्बर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का मेम्बर हो और उसके एक्जामिनेशन में सारा मामला आया हो, उसकी नालेज को काम में लाकर उसको हाउस में स्टेट किया जा सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : यह मामला पी. ए. सी. में आया या नहीं यह आप ही बता दें ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं भी पी. ए. सी. का मेम्बर था। लेकिन माननीय सदस्य

Page No 75

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ग्रॉलराइट । ग्रौर अगर ग्राया है ग्रौर ग्रापकी नोलेज में दे तो · ·

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति जी, मुझे· ·

श्री सभापति : ग्रापत्तिकर्ता माननीय सदस्य की जानकारी में ग्राप पी. ए. सी. के मेम्बर हैं, उसकी कार्यवाही में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मामला ग्राया । ग्रापका मतलब पहले की पी. ए. सी. से है या ग्रभी जो स्टेट ग्रन्डरटेकिंग बनी है उससे है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसके बाद यह कमेटी बनी है । उससे पूर्व पब्लिक ग्रकाउन्ट्स कमेटी में यह मामला ग्राया । उनकी नालेज में ऐसा हुग्रा है ग्रौर जानकारी में है तो उनको यह यहां पर नहीं देना चाहिए । नहीं ग्राया है तो ठीक है ।

श्री सभापति : पी. ए. सी. में मामला ग्राया होगा तो रिपोर्ट में ग्राया होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर) : ग्राया था इसकी ग्राप पुष्टि कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कौन से साल की कह रहा हूं ? कौन से साल ये पर्चेजज हुई ? ग्रापने ग्राडिट रिपोर्ट पढ़ी नहीं । न तो ग्राडिट रिपोर्ट में हवाला है ग्रौर न· · ·

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रापने खुद ने कहा है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जितनी ग्रापकी जानकारी है उस पर मुझे रहम ग्राता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रापने खुद ने कहा है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यह कहा जाता है कि हम ग्रामीण विद्युतीकरण करना चाहते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लोस है, यह केवल एक भ्रामक नारा है । यह एक तथ्य है कि पर्चेजेज में भयंकर स्केन्डल है । यही एक सवाल ही नहीं है । विधान सभा के सामने पर्चेजेज के एक नहीं ग्रनेक प्रश्न ग्राये हैं ग्रौर सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को ग्रापके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पोलिटेक मीटर्स की पर्चेजेज का जहां तक सवाल है केवल एक इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी ग्रानन्द से पर्चेजेज क्यों की गयीं ? ग्रापको यह जानकर ग्राश्चर्य होगा, सभापतिजी, कि इसके लिए टेन्डर इन्वाइट किये गये लोवेस्ट टेन्डर को रिजेक्ट किया गया ग्रौर हायर टेन्डर को स्वीकार किया ग्रौर जब उसके बाद माल सप्लाई हुग्रा तो स्वयं विभाग के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे मि. बज, उन्होंने ग्रापत्ति की कि जो पोलिटेक मीटर्स सप्लाई किये गये हैं वह ग्राई.एस.ग्राई.के स्पेसिफिकेशन के ग्रनुसार नहीं है, स्टेन्डर्ड से बिलो हैं । केवल उन्हीं की यह रिपोर्ट नहीं है किन्तु ग्राई. एस. ग्राई. ने भी यह कहा है कि जो मीटर्स पर्चेजेज किये हैं वे नोट ग्रप टू दी मार्क हैं, स्पेसिफिकेशन के ग्रनुसार नहीं है । यह उन्होंने भी रिपोर्ट की है । पोलिटेक मीटर्स के पर्चेजेज के मामले को जान बूझकर दबाया गया ग्रौर घुमा फिराकर एक राय दे दी यह मानकर भी कि स्पेसिफिकेशन के ग्रनुसार नहीं हैं, बिलो स्टेन्डर्ड है ग्रौर इससे कोई ग्रन्तर नहीं पड़ेगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि लोवेस्ट टेन्डर को रिजेक्ट करके हाइयेस्ट टेन्डर को स्वीकार करने की क्या ग्रावश्यकता थी ग्रौर हाईयेस्ट टेन्डर स्पेसिफिकेशन के ग्रनुसार न हो तो उसको पेमेन्ट करने की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

क्या आवश्यकता थी ? क्या इन सारे सवालों से इस मामले में दुर्गन्ध नहीं आती ? क्या कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट नहीं था ? लेकिन वहां पर कोई सुनाई नहीं की । आडिट रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये एक सवाल नहीं। पार्टीज से पर्चेजेज जरूर हुए हैं। पर्चेजेज में स्केन्डल की बू आती है। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा राजस्थान की गरीब जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ की गयी है। घटिया माल उसके द्वारा खरीदा गया और उसका भारी पैसा दिया गया और आज तक उसकी कोई जांच करने वाला नहीं । केवल यह कह देना काफी नहीं है कि ग्रामीण विद्युतीकरण करके क्रान्तीकारी परिवर्तन करना चाहते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमैन ने पर्चेजेज में भारी स्केन्डल किये हैं, राजस्थान की जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं । आज इन सवालों को देखने वाला कोई नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : कौन चेयरमैन ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : भूतपूर्व चेयरमैन जो अभी गये हैं।

पर्चेजेज के घोटालों की ओर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि सरकार को चुनावों के लिए चांदी के टुकड़े चाहिए, कमेटी और ग्राम चुनावों के लिए सरकार को थैलियां चाहिए लेकिन ये टुकड़े और ये थैलियें राजस्थान की जनता की कीमत पर मत खरीदिये। ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करके आप अपने सारे एत्रों को छिपाना चाहते हैं। डी. सी. एम. को तीन पैसा प्रति यूनिट से बिजली दी जाय इसके पीछे क्या राज है ? मंत्री महोदय से एक सवाल और पूछता हूं । जिस समय बिजली कम आयी, गांधी सागर में 64.65 में पानी कम रहा था, राजस्थान सरकार से एग्रीमेन्ट केवल इतना था कि गांधी सागर से बिजली सप्लाई होगी तीन पैसे प्रति युनिट लेकिन जब गांधी सागर में पानी कम होने से बिजली में कमी आयी तब आपने कटौती के प्लान उन फेक्ट्रीज पर और सब पर लागू किये। लेकिन आपने सफेद हाथी गैस प्लान्ट कोटा में डाला । उस पर सरकार का बड़ा खर्चा आता था फिर भी तीन पैसे प्रति यूनिट पर आपने उनको बिजली दी इस गैस प्लान्ट से सप्लाई होने वाली बिजली मंहगी पड़ती थी. फिर भी डी. सी. एम. को सस्ती क्यों दी ? आज तक आप जवाब नहीं दे सके । जब पावर की कमी थी उसके साथ साथ थरमल प्लान्ट डाला इन्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डी. सी. एम. के कास्टिक सोडा फेक्टरी को तीन पैसा प्रति यूनिट का कन्सेशन दिया गया । जिस समय बिजली में कमी आयी उसको पूरा करने के लिए इस डी. सी. एम. 4 कन्सेशन से थरमल प्लाण्ट डाला । इस कम्पनी ने गैस टरबाईन, चम्बल की बिजली और थरमल प्लान्ट इन तीनों के मीटर कामन रख दिए उसका वायर अन्डर ग्राउन्ड डाला गया । इस तीन पैसे यूनिट की चोरी को छिपाने के लिए तीनों कन्सेशन एक ही मीटर पर कर लिए । इस तरह से उनको सस्ती बिजली सप्लाई होती रही गत सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि डी. सी. एम. ने बिजली की चोरी की जिसकी रिपोर्ट सुपरिण्टेन्डिंग इन्जीनियर द्वारा की गई । मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के आधार पर क्या जांच करवायी गई ? और जांच करवाकर किस प्रकार की कार्यवाही की गई, उन पर किसी प्रकार की पेलेन्टी इम्पोज की गई और क्या आपने उनसे रिकवरी की। राजस्थान सरकार विद्युत् मण्डल के माध्यम से पूंजीपतियों पर हाथ डालना नहीं चाहती इसमें नुकसान उनका तो कुछ होने वाला नहीं यह जो नुकसान होगा उसका भार कन्जूमर पर पड़ेगा। यही केवल एक घटना नहीं है।

इसी प्रकार से सवाई माधोपुर में भी हमारे मुख्य मन्त्री महोदय का एक लाड़ला कन्सर्न जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के उसके बारे में मैंने सवाल पूछा था उस पर क्या कार्यवाही की गई ? सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे इस सवाई माधोपुर के उद्योग को स्पेसिफिक परपज के लिए बिजली देने का कोन्ट्रेक्ट था। बिजली स्पेशल परपज के लिए दी जाने वाली थी लेकिन चुंकि यह उद्योग हमारे मुख्य मन्त्री का लाड़ला है···

श्री भैरोंसिह : मुख्य मन्त्री इस उद्योग के लाड़ले हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापति महोदय, सन् 62 के अन्दर 500 के. बी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगाया गया। जो बिजली सप्लाई होती थी वह स्पेसिफिक परपज के लिए अण्डर एग्रीमेन्ट देने के लिए कनेक्शन्स मिल गया। लेकिन जिस परपज के लिए यह कनेक्शन दिए गये उस के लिए इसको काम में न लेकर डिफेरेंट परपज के लिए उसका उपभोग किया गया और उसके लिए अलग मीटर नहीं लगाया और न उसके लिए बोर्ड से ही परमीशन ली गई है और न इसके लिए बोर्ड से एग्रीमेन्ट ही हुआ। और इस तरह से वे बिलों का भी मनमाने ढंग से पेमेन्ट करते रहे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सन् 62 के अन्दर नोटिस दिया कि आप जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो आपने बिना हमारे एग्रीमेन्ट कनेक्शन कैसे मिला दिये ? इसके लिए डिफेरेन्ट मीटर क्यों नहीं रखा ? लेकिन यह नहीं किया गया। इसी प्रकार उनकी कार्यवाही चलती रही पेमेन्ट भी वे मनमाने ढंग से करते रहे। अपने बिल के अनुसार वे मूल आधार पर पेमेन्ट करते रहे। आप आश्चर्य करेंगे 31-3-69 तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बिलों का डिफरेंस जो रहा वह आज तक उनसे वसूली के योग्य हुआ 23 लाख 87 हजार रुपयों की रकम इस उद्योग के खिलाफ चली आ रही है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सन् 62 से लेकर आज 70 चल रहा है इन आठ सालों में इस बकाया की वसूली के सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : साहू जैन भी इनका दादा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया गया ? क्या उनके खिलाफ पेलेन्टी इम्पोज की गई ? क्या उनका कनेक्शन काटने के लिए नोटिस दिया गया ? कोई छोटी मोटी रकम नहीं यह रकम 23 लाख 87 हजार है उस रकम की वसूली पी. डी आर. के अन्तर्गत करवाई क्या ? किसकी हिम्मत है जो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सके, किसकी हिम्मत है जो उसने नियमों का उल्लंघन किया उसका कनेक्शन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

काट दे ? क्या उनको अब भी नोटिस सर्व किया जायगा। यह लाड़ला उद्योग गरीब जनता की छाती पर चल रहा है आज उस का खमियाजा गरीब जनता को भुगताना पड़ रहा है।

चाहे फोरेस्ट का मामला हो माइन्स की लेन्ड रिलीज करने का मामला हो यह समाजवाद का नारा देने वाली सरकार पूंजी पतियों का अनावश्यक रूप से गैर कानूनी ढंग से पोषण कर रही हैं, उनको पनपा रही है। यह सब गरीब जनता की कीमत पर। आज उस किसान को कोई पूछने वाला नहीं जिस को आज अपने कूए पर बिजली की जरूरत हैं। आज हमारा यह विद्युत मण्डल भी पूंजीपतियों के इशारे पर ही चल रहा है। आज एक गरीब कन्जूमर जो अपना बिल पेमेन्ट करने में एक दिन की भी देरी कर देता है तो उसके कनेक्शन को काटने का आदेश दे दिया जाता है लेकिन बिन पूंजी पतियों में इतना बकाया होते हुए भी प्राइवेट कम्पनीज में उनकी लीज को टरमीनेट नहीं किया जाता है प्राइवेट कन्सर्न्स किस प्रकार बिजली का दुरूपयोग करते हैं और आपकी दी हुई सहूलियतों का किस तरह से नाजायज फायदा उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। भोपाल इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी, उदयपुर हैं उसने कहा कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में नुकसान है तो उसको राजस्थान सरकार अपने खजाने से पैसा देने को तैयार है। जब गांधी सागर और भाखरा की बिजली में कमी आयी, उदयपुर की कम्पनी को 10 लाख युनिट चाहिये थे तो तब उनको कम रेट से बिजली दी गई और उनको कम्पनसेट किया गया उसमें सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ उसके साथ हुए एग्रीमेण्ट के अनुसार कम्पनसेट करने के लिए यह आपकी समाजवाद में आस्था की द्योतक नीति है। इसके अन्दर पनपेंगे पूंजीपति इस नई रोशनी के अन्दर पूंजी पति पनप रहे है डी. सी. एम., साहू जैन, सिहानिया ये पूंजीपति आज राजस्थान की गरीब जनता की कीमत पर इस नई रोशनी के राज्य में पनप रहे हैं।

आज किसी मामूली कन्जूमर में रकम बाकी रह जाती है उसका कनेक्शन काट दिया जाता है उसको आप नोटिस सर्व करते हैं। मैं आज राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप नियमों के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जिस प्रकार की व्यवस्था है तीन महीने की खपत के एवरेज पर आप सिक्योरिटी डिपोजिट करवाते हैं और जिनकी दस हजार रुपये से ज्यादा खपत है उनसे सिक्योरिटी के रूप में एक महीने का एडवान्स लेते हैं, दस हजार से एक्सीड करता है तो उसके लिये गारन्टी लेते हैं। इस प्रकार की खपत में किसी किसान का नाम नहीं आता है, शहर में रहने वाले कन्जूमर का नाम नहीं आता है रेफरीजेटर चलाने वाले का नाम नहीं आता है लेकिन इसमें उन्हीं लाड़लों का नाम आता है जो तीन महीने के अन्दर दस हजार युनिट से अधिक की खपत करते हैं या एक महीने से अधिक में खपत करते है क्या उनसे आपने रकम जमा कराई हैं? इस तरह सिक्योरिटी डिपोजिट की 19 लाख 71 हजार की रकम 16 पार्टीज में बकाया रही है जो बल्क परचेज बिजली की करते हैं। जिनकी सिक्योरिटी डिपोजिट होनी चाहिये थी बैंक गारन्टी हो जानी चाहिये थी लेकिन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
उसका भी 19·71 लाख रुपया बकाया है। यह क्यों नहीं वसूल किया गया ?

आज ये दो चार जो केस दृष्टान्त रूप में सामने रखे हैं अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि करोड़ों की रकम आज आपके चहेते लाड़ले केवल तीन चार आदमियों में बकाया निकलते चले आ रहे हैं। आप उनसे वसूली करना नहीं चाहते। समय निकल जाने पर आप उनको खारिज कर देंगे रकम को। इस रकम के बल पर आप सौदा करेंगे उनसे चुनाव के समय सन् 72 में। यह कोई नई छिपी हुई बात नहीं है। सौदे होते हैं। होते रहे हैं आज से पहले भी चुनावों के समय पर। चाहे इरिगेशन के कन्ट्राक्ट हों, चाहे पी. डब्लू. डी. के हों, किसी विभाग के हों सब में सौदे होते हैं और इनमें जिक्र से आडिट रिपोर्ट भरी पड़ी है सन् 62 की जनवरी फरवरी हो, या 67 की जनवरी फरवरी हो सब एग्रीमेंट सौदा करके समाप्त कर दिये गये चाहे उन पर आठ आठ और दस दस वर्षों पुराने विभाग के क्लेम चलते रहे हों चीफ इन्जीनियर के इन्जीनियरों के एक्जीक्यूटीव इन्जीनियरों के, विभागों के ऑब्जेक्शन चल रहे हों, सब खत्म कर दिये गये और इस आने वाले सन् 72 में भी उन सबका सबके ऐतराजों के बाद भी सफाया कर दिया जावेगा। उनको इलेक्शन के लिये पैसा जो चाहिये।

मुझे यही डर है कि इन चार पांच बड़े बड़े मामलों में जिनमें करोड़ों रुपया इन्वाल्व्ड हैं जो जायज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा होने चाहिये ये सब सन् 72 में इसी तरह से निपटा दिये जावेंगे जैसे आज तक हर इलेक्शन में निपटाते आये हैं।

तो, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतिकरण की आड़ में यह लॉस दिखाकर लोगों को और इस सदन को गुमराह करने का प्रयत्न मत करो। ग्रामीण विद्युतिकरण के लिए तो और नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर वास्तव में होता होगा तो। राजस्थान में कृषि को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में यहां की इण्डस्ट्री को पनपाने के लिए बंगाल से राजस्थान में अगर सही माने में कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट आता है तो उसे यहां सैटल करने के लिये सस्ती बिजली देनी पड़ेगी। ईमानदारी से देनी पड़ेगी। पर नुकसान उनसे भी नहीं होगा। नुकसान अगर होगा तो परचेजेज के घोटालों से होगा, पूंजीपतियों को, अपने चहेतों को, अपने लाडलों को जो छूट दे रखी है नाजायज तौर से और जिनकी नाजायज हरकतों को पकड़ने की और उनके दण्डित करने की अपने ही अधिकारियों को छूट नहीं देते उससे होगा नुकसान और नुकसान होगा उनके साथ इलेक्शन की बात को सामने रखकर सौदा करने से।

अन्त में, मैं सभापतिजी, निवेदन करूंगा कि आप इन सारे प्रश्नों पर इस पृष्ठभूमि में विचार करें। अपने सारे एडमिनिस्ट्रेशन को तेज करें, ईमानदारी से काम करने की छूट उनको दें। भाई-भतीजावाद को समाप्त करें। अधिकारियों में विश्वास दिलाने के लिए उनकी योग्यता, क्षमता और ईमानदारी के आधार पर उनको तरक्की मिल सके, उनका पोस्टिंग हो सके इसको दृढ़ता से व्यवस्था करें, और ये जितने घोटाले होते हैं उनको मिनिमा-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इज किया जा सके, इस दृष्टि से कठोर कदम उठावें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द कटेवा ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई के बोलने के लिए खड़े होने पर) आप तो रोज ही बोलते हैं।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : राजस्थान में 32 हजार गांव है। बिजली विभाग की रिपोर्ट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि विगत वर्षों में उसने 2700 गांवों को बिजली दी गई है या इस वर्ष के अन्त तक दे पावेंगे। सभापति जी, यह जो बिजली गांवों को देने की रफ्तार है उससे 65-66 से लेकर इस वर्ष तक का एवरेज 365 गांवों का एक साल में आता है। अब आप देखेंगे कि अगर इस रफ्तार से चले तो शायद सत्तर सालों से भी अधिक समय में राजस्थान के हरेक गांव में बिजली पहुंच पावेगी। दूसरी तरफ आप देखिए। हरियाणा प्रान्त है। वह इस महिने के अन्त तक सारे के सारे गांवों में अपने राज्य में बिजली पहुँचा देगा। यही हाल करीब करीब मध्यप्रदेश का है, यू.पी. को देखिए। सभापति महोदय, इसको देखते हुए आगामी साठ सत्तर साल में भी राजस्थान अपने गांवों में बिजली नहीं दे पावेगा। यह इसके लिए शोभा की बात नहीं है।

राजस्थान में इस समय 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। राजस्थान के हिस्से में 250 मेगावाट बिजली आती है। पर आज राजस्थान में सिर्फ 175 मेगावाट बिजली ही काम में ले पाने की क्षमता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए मैं सरकार को दोषी ठहराता हूं।

मेरी यह मान्यता है कि साधनों की कमी होते हुए, और पैसे की कमी होते हुए राजस्थान के बिजली बोर्ड ने जिस प्रकार से बिजली फैलाई है वह आदर्श की बात है। इस विभाग के उच्च अधिकारी काफी मेहनत और तत्परता से काम करते रहे हैं जब कि हमारी सरकार बिजली के मामले में बिलकुल सोई सी रही है। अगर राजस्थान का बिजली बोर्ड इस तत्परता से काम नहीं करता और सरकार के पद चिन्हों पर ही चलता जो आज तक 2700 गांवों को भी बिजली नहीं मिल पाती।

श्री भैरोंसिंह : बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया सरकार को आपने।

श्री मूलचन्द कटेवा : एटोमिक स्टेशन से हमें 290 मेगावाट बिजली एक डेढ़ साल बाद और मिलने वाली है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या इस बिजली का उपयोग करने की उसकी तैयारी है? आज हमारे पास राजस्थान में बिजली लाइनें हैं और जितने स्टेशनों का प्रबन्ध है वह हमारे हिस्से की 250 मेगावाट बिजली भी नहीं ले पा रहे हैं। मुझे तो इस बात में शक है कि जब एटोमिक पावर आवेगा तो यह सरकार उस पावर को खपाने का भी कोई प्रबन्ध कर पावेगी। बहुत सम्भव है कि इन्तजाम नहीं कर पाने पर पास किसी पड़ोसी प्रान्त को वह बिजली भी चली जावे।

(श्री मूलचन्द कटेवा)

सभापति महोदय, यह कितने शर्म की बात है कि हरियाणा प्रदेश के बिजली बोर्ड का चेयरमैन यह कहे कि अगर राजस्थान की सरकार उसे स्वीकृति दे तो वह हरियाणा की सीमा से लगने वाले राजस्थान के कई गांवों में बिजली दे सकते हैं। एक तरफ तो यह हाल है, दूसरी तरफ हम अपनी ही बिजली अपने यहां खपाने की क्षमता नहीं रखते।

श्री विजयसिंह (मकराना) : डूब कर मर जाना चाहिये चुल्लू भर पानी में।

श्री मूलचन्द कटेवा : बिजली के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कई तरह की आलोचनाएं की हैं। उनमें से कुछ ठीक भी हो सकती हैं। पर एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सारी खराबी की जड़ यह है कि समय पर बिजली बोर्ड को पैसा नहीं मिलता है और जब बिजली बोर्ड को समय पर पैसा नहीं मिलता तो आज कारखानों को दूसरे प्रान्तों से भी इतनी भारी तादाद में आर्डर मिलते हैं कि वे समय पर हमें माल की सप्लाई नहीं कर पाते और जब माल की सप्लाई नहीं होती तो उसका नुकसान राजस्थान के किसानों को या छोटे-मोटे बिजली के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। छोटे-बड़े कारखाने वालों को भुगतना पड़ता है।

सभापति महोदय, आप अगर जाकर गांवों में देखें तो आपको वहां ट्रान्सफार्मरों की पूरी कमी नजर आवेगी। आप किसानों के कुओं पर जाइये। शायद ही आपको कोई ऐसा कुआ मिलेगा जिस पर सही वोल्टेज आता हो। इसका मेन कारण यह है कि हमारे यहां ट्रांसफोर्मरों की कमी है और यह इसलिये है कि बोर्ड के पास उनको खरीदने के लिये पैसा नहीं है। इसका परिणाम किसान को और छोटे-बड़े कारखानेदार को भुगतना पड़ता है जिनकी मोटरें पूरे वोल्टेज के नहीं मिलने से जल जाती हैं और किसान वगैरह सब परेशान होते हैं, नुकसान उठाते हैं। जहां 11 के. वी. की लाइनें लगनी चाहिये वहां एल. टी. की लाइनों से काम लिया जाता है। जहां 500 का ट्रान्सफार्मर लगना चाहिये वहां तीन सौ और साढ़े तीन सौ से काम लिया जाता है। अब यदि मोटरें नहीं जलेंगी तो क्या होगा? अब किसान के सामने इससे बचने के लिये दो ही रास्ते हैं, एक तो यह कि वह अपनी मोटरें बन्द करदें या अगर जल जावे तो उनको ठीक कराता रहे। ठीक कराने में उसको दस दिन का समय चाहिये वापिस वाइण्डिंग के लिये और इस समय में अगर उसकी खेती पानी के अभाव में सूख जावे या मुरझा जावे तो वह नुकसान भी उसे बर्दाश्त करना पड़ता है।

(2.38 म. प्र.)

(श्री विजयसिंह मकराना, सभापति, पदासीन)

यह इस तरह से काश्त को ही नष्ट कर देता है। छोटे-बड़े उद्योग ठप्प हो जाते हैं, या पूरा उत्पादन नहीं कर पाते, जिसके कारण वे नुकसान में चले जाते हैं।

इसलिए मैं यह चाहूंगा कि बिजली बोर्ड इस पर ध्यान दे कि जिन किसानों को वे बिजली दें या दे दी है उनको सही वोल्टेज दें और अगर सही तरीके से वोल्टेज नहीं जाता है तो बजाय बिजली फैलाने के

(श्री मूलचन्द कटेवा)

सब से पहली आवश्यकता इस बात की है कि जिन गांवों को बिजली दी जा चुकी है उनमें पहले पूरी तादाद में वोल्टेज दिया जावे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं बोर्ड को सबसे बड़ा नुकसान होता होगा तो वह ट्रान्सफार्मर्स के जलने से नुकसान होता है। हम देखते हैं जब कोई रेल्वे में एक्सीडेन्ट होता है तो अलग-अलग विभागों के आदमी जाकर जांच करते हैं कि किस वजह से यह एक्सीडेन्ट हुआ, किस पुर्जे में क्या खराबी थी। आप देखेंगे 500 और 1000 वाट के ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है यह कैसे जल गया।

आपको यह सुनकर अचम्भा होगा कि जो आदमी ट्रान्सफार्मर्स पर रखे हुए हैं उनको ट्रान्सफार्मर्स का काम नहीं आता है। केवल उनको फ्यूज लगाना आता है। कितने दिनों में इसका तेल चेन्ज करना है, ट्रान्सफार्मर में अगर खराबी हो गई तो किस जगह हुई और कैसे ठीक की जा सकती है, कैसे ट्रान्सफार्मर को चलाना है, कब बन्द करना है और कब शुरू करना है ये कुछ भी काम ट्रान्सफार्मर पर रहने वाले आदमी को नहीं आते हैं। इसलिए आये दिन ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं और जब हम चीफ इन्जीनियर के, इन्जीनियर के, ए. इ. एन. के यहां जाते हैं तो जले ट्रान्सफार्मर के ढेर के ढेर मिलते हैं। सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया एक तो ट्रान्सफार्मर की कमी है और दूसरी तरफ ट्रान्सफार्मर जलने के कारण किसान के लिए बरबादी का कारण बन जाती है और हम यह आये दिन देखते हैं। मैं उस इलाके से सम्बन्धित हूं जहां से बहुत से गांवों में बिजली फैली हुई है।

ट्रान्सफार्मर जलने के कारण हर साल लाखों रुपयों का नुकसान बोर्ड को भी होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बोर्ड के चेयरमैन को यह कहना चाहूंगा कि जो ट्रान्सफार्मर जलते हैं उसकी बाकायदा एन्क्वायरी होनी चाहिए जिससे इन ट्रान्सफार्मरों के जलने में कमी आयगी। उससे ए. इ. एन. सतर्क होंगे और जिन गलतियों के कारण ट्रान्सफार्मर जलता है उसमें सुधार होगा और किसान को एक बहुत बड़ी भारी राहत मिलेगी। दूसरे ट्रान्सफार्मर के अक्सर जलने का कारण उसका ओवरलोड भी होता है। सभापति महोदय, आप देखेंगे कि बराबर कनेक्शन दे दिये जाते हैं लेकिन इस बात की परवाह नहीं की जाती है कि ट्रान्सफार्मर के अन्दर कनेक्शन की इतनी केपेसीटी है या नहीं इसलिए मैं आपके माध्यम से बोर्ड के चेयरमैन··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को यह कहना चाहूंगा कि वे इसकी भी जांच करें और यह आदेश प्रसारित करें कि कोई भी ट्रान्सफार्मर ओवर लोड न हो पाये और इस तरह कनेक्शन न दिये जायं।

सभापति महोदय, बिलों का भी एक अलग से सवाल है। किसानों को माहवारी बिल नहीं मिलता है और माहवारी बिल न मिलकर 5-6 महीने बाद इकट्ठा बिल दिया जाता है और वह किसान के पास ऐसे समय में भी बिल पहुंचता है जब उसे काश्त का खर्चा उठाना पड़ता है, तो उस समय बिलों की रकम उसमें और जुड़ जाती है तो उसके लिए काफी परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बिल समय पर पहुंचने चाहिए और बहुत अच्छा तो यह रहे कि किसान को जो बिजली उसकी खेती

(श्री मूलचन्द कटेवा)

के काम आती है उसका पलेट रेट तय कर दिया जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली विभाग जो सर्वे करता है, जो बिजली बोर्ड का आधार है वह कतई सही नहीं है । बिजली बोर्ड आज जिस गांव को बिजली देते हैं उस गांव के अन्दर कितने कुए हैं और बिजली बोर्ड को कितना रिटर्न होगा यह देखता है । अगर इस तरह बिजली दी जाती रही तो वह गांव जो पिछड़े हुए हैं, जो अधिक हालत से कमजोर हैं उनका कभी भी नम्बर नहीं आयेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री मूलचन्द कटेवा : 5 मिनट ।

श्री सभापति : बोलने वाले बहुत हैं, समय कम है । चार बजे उत्तर दिया जायगा ।

श्री मूलचन्द कटेवा : सभापति महोदय· ·

श्री सभापति : आपकी पार्टी का समय आप ज्यादा ले रहे हैं । बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं ।

श्री मूलचन्द कटेवा : सभापति महोदय, जो क्राइटेरिया रखा है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है । पहले शुरु शुरु के अन्दर लोगों ने शौक से कुए बनाये कि बिजली मिलेगी और जिन गांवों में कुए बनाये उनको बिजली नहीं मिलने के कारण कर्जे की रकम वापिस नहीं दे पाये और इसलिए नये कुए बनाना छोड़ दिया है । कुओं में काफी पानी है लेकिन बिजली उनको नहीं मिलती है । उस समय के रिटर्न के आधार पर बिजली नहीं मिल सकती है तो यह खेद की बात है। इसलिए मैं बोर्ड से आपके माध्यम द्वारा यह कहना चाहूंगा कि जिन गांवों के धरातल में पानी काफी है, अच्छी जमीन है उसकी सर्वे कराइये, उसकी स्वीकृति कीजिये और उसके साथ यह पाबन्दी रख दीजिये कि अगर ये गांव वाले इतने कुएं नहीं बना सके तो यह स्वीकृति खारिज करदी जायगी । इससे कमजोर हालत के गांवों को भी बिजली मिलेगी नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे जिले के बारे में ऐक बात कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष भारत सरकार के विद्युत् मन्त्री श्री के. एल. राव पिलानी पधारे थे । उन्होंने काटली नदी के बारे में इन्जिनियरों से बातचीत की थी और व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत की थी। काटली नदी के किनारे पर 22 गांव हैं । हमें यह आश्वासन दिया था कि झुंझुनू जिले में इन 22 गांवों को अब प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जायगी क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा था कि काटली नदी के कुओं पर दो दो मोटरें लगी हुई हैं फिर भी कुओं का पानी नहीं टूटता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन्होंने हमारी राजस्थान सरकार को भी लिखा है, लेकिन खेद की बात है, झुन्झुनूं जिले के गांवों की स्वीकृति भी गई है लेकिन उन 22 गावों में से एक दो गांवों में बिजली मिल पाई है इसलिये मैं विद्युत् वोर्ड के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उन 22 गांवों को जल्दी बिजली दें ।

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, एक बात और कहनी है। बिजली बोर्ड के ध्यान में आपके माध्यम से यह लाना चाहता हूँ कि हमारे झुन्झुनू जिले में जितने कनेक्शन दिये जाते हैं पोल्स से लगाकर गतव्य स्थान तक सारा खर्चा कन्ज्युमर से लिया जाता है पोल्स की ढुलाई कन्ज्यूमर से कराई जाती है। मुझे ऐसा लगता है यह सारा काम प्राइवेट तौर पर ही हो रहा है। उधर सारा खर्चा गवर्नमेंट से लिया जाता है और इधर किसान से कह कर सारी चीजें मंगाई जाती हैं। ढुलाई से लेकर सारा खर्च किसान से ले लिया जाता है और उधर गवर्नमेंट से भी चार्ज किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा इसकी बोर्ड जांच करावे कि वाकई सरकार से ढुलाई आदि का खर्च लेते हैं या नहीं या किसान से ही लिया जाता है,?

श्री देवीदत्त गाडिया : सारा सामान लेते हैं।

श्री सभापति : अब आप वाइण्ड अप करिये इसका अन्त नहीं होगा। आप पर्सनली कह दीजिये।

श्री मूलचन्द कटेवा : राजस्थान के अन्दर खेतड़ी सब से बड़ा पावर स्टेशन है वहां जो ओ.सी. बीज.हैं अक्सर खराब रहती हैं पिछले साल झुन्झुनू जिले को मैं समझता हूँ फसल में हानि उठानी पड़ी है। पिछले कम्पनी के आदमी को बुलाया गया लेकिन आज भी प्राइवेट तौर पर इंजीनियरों का यह कहना है कि सारे के सारे कुए चलेंगे तो यह सही काम नहीं करेंगी। मैने निवेदन किया और और यहां भी निवेदन करना चाहूंगा कि खेतड़ी में इस तरह की ओ. सी. बीज. नहीं रखी जानी चाहिये यह बदल देनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री फतेह सिंह।

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : सभापति महोदय, आज यह सदन राजस्थान विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक 1970-71 पर विचार कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी संक्षेप में ब्यावर क्षेत्र के विद्युतिकरण की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। समयाभाव के कारण मैं संक्षेप में ही कुछ बातें कहूंगा।

श्रीमान्, ब्यावर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें गरीब लोग रहते हैं, कृषि भूमि की कमी है जिसकी तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि इस इलाके का विद्युतिकरण किया जावे ताकि लोगों की तरक्की हो। वहां पर कॉटेज इन्डस्ट्रीज कायम हों। इन सबके लिए विद्युतिकरण की आवश्यकता होती है। श्रीमान्, कुछ वर्ष पूर्व मगरे के संबन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, उस समय मैं भीम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। मुख्य मंत्री जी ने मुझे कहा कि वह हमारे मगरे की तरक्की करना चाहते हैं, इसको ऊंचा उठाना चाहते हैं। यह करीब 10–12 वर्ष की बात है। मुख्य मंत्री जी इसको 12 वर्ष बीत गये लेकिन इस मगरे की तरक्की नहीं हो पाई। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आखिर आप मुख्य मंत्री हैं यह तो बगड़ावतों वाली काया और माया है, आप भी समाप्त होने वाले हैं, आपका शासन भी समाप्त होने वाला है—आप ऐसे काम करिये जिसकी वजह से जनता आपको याद करे। आप मगरे की तरक्की करना

(श्री फतेहसिंह)

चाहते हैं लेकिन आपको रोकता कौन है ? रोकने का एक ही कारण है। आपके सारे जजमेन्ट राजनैतिक दृष्टिकोण से होते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

श्रीमान्, इस ब्यावर क्षेत्र का विद्युतिकरण नहीं के बराबर हुआ है, इसके विद्युतिकरण को विद्युत् मण्डल के पास कोई निश्चित योजना नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा और अपने सुझाव दूंगा कि इस क्षेत्र का विद्युतिकरण कैसे किया जा सकता है। श्रीमान्, यह सब को मालूम है कि भीम को सन् 66 में बिजली पहुँचाई गई। उसका मैं विरोध नहीं करता। आखिर मेरा जन्म भीम में हुआ और मैं भीम का ही रहने वाला हूं लेकिन भीम में बिजली पहुंचती है, बरार गांव से होते हुए और बरार गांव से टाटगढ़ पंचायत का क्षेत्र करीब 3-4 मील ही दूर है। टाटगढ़ में भी बिजली पहुंचाने के लिए मैंने सन् 67 में विधान सभा के अधिवेशन में इस बात को उठाया था और उस समय यह कहा गया था कि जल्दी ही टाटगढ़ तक भी बिजली पहुँचा दी जायेगी। टाटगढ़ का क्षेत्र बरार से केवल 3 मील ही दूर है, लेकिन अभी तक वहां बिजली नहीं पहुँचाई गयी है। मुझे मालूम हुआ है कि 2-4 महीने पहले बिजली विभाग के अधिकारीगण वहां गये थे और उन्होंने मौका भी देखा था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र का विद्युतिकरण करने के लिए कुछ योजना बनाई जानी चाहिए और वह मैं यों बताता हूं। जहां तक टाटगढ़ पंचायत के विद्युतिकरण का प्रश्न है टाटगढ़ से बरार को जोड़ा जाये और टाटगढ़ पंचायत का इस तरह विद्युतिकरण किया जाये। और भायला कलां क्षेत्र है उसमें बंजारी, बड़ाखेड़ा आसन, बामनहेड़ा और बड़ाखान आदि पंचायतें आती हैं और इसमें भीम से तीन मील दूरी है—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पांच-छः पंचायतों को भीम से जोड़ा जाये और उन पंचायतों का विद्युतिकरण भीम के जरिये किया जाये।

जहां तक ब्यावर क्षेत्र के दूसरे इलाकों का प्रश्न है, मेरा एक सुझाव है। आपको सब को मालूम है कि मुख्य मंत्री महोदय ने 22 सितम्बर, 1970 को ब्यावर की जलप्रदाय योजना का उद्घाटन किया था जहां कि पानी मोमादेह से आयेगा। यह स्थान ब्यावर से 24 मील दूर है जहां से ब्यावर को पानी उपलब्ध कराया जायेगा। तो यह पानी उपलब्ध कराने के लिए जब तक वहां बिजली की लाइन नहीं पहुंचाई जायेगी तब तक यह घोषणा और यह जो उद्घाटन किया गया है यह यों ही रह जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहा तक ब्यावर क्षेत्र के दूसरे 25 मील तक के इलाके का प्रश्न है मोमादेह तक बिजली की लाइन पहुंचाई जाये ताकि वहां पर बांध बनता है तो पानी को लाने के लिए उस बिजली से लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई योजना नहीं बन पाई है और मैं चाहता हूँ कि सरकार और विद्युत् विभाग मेरे इन सुझावों के ऊपर अमल करे।

श्रीमान्, कल यहां भी कहा गया और कई सदस्यों ने कहा कि इस विद्युत् विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई इन्डस्ट्रीज के लिए कनेक्शन लेना पड़े, चाहे डोमेस्टिक

Page No 86

(श्री फतेहसिंह)

परपज के लिए कनेक्शन लेना पड़े, चाहे एग्रीकल्चर परपज के लिए लेना पड़े सब तरफ भ्रष्टाचार बना हुआ है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जिसका निर्माण भ्रष्टाचार की शक्ति पर हुआ और भ्रष्टाचार के आधार पर टिका हुआ है वह इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में कभी भी सफल नहीं हो सकेगी। मैं इस भ्रष्टाचार के आपको उदाहरण नहीं देना चाहता हूं और उदाहरण देकर अपना और इस सदन का समय भी नष्ट नहीं करना चाहता हूं। कारण कि मैंने सन् 68 में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मसला इस सदन में उठाया था। इसको सारा सदन जानता है, सारा राजस्थान भी जानता है कि सुरक्षा कोष के घोटाले का मामला मैं इस सदन में लाया था और उस सुरक्षा कोष के घोटाले के मामले को मुख्य मंत्री जी ने विजिलेन्स कमीशन के सामने देने को कहा था। यह मामला विजिलेन्स कमीशन में भी गया, लेकिन अभी तक उस घोटाले का क्या हुआ हमको कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए घोटालों के कोई उदाहरण दूं, विद्युत् विभाग के भ्रष्टाचार के उदाहरण दूं और अपना और सदन का समय नष्ट करूं, मैं इसको उचित नहीं समझता। घोटाले होते हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए अंत में मैं यही कह कर कि विद्युत् विभाग हमारे इस क्षेत्र के विद्युतिकरण की निश्चित योजना बनाये। अभी तक योजना नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है अगली पंचवर्षीय योजना में ब्यावर से आगे दो मील के रैडियस तक के गांवों को बिजली पहुंचाने का प्लान है और अगर यही प्रगति रहेगी तो मैं समझता हूँ कि अगले सौ वर्षों में भी लोगों को बिजली नहीं मिल पायेगी।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

(3 म. प.)

श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, विद्युत् मंडल के बारे में जो आय-व्ययक सन् 1970 प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मैं अपने विचार सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। विशेषकर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त में रेगिस्तानी जो क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है, वह बड़ा बिखरा हुआ क्षेत्र है। गांव भी मीलों मीलों में बिखरे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना लाभदायक नहीं हो सकती है। क्योंकि योजना लाभदायक नहीं हो सकती है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसको नहीं किया जाये। इससे हमारा अनाज बढ़ता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। ग्रामीण योजना हानिकारक है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा और विद्युत् मण्डल को योजना बनाते समय प्रॉफिट के आधार पर 15% के आधार पर योजना बनाई जाये, वह हो नहीं सकता। यह योजना नो प्रॉफिट नो लॉस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के आधार पर बनाई जाये तो भी अच्छा होगा। योजना बनाते हैं 15 परसेंन्ट प्रॉफिट की और वहां लॉस होता है।

दूसरे मैं, बाड़मेर और जैसलमेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों की सीमा पर आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है वह हमेशा से पिछड़ा हुआ है और इसी के कारण हम डिफेंस के पाइन्ट आफ व्यू से पिछड़े हुए हैं। पिछले युद्ध काल में बोर्डर पर हमारी पोजीशन अच्छी नहीं रही है। हमारा विकास तभी हो सकता है जब हमें विद्युत् का भी विकास करें। राज्य सरकार ने पीने के पानी की समस्या को हल करने का प्रयास किया है, परन्तु उससे हमें सन्तोष नहीं हो सकता है। विद्युत् के बारे में भी हमें बढ़ना है। जब अकाल हो जाता है तो बाड़मेर जिले में हम को 2-3 लाख आदमियों को एम्प्लॉय करना पड़ता है। उसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार भी होता है। गवर्नमेंट को भी काफी राशि लगानी पड़ती है। हमें वहां पर स्थायी धन्धे खोलने चाहिए। हम वहां पर छोटे-छोटे धन्धे चलायें। लेकिन बाड़मेर जिले को इसीलिए केन्द्रीय समिति ने नहीं चुना है क्योंकि वहां पर बिजली का विकास नहीं हुआ है। वहां ऊन और चमड़े का काम हो सकता है रॉक फास्फेट भी हाल में निकला है। रॉक फास्फेट का काम भी किया जा सकता है। हड्डियों का काम भी किया जा सकता है। डेयरी उद्योग भी किया जा सकता है। कुओं में बिजली पहुँचाने से सिंचाई भी हो सकती है। इससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। फॉरेस्ट की योजना बनी है। इसी प्रकार एनीमल हसबेन्डरी डिपार्टमेंट की ओर भी सरकार का ध्यान गया है, लेकिन अभी तक विद्युत् की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक यह नहीं होगा देश को खतरा बना रहेगा। इन क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। बाड़मेर कस्बे में ठीक तरह से कोई पॉवर हाउस नहीं बना है। असिस्टेंट इंजीनियर का ऑफिस अभी तक कायम नहीं हुआ है। सुचारु रूप से पावर हाउस स्थापित किया जाना चाहिए। पंचायत समितियों के हैड-क्वार्टर पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यह प्रश्न उठ सकता है कि हमारे यहां विद्युत् में लॉस हो सकता है, परन्तु देश अपना खतरे में पड़ता है तो हमें भले ही नुकसान हो, हमें विद्युत् का विकास करना होगा। मिलिट्री में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। इसी प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र में विद्युत् विकास करेंगे तो वह लाभप्रद नहीं होगा। लाभप्रद हो या नहीं वहां के लोगों का मनोबल मजबूत करने के लिए वहां पर अवश्य ही बिजली का विकास किया जाना चाहिये। मैं तो यह भी कहूंगा कि ग्रामीण विद्युतिकरण करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देनी चाहिये। क्योंकि ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना से गवर्नमेण्ट को लाभ होता है। गवर्नमेण्ट को सब्सिडी के तौर पर मदद देनी चाहिए। गवर्नमेण्ट को बिना ब्याज के रुपया उधार देना चाहिए। तभी विद्युत बोर्ड सफल हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र का विकास हो। यह विद्युत् जो गान्धी सागर और राणा प्रताप सागर डेम की है उसका भी सदुपयोग ही हो। ऐसा नहीं हो कि हम प्रयोग नहीं कर सकें और दूसरे प्रान्तों में चली जाये। इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में कहूंगा कि विद्युत् बोर्ड

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
अधिक काम करके सीमावर्ती क्षेत्र का विकास करायें।

श्री सभापति : हीरा भाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति जी, हमारे राजस्थान प्रदेश में, लगातार हमारे यहां हमेशा से अकाल छाया हुआ है। उसका कारण यही है कि एक तो हमारे यहां पानी कम है, और जो है वह बहुत गहरा है। वहां गहरे पानी से सिंचाई करने के लिए कृषक के पास कोई साधन नहीं है, जहां पथरीला इलाका है, ऊबड़-खाबड़ इलाका है ऐसी जगह नहर के लिए ठीक नहीं हो सकती है। एक मात्र बिजली ही हमारी सिंचाई का साधन हो सकती है। गांव गांव में बिजली पहुंचाकर, कुए बावड़ी में बिजली पहुंचाकर, उसमें हम प्रॉयोरिटी देंगे तो हम हमेशा के लिए अकाल दूर कर सकते हैं। जैसा हम अमेरिकी नक्शा देखते हैं, उनके आधे मुकाबले में हम अनाज दे सकते हैं। क्योंकि जमीन हमारी उपजाऊ है। हमारी सरकार बंगलों और बिल्डिगों को बनाने में ज्यादा पैसा खर्च करेगी। और बिजली के बारे में हमेशा ही कमी रखेगी। इसलिए मैं आप के द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा और यह सुझाव दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा धनराशि खर्च की जाये। और ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना बनाई जाये। दो तीन साल का टार्गेट निश्चित कर दिया जाय। और इतने साल में हमारे राजस्थान की एक इंच भी भूमि सूखी न रहे, इंच-इंच भूमि पर पानी पहुंचाया जाय और बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार जागरूक हो जाय तो किसी तरह की मुसीबत नहीं होगी। दूसरे साधनों पर, मोटर आदि में जहां पैसा बेढंगेपन से खर्च कर रहे हैं उसको थोड़ा रोकें, और मंत्रिमण्डल में बढ़ोतरी की जा रही है, जो ऐशो-आराम पर खर्च किया जा रहा है और जो मंत्रियों और एम.एल.एज. को वेतन दिया जा रहा है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि उस पैसे में थोड़ी कटौती करके अगर आप उस पैसे को विद्युतिकरण में लगायें तो देश का भला कर सकते हैं और देश में सफल हरी क्रान्ति ला सकते हैं। लेकिन आपका तमाम ध्यान कुर्सी में लगा हुआ है, कुर्सी के मोह में फंसे हुए हैं, कुर्सी ने आपको मोहित कर दिया है इसलिए ही जो पैसा खर्च किया जाता है वह इस क्षेत्र को कायम किये जाने के लिए किया जाता है। हमारा क्षेत्र बने, सिर्फ व्यक्तिगत हित के आधार पर और कुर्सी के आधार पर खर्च करने में पक्षपात किया जा रहा है। इस पक्षपात को किसी तरह से रोकें, इसलिए मैं सत्तारूढ़ दल वालों से कम से कम अपील करूंगा कि आप इस कुर्सी के मोह को छोड़ और जनतन्त्र के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए, इस देश को प्रगतिशील बनाने के लिए आप सब जुट जायं ताकि हमेशा के लिए यह कुर्सी मौजूद रहे आपके लिए। ठीक है, एक बार आप नहीं आयेंगे तो दूसरी बार आप जरूर आयेंगे। यह तो प्रजातंत्र है। मैं नहीं कहता कि आप हमेशा के लिए चले जायं। हमेशा के लिए आप नहीं चले जायं। आप एक बार चले जायेंगे तो दूसरी बार फिर आ जायेंगे। इसलिए आपको अगर निष्पक्षता लानी है और गांधीवादी सिद्धान्तों के आधार पर हमको देश का समाजीकरण करना है तो आप पक्षपात को छोड़ दीजिये। मैं आपको पक्षपात का उदाहरण बांसवाड़ा

(श्री हीराभाई)

का बताता हूं। जो जोशी साहब का एरिया है, कम से कम वहां चार साल पहले बिजली लग गई है और कुछ एरिया में बिजली चालू है। लेकिन हमारे उधर जहां समाजवादी लोग हैं, वहां बिजली के खम्भे भी नहीं डाले जा रहे हैं, बिजली की योजना के अन्दर वहां के गांव, उस क्षेत्र को नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपको वोट सिर्फ 33 प्रतिशत मिले थे तो क्या उसी तरह से आप उस क्षेत्र का निर्माण करेंगे, उसी तरह से उस क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो लोग आपको इसी ढंग से वोट नहीं देंगे और आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मेरी तो राय है कि आप हजार साल तक कुर्सी पर बैठे रहें, मुझे इससे ऐतराज नहीं है लेकिन अब तो आप कम से कम पानी बिजली के इन्तजाम के लिए कुछ करें। आदमी के लिए पानी, हवा, खाद्यान्न और कपड़ा—इन चार चीजों की जरूरत है इसी तरह से अन्न उत्पादन के लिए पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है और जोतने के साधनों की जरूरत है। अगर किसी तरह से इन तीनों चीजों को आप भूमिहीनों को उपलब्ध कर देंगे तो उनसे अच्छी तरह से हम उपज ले सकते हैं। इसलिए पक्षपात कम से कम खतम किया जाय। कुशलगढ़ में हरण और बनास नदी है, दस दस मील और पांच पांच मील पर नाले चल रहे हैं लेकिन उनका पानी बेकार जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार का तो दिमाग क्या मालूम क्यों, सिर्फ दिल्ली और जयपुर की तरफ, उदयपुर की तरफ, कोटा की तरफ लगा हुआ है और सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर नहीं है। इस दिमाग को मोड़ना चाहिए, दिमाग मोड़ना जरूरी है इसके साथ ही वर्तमान समय के अन्दर देश के विकास की तरफ जुटना बहुत जरूरी है वरना जितनी बेकारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ भूमिहीनों को जमीन नहीं दी जा रही है, और आपको यह तक भी पता नहीं है कि राजस्थान के सम्पूर्ण एरिया में भूमिहीन कितने हैं और बेकार कितने हैं। आपके पास बेकारों के आंकड़े नहीं हैं। भूमिहीनों के आंकड़े हैं तो भूमिहीन के आंकड़े वह हैं जिनके पास छः बीघा से कम भूमि है, उनको आप भूमिहीन मानते हैं। लेकिन जो सागड़ी हैं और दूसरों के सहारे रह कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनके आंकड़े आपके पास नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह प्राब्लम आज बहुत बुरे ढंग से सामने आ रही है, देश के अन्दर जहां 80 प्रतिशत लोग बेकार होने जा रहे हैं तो इससे नक्सलपंथी प्रवृत्ति बढ़ेगी और जैसा आज बंगाल में हो रहा है वही तस्वीर बनना यहां चालू हो जायगा ....

श्री सभापति : आप बिजली के बारे में कहें। यह बात और कभी फिर कह देना।

श्री शंकरलाल : बिजली से ही सम्बन्धित है नक्सलवाड़ी।

श्री हीराभाई : इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली को प्रायोरिटी दी जाय गांव गांव के अन्दर बिजली पहुंचाई जाय। बिजली के द्वारा कुओं से पानी खींच कर खेतों की सिंचाई की जाय, किसानों के खेतों के ऊपर पानी पहुंचाया जाय ताकि लोग दो दो बीघा से ही अपना जीवन निर्वाह कर सकें अगर यह हो जाय तो एक साल में तीन बार खेती करके लोग अपनी फेमिली का जीवन निर्वाह कर सकते हैं, वरना देश का बहुत बुरा हाल

(श्री हीराभाई)

होने वाला है। आप यह बात भूल कर चलें कि आप इन्हीं कुर्सी पर टिके रहेंगे। अगर इस तरह से बेकारी फैलेगी तो आप कुर्सी से उखड़ जायेंगे और कुर्सी से उखड़ कर आपको गटर में सड़ना पड़ेगा। इसलिए आप यह पक्षपात छोड़े और गांव गांव में पानी और बिजली पहुंचायें।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई। (श्री हंसराज आर्य से) आप गाड़ी चूक गये।

श्री हंसराज आर्य : कौनसी गाड़ी ?

श्री सभापति : आपका सबसे पहले नाम था लेकिन उस समय आप बिराजे नहीं रहे थे।

श्री हंसराज आर्य : यह मेरे साथ ज्यादती है। मैं सुबह से यहां बैठा हूं।

श्री सभापति : मैं क्या करूं इसका।

श्री हंसराज आर्य : इनके बाद में····

श्री सभापति : आ जायगा।

श्री शंकर लाल : गाड़ी चलाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं कि सबका आ जायगा :

श्री सभापति : आप फिक्र मत करें, सबका आ जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, पावर डिस्ट्रिब्यूशन के मामले में जालोर जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जबकि जालोर जिले में किलोवाट के हिसाब से, कृषि उत्पादन के हिसाब से ऐसी स्थिति है कि जिसके अन्दर अच्छी तरह से बिजली और पानी का इन्तजाम पूरे रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करके काश्तकारों को सुविधा दी जाय तो इस जिले के अन्दर ट्यूब वेल्स ऐसे बने हैं जो दस बीस हजार गैलन पानी पर आवर डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन यह बागोड़ा क्षेत्र में बने हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिला जालोर के अन्दर बिजली पहुंचाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आज दिन तक उदासीनता बरती है। जिला जालोर के आंकड़े देखें तो पिछले चार पांच वर्ष में फेमिन होते हुए भी करीब 11-12 हजार पम्पिंग सेट काश्तकारों ने कर्जा लेकर मनी लेंडर से पैसा लेकर बनाये हैं और क्रूड आइल की कमी होते हुए भी हजारों की संख्या में पम्पिंग सेट के जरिये पानी से सिंचाई करके उत्पादन किया है और अपना पेट पालन किया है। इतना सब होते हुए भी बिजली बोर्ड का ध्यान जिला जालोर की ओर नहीं गया है। पिछले टाइम पर, बजट सत्र में विद्युत् मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हाइडल पावर लाइन जालोर में लाई जायगी। जहां तक मुझे सूचना मिली है कि सांचोर से भीनमाल में हाइडल पावर लाई जा रही है। इस बारे सभापति महोदय, मैं आपके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर यह बिजली की लाइन सिरोही, रेवडी, मेडा, रानीवाड़ा और भीनमाल लाई जाती और फिर सांचोर की तरफ लाई जाती तो हजारों पम्पिंग सेटों को बिजली मिल सकती थी। सिरोही, रानीवाड़ा और भीनमाल लाई जा रही है तो उस रास्ते में कितने कुए आते हैं ? इसका सर्वेक्षण किया जाय। सिरोही, सबधरा, मेडा, रानीवाड़ा भीनमाल इधर सांचोर लाइन डाले और कुओं की संख्या देखें, उसके आंकड़े देखें तो हजारों की संख्या में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कुए मौजूद हैं। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजली की कमी है। वैसे बिजली बोर्ड और गवर्नमेंट काश्तकारों को कनेक्शन पर बिजली देती है इससे घाटा होता है यह बात बताई है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां हजारों की संख्या में पम्पिंग सेट लग सकते हैं, जहां पानी बहुतायत से मिलता है, वहां मौजूदा हालत में पम्पिंग सेटों की सख्या सर्वे करा कर देखें और ऐसे क्षेत्र में पावर की शार्टेज को देखते हुए लाइन लगाई जाय और इसको एक्जामिन करके देखें तो हजारों काश्तकारों को फायदा हो सकता है और उत्पादन में मदद मिल सकती है, और सस्ती दर के अन्दर बिजली उपलब्ध होने से प्रोडक्शन तेजी से किया जा सकता है। मैं इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले भी मैंने इस ओर ध्यान दिलाया था कि यह स्कीम सांचोर रामसिंह और भीनमाल जायगी तो कितने पम्पिंग सेट मिलेंगे। यह फेक्ट की बात है। इस चीज को आप एग्जामिन करें।

दूसरी बात यह है कि जिला उत्पादन समिति के द्वारा जिले के विकास के लिए जिले के एग्जीक्यूटिव इंजिनियर के साथ सुमेरपुर में बैठ कर, फालना में बैठ कर प्लान तय किया और प्रायोरिटी तय करके 66 के. वी. लाइन और 33 के. वी. लाइन, रानीवाडा, सांचोर, जिसके लिए कि अभी वृद्धिचन्द्र जी कह रहे थे, इस क्षेत्र में लाइन डालने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजिनियर के साथ बैठ कर उनकी सलाह से हमने एक पूरी रिपोर्ट बना कर राज्य सरकार के पास भेज दी है परन्तु इस चीज के बावजूद हमें ज्ञात नहीं है कि किस तरह से बिजली जल्दी से जल्दी इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जहां ज्यादा स्कोप हो, दी जाय कोई फेवरिटिज्म का प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि विद्युत् मंडल जो घाटे में चल रहा है, ऐसी हालत में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जहां पानी का स्कोप हो, जहां लोगों ने अपनी मेहनत करके पिछले 5 सालों में तरक्की की हैं, वहां विद्युतिकरण करे। मैं समझता हूं जोधपुर डिवीजन में जालोर ही एक ऐसा जिला है जहां मैक्सीमम नंबर आफ पम्पिंग सेट्स लगाए हैं लोगों ने, यह तथ्य है। यह मुझे प्रश्न के उत्तर में सूचना मिली थी जालोर जिले में, क्रूड आइल की कमी होते हुए भी लोगों ने रिस्क लेकर पंपिंग सेट्स लगाए, अपने खेतों को गिरवी रखकर, कर्जा लेकर मेहनत की है तो विद्युत् मंडल इस ओर क्यों नहीं ध्यान देता ?

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्दर जहां ऐसे कुओं के बेल्ट्स हैं और जहां इकानामिकल हैं, ऐसे बेल्टस के अन्दर बिजली सप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा लाइन्स ऐसे बेल्टस में से लेकर लाई जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को बिजली सप्लाई हो सके और उत्पादन में मदद मिल सके।

राजस्थान सरकार की यह भी स्कीम है कि जहां डीजल सेट्स लाकर छोटे छोटे पावर हाउस लगाए हैं उनके आस-पास लोकली कुछ परसेंटेज में बिजली देंगे। इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, थोडी लोकेलिटीज के अन्दर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लगी है और डीजल सेट्स लगने के बावजूद भी बिजली नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जा रही है और पिछले दो तीन साल से आग्रह करने के बावजूद भी और बार बार विधान सभा में आश्वासन देने के बावजूद भी 24 घन्टे भीनमाल और सांचोर में बिजली सप्लाई करने में विद्युत् मंडल असमर्थ रहा है। विद्युत् मंडल के चेयरमैन और विद्युत् मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम जून के अन्दर सप्लाई कर देंगे और उसके बाद मे बजट अधिवेशन में उपमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि हम दो महीने के बाद यह सप्लाई कर देंगे। उसके बावजूद भी मियाद रबड़ की तरह बढ़ती जा रही है। मै मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि कौनसी तारीख तक देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन्स ले सकें। नियमित रूप से बिजली सप्लाई न होने से कनेक्शन देने में डरते हैं और उसके बावजूद सांचोर और भीनमाल के आसपास कितना परसेंटेज उनको देंगे, कितना परसेंटेज कुओं को देंगे। जो मोजूदा आपकी क्षमता है डीजिल एंजिन को उसके हिसाब से भीनमाल और सांचोर के आसपास करीब 2-3 हजार कुए हैं वहां पर बिजली के कनेक्शन्स दिए जा सकते हैं। मौजूदा पावर हाउस की क्षमता से मैक्सीमम फायदा मिल सके और लोगों को बिजली मिल सके, यह तभी हो सकता है जबकि चौबीसों घण्टे आप बिजली सप्लाई करें जिसका फायदा आपको भी मिल सके।

इसके अलावा बिजली का पैसा जमा कराने की व्यवस्था भी खराब है। महीने में एक दो बार आते हैं और उस अवधि में कलेक्शन नहीं हुआ तो पेलेन्टी लग जाती है यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोकल स्टेट बैंक है उसमें जमा करा दें ताकि उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो।

इसके अलावा सांचोर में 10–15 खम्भे और लगाने से करीब 500 कनेक्शन्स और बढ़ा सकते हैं और विद्युत् मण्डल को आमदनी भी हो सकती है तो इस रूप में एग्जामिनेशन नहीं होता। एक तरफ तो 5 मील की लाइन लगाकर एक कनेक्शन दिया जाता है, दूसरी ओर लाइन जाती हैं, खम्भे की एक ही लाइन लगाने से कई कनेक्शन मिल सकते हैं। तो विद्युत् मण्डल को प्लान्ड वे में और निश्चित क्राईटेरिया के आधार पर दरखास्तें रजिस्टर में दर्ज करके, प्राथमिकता के अनुसार जब तक बिजली देने का कोई निर्णय नहीं लेगी तब तक फेवरिटिज्म व करप्शन की शिकायतें कभी दूर नहीं होने वाली हैं। बार बार इस सदन में करप्शन की शिकायतें आती हैं। कोई आधार आप निर्धारित करें और उसके अनुसार अगर बिजली देने का प्लान होगा जो भ्रष्टाचार भी दूर होगा और लोगों को स्पीडली बिजली मिलेगी।

एक बार फिर मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जालोर जिले में विद्युतिकरण के अन्दर उत्पादन के स्कोप को देखते हुये आगे प्राथमिकता के रूप में इस बारे में राज्य सरकार और विद्युत् मण्डल गम्भीरता से विचार करे।

श्री पृथ्वीसिंह: (बामी) : सभापति महोदय, आज का युग विज्ञान का युग है। जिस देश ने विज्ञान की दिशा में उन्नति की है, जिस देश ने विज्ञान के अन्दर ज्यादा से

(श्री पृथ्वीसिंह)

ज्यादा तरक्की की है, वह समृद्ध व सुदृढ़ राष्ट्र बना है। आज इस विज्ञान के युग में विद्युत् शक्ति आर्थिक विकास का माध्यम है। जिस देश में शक्ति ज्यादा होगी, चाहे विद्युत शक्ति हो, चाहे पेट्रोलियम की शक्ति हो, चाहे अन्य प्रकार की शक्ति उत्पादन करके जिस देश ने अपने आप आर्थिक उन्नति की है, पूंजी का उपार्जन किया है, वह देश दूसरे देशों से या समाज में पिछड़ा हुआ नहीं रह सकता।

हमारे राजस्थान में भी विद्युत् विकास की दिशा में काफी कोशिशें हुई हैं और इन्हीं चंबल प्रोजेक्टर और एटोमिक रीयेक्टर तरह तरह के प्रोजेक्टस बना कर विद्युत् उत्पादन का प्लान्स बनाई हैं, वह सराहनीय हैं और जो संकल्प विद्युत् मण्डल की तरफ से हमारे सामने आया है, उनका भी मैं विरोध नहीं करता। उन्होंने 10 करोड़ की लिमिट को 40 करोड़ की लिमिट–कराने के लिये प्रस्ताव रखा है, वह भी उत्तम प्रस्ताव है उस प्रस्ताव की कल चर्चा हुई थी उसके अन्दर जो इरेग्युलरिटीज हुई विद्युत् मण्डल के द्वारा, बिना सरकार की स्वीकृति के 1,95,00,000) जिस ढंग से बोरो कर लिया, वह एक निन्दनीय कार्य किया है। उनको चाहिए था कि इरेग्युलरिटीज नहीं बढाते, नियमानुसार कार्यवाही कर सकते थे। 1,95 00,000) जिस प्रकार हमारे नेता महोदय ने कहा, उसको स्वीकृति अलग से लेकर उस इरेग्युलरिटीज को समाप्त कर रेग्युलराइज किया जा सकता था लेकिन रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से 26 फरवरी से, उसको पारित करवाने के लिए कहा है, मैं विरोध करता हूं उसको अलग ढंग से लेकर पास करवाया होता तो उसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं हो सकती थी। इसके साथ साथ जो विद्युत् शक्ति के लिए यह जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए विद्युत् शक्ति को बढाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह तो करना ही चाहिए, यह उनका कर्त्तव्य हैं और देश की समृद्धि के लिए एक आवश्यक कदम भी है।

मैं तो कहूंगा कि जिस देश में शक्ति ज्यादा होगी, उस देश का उत्पादन बढ़ेगा चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे कृषि क्षेत्र हो, उसमें शक्ति का संग्रह करना चाहिए। जैसे कहावत है : एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। चाहे पेट्रोलियम की शक्ति बढाइए, चाहे विद्युत की शक्ति बढ़ाइए, यह बढ़ाकर उद्योग के अन्दर, कृषि के अन्दर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ावें, उत्पादन से आपकी पूंजी बढ़ेगी। पूंजी जिस देश में होगी उसमें समृद्धि आयेगी, पूंजी बहुत ज्यादा से हो तो रक्षा के अन्दर मदद मिलेगी। दूसरी आवश्यकतायें भी पूरी होंगी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठेगा याने विकास के दूसरे कार्य अगर शक्ति और पूंजी पास में हो अपने आप बढ़ेंगे। फिर साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि जिस शक्ति का आप उत्पादन कर रहे हैं उसका उत्पादन और उसका वितरण दोष पूर्ण नहीं होना चाहिये। आप उत्पादन और वितरण भेदभाव रख कर पोलिटिकल दृष्टि से नहीं करेंगे। जिसको बिजली की आवश्यकता पहले हो उसको पहले दीजिये, जिसकी आवश्यकता कम हो उसको बाद में दीजिये और इसके लिये कोई क्राइटेरिया तो फिक्स कीजिये। पोलिटिकल आधार पर क्राइटेरिया फिक्स करेंगे तो जिनकी वास्तविक

Page No 94

(श्री पृथ्वीसिंह)

आवश्यकता है वह पीछे रह जावेंगे वे उससे वंचित रह जावेंगे और जिनको आवश्यकता नहीं है उस पर अननेसेसरी जोर देंगे तो वह नहीं हो सकेगा। वितरण की व्यवस्था दोष पूर्ण रही और आपने चाहे कितनी ही शक्ति का उत्पादन किया, कितनी ही बिजली का उत्पादन किया, वह सब निरर्थक जावेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके लिये फ्यूचर प्लान्स बनने चाहिये अलग अलग जिलों की पोटेन्शियलिटी को देख कर, एग्रीकल्चर और इन्डस्ट्री की पोटेन्शियलिटी को देख कर। उसके अनुसार ही बिजली का उत्पादन कर के उसका वितरण होना चाहिये। देखा यह जाता है कि पोलिटिकल कारणों से पोटेन्शियल एरिया में बिजली नहीं दी जाती है। जैसे जालोर में पानी का अथाह भंडार पड़ा हुआ है ट्यूब वैल्स लगे हुए हैं, कुओं में काफी क्षमता है लेकिन वहां विद्युत नहीं पहुंचा कर जहां आवश्यकता कम है वहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरे एरिया हैं जैसे शेरगढ़, वहां बिजली पहुंचा कर क्या करेंगे? बालसिंहजी साहब कह रहे हैं कि जैसलमेर में, अथाह जल भंडार है। वहां आप जरूर बिजली दीजिये। लेकिन शेरगढ में पानी का भंडार नहीं है वहां बिजली लेजाकर क्या करेंगे? एक जिले की अवहेलना करें और दूसरे को दें इससे कोई फायदा नहीं है। आपको पार्टशियेलिटी के अनुसार प्लान बनाने चाहिये और उनका एक्स्टेन्शन करना चाहिये और कन्जम्शन है वह रेगुलर वे में होना चाहिये। बिना भेदभाव के आप बिजली का वितरण करेंगे, बंटवारा करेंगे तो उचित रहेगा और उत्पादन भी खूब बढ़ेगा।

दूसरा, विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा है और आप बार बार यह कहते है कि ग्रामीण विद्युतिकरण के कारण बोर्ड घाटे में जा रहा है, जैसा कि गोयल साहब ने अपने भाषण में जिक्र किया, उसका रिपीटिशन करना तो आवश्यक नहीं है लेकिन इतना ही कह देना चाहता हूं कि आपकी पर्चेजज में घोटाला है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके कन्स्ट्रक्शन में घोटाले हैं, भ्रष्टाचार चोरियां वगैरा होती हैं, उनको चेक कीजिये, उन पर कन्ट्रोल करेंगे तो घाटे की जो अर्थ व्यवस्था बोर्ड में है उससे आप बच सकेंगे।

सभापति महोदय, छोटी मोटी चोरियां रात दिन हो रही हैं, उनकी शिकायतें रात दिन आपके पास आती रहती हैं। न तो उनकी इन्क्वायरी होती है और न जांच की गयी। फालना में चोरियां होती हैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फालना में बार बार इस प्रकार की शिकायतें की जाती रहती हैं कि वहां के इन्जीनियर्स लोग हैं वे वायरों की चोरी करते हैं। डीजल के ड्रम के ड्रम, हजारों लीटर डीजल गायब कर दिया। आज तक उनकी जांच नहीं करायी और केवल छोटे मोटे इन्जीनियर्स का ट्रान्सफर करके पर्दा डाल देते हैं कि चोरियां नहीं हुई। सैंकडों टैलीग्राम्स और शिकायती पत्र पड़े हुए हैं उन सब की जांच कराइये कि सारी की सारी खरीद किस प्रकार हुई है तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो विद्युत बोर्ड घाटे में जा रहा है वह चोरियां और पर्चेजेज के घोटालों के कारण है।

(श्री पृथ्वीसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात की ओर और ध्यान दिला दूं । ब्राडमा मशीन पर्चेज की बिना बोर्ड के सामने प्रोपोजल लाये । आपके डिपार्टमेंट को ब्राडमा मशीन की आवश्यकता नहीं थी । टेक्निकल इन्जीनियर्स थे उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया कि इनकी आवश्यकता नहीं है, यह डिफेक्टिव है लेकिन फिर भी भूतपूर्व चेयरमेन ने दस लाख की ब्राडमा मशीन खरीद ली और बोर्ड पर आर्थिक बोझा डाल दिया । यह घाटे का कारण है बोर्ड में । न तो पर्चेजेज के नियमों की परवाह की और सारे पावर्स अपने हाथ में ले कर पर्चेजेज करके दस लाख का बोर्ड को घाटा दिया ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : पर्याप्त होगा ।

श्री पृथ्वीसिंह : मैं स्पेसिफिक चार्ज लगा रहा हूं ब्राडमा मशीन की पर्चेजेज की जांच कराईये, उसमें इरेगुलेरिटी और बेईमानी भी नजर आवेगी । उसके लिये जवाब देते समय आश्वासन दें कि आप इसकी जांच करायेंगे । प्रायोरिटी फिक्स करने का तरीका बिलकुल अजीब सा है । एप्लीकेशन आती हैं, चार पांच वर्ष हो जाते हैं । सारी फोर्मेलिटीज पूरी कर दी जाती हैं लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं दिया जाता है । कनेक्शन के लिये पांच सौ रुपये मांगे जाते हैं । फालना के पूरे के पूरे डिविजन को यह शिकायत है कि पांच सौ रुपये लिये बगैर कनेक्शन नही दिये जाते । प्रायोरिटी के लिये नोर्म्स तय करने होंगे । ज्योंही एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन को टोकन दे दीजिये और प्रायोरिटी फिक्स कर दीजिये कि आपका नम्बर इस प्रकार से आने वाला है । वह यह सोचेगा कि दो साल बाद चार साल बाद में कनेक्शन मिलने वाला है जिससे वह तैयार होकर रहे न कि आपके विवेक से, जिसको चाहा उसको दे दिया और जिसको नहीं चाहा उसको नहीं दिया । जिन्होंने पांच सौ रुपया दे दिया तो उनको मिल गई और नहीं दे सका तो नहीं दी ।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य ।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : सभापति महोदय, यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान सरकार विद्युत मण्डल को दस करोड़ के बजाय पचास करोड़ तक कर्जा देने की स्वीकृति सदन की ओर से लेने जा रही है । तीन बातें बुनियादी होती हैं । हम बिना बुनियादी शक्तियों को उन्नति नहीं कर सकते । पहली है पानी, दूसरा लोहा, तीसरी बिजली ।

बिजली के मामले में जहां तक राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए राजस्थान ने काफी तरक्की की है और भविष्य में भी इस तरह के आसार अच्छे हैं ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं । जब हरियाणा और पंजाब से राजस्थान की तुलना की जाती है तो वह न्याय संगत बात नहीं है । वह इसलिए नहीं है कि पंजाब हरियाणा एक ही है । हरियाणा अब बना है । राजस्थान में बिजली का लोग नाम नहीं जानते थे उस समय भी पंजाब ने बिजली गांवों को दी थी । राजस्थान के अन्दर नहरों, कालेजों का नाम नहीं था उस समय भी पंजाब आगे था । आखिर हरियाणा और

(श्री हंसराज आर्य)

राजस्थान का क्या मुकाबला है। 6669 गांव हरियाणा में है जब कि 32,242 गांव राजस्थान में हैं। जैसा कि हरियाणा सरकार ने एलान किया है कि अगले महीने के अन्त तक हम हरियाणा के सब गावों को बिजली पहुँचा देंगे जो साढे छः हजार के करीब गांव है। मैं बताना चाहता हूं राजस्थान में आज भी दस हजार गांवों में बिजली आ चुकी है। हरियाणा और पंजाब को दोनों को भाखरा से बिजली मिलती है। हरियाणा में जो भाखरा की लाइन आयी है उसको हिसार तक ही रोक दिया गया। हमें उसको राजस्थान में लाने के लिये हिसार से 215 मील आगे बढाना पड़ा। इसमें हमारा ढाई करोड रुपया अधिक खर्च हुआ। जितना हमें हिसार से लाइन लगाने में खर्च करना पड़ा उतने रुपयों में हरियाणा ने अपने राज्य के सब गांवों में बिजली फैला दी। राजस्थान का मुकाबला हरियाणा राज्य से करना न्यायसंगत नहीं है।

राजस्थान हिन्दुस्तान का वह प्रान्त है जिसका अधिकांश हिस्सा रेगिस्तानी है। वैसे राजस्थान बिजली के मामले में किसी प्रान्त से पीछे नहीं है। मैं यह कहूंगा कि यहां की जो बिजली वितरण की व्यवस्था है वह दोषपूर्ण है। गांवों को जो बिजली दी जाती है उसके बारे में इधर से बोलने वाले माननीय सदस्य और उधर से बोलने वाले माननीय सदस्य सब ने इस बात की पुष्टि की है कि नीचे के अधिकारी इसमें मनमानी करते हैं धींगा मस्ती करते हैं स्वेच्छाचारिता करते हैं।

श्री विजयसिंह : ऊपर वालों का क्या हाल है?

श्री हंसराज आर्य : उसका तो आप जानें। हमारे ऊपर वालों से हमारा वास्ता नहीं नीचे के जो अधिकारी हैं जिनसे बिजली का कनेक्शन लेना होता है बिल के पैसे जो लेते हैं उन्हीं से हमारा ताल्लुक है।

एक माननीय सदस्य : जन प्रतिनिधि होने के नाते आपका ऊपर वालों से भी ताल्लुक होगा आखिर उनके बारे में आपकी क्या राय है?

श्री हंसराज आर्य : इसकी जानकारी आपको हो सकती है मुझे तो नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था जहां तक बिजली देने का प्रश्न है इसमें पूरा भ्रष्टाचार है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई रोकने वाला नहीं टोकने वाला नहीं उनको इसमें किसी प्रकार की झिझक नहीं पैसा लेते हैं। किसान उनसे कुआ के लिये बिजली मांगता है वह किसान जिसको रात के समय भारी सर्दी में जिस सर्दी में आप हम लोग मकान से बाहर निकल कर पेशाब भी करने जाना नहीं चाहते उस भारी सर्दी में वह किसान घुटने घुटने तक पानी में खडा होकर अपने खेत में पानी लगाता है। उससे आपके बिजली वाले पैसे मांगते हैं इससे बढकर उस किसान के साथ अन्याय और ज्यादती हो नहीं सकती। जो किसान सारे राष्ट्र को खाद्यान्न दे रहा है उसको देनी तो रियायत चाहिये थी लेकिन कर उसके साथ ज्यादती रहे हैं। इसके अलावा इससे भी बढकर और ज्यादती की जाती है वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार एक कारखाने वाले को तो दिन में बिजली देती है और

(श्री हंसराज आर्य)

किसान को रात में देती है इससे बढ़कर किसान के साथ और क्या अन्याय हो सकता है। और किसान से बिजली के 13 पैसे यूनिट के हिसाब से लेती है जब कि उद्योगपतियों से 3 पैसा यूनिट के हिसाब से लेते हैं इससे बढ़कर कोई और पक्षपात नहीं हो सकता। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यह है जो पक्षपातपूर्ण रवैया किसान और उद्योगपति के बीच सरकार कर रही है उसको मिटाया जाय और किसानों को जो बिजली मिलने में कठिनाई है। उसको भी दूर किया जाय।

मेरा अनुभव है वैसे परमात्मा की दया से हमारे जिले का अधिकांश हिस्सा खारे पानी का है। कुछ गांवों में पानी मीठा है, जिन किसानों ने बिजली ली है उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। कोई भी ऐसा किसान नहीं है कि जिसको बिना पैसा दिये बिजली मिल गई हो: इसके बाद भी उनके साथ जो ज्यादती की जाती है। उनसे पैसा लेते समय उनके मीटर बदल दिये जाते हैं और उसके स्थान पर किसी कम्पनी में चला हुआ मीटर उस कुए पर लगा देते हैं। जिस मीटर से पहले जिन किसानों के पचास रुपया खर्चा आता था उन्हीं दूसरे मीटरों से 500 रुपया तक खर्च आया है एक एक हजार रुपया एक एक महीने का खर्च आया है। इसके बारे में मैंने इन्जीनियर महोदय को प्रमाण देकर रसीदें दिखायी थीं। हर माह पचास और बासठ रुपया खर्चा आता था उससे 1200 और 1225 रुपया वसूल किया गया है। इसकी जांच करवायी जाय कि 62 के बजाय कदम 1200 और 1225 किस प्रकार आगये। 52 की जगह 365 रुपया लिया गया यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह भ्रष्टाचार का खुला प्रमाण है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बिजली विभाग में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है उसको रोका जाय मगर उसको नहीं रोका गया तो एक नयी प्रकार की क्रान्ति पैदा होगी। आज गांव के किसान के साथ सरकार का बिजली विभाग और इसके कर्मचारी और अधिकारी भयंकर अन्याय कर रहे है इस तरह से आपको हरित क्रान्ति तो दूर रह जायगी और उसके स्थान पर खूनी क्रान्ति आ जायगी।

भादरा तहसील के एक गांव अनाना में पच्चीस कुए हैं। दो साल से बराबर उन पर बिजली देने के लिये दरख्वास्तें दी जा रही हैं लेकिन चूंकि गांव वाले पैसा देने को तैयार नहीं हैं तीन मील पर बिजली है लेकिन उन तक वह नहीं पहुँचायी जाती। इस तरह से कलाना, किराडा बड़ा, छोटा निनाणा, छातीबड़ी, वेर भासन के पास से बिजली गई है मगर इन गांवों में आज तक कनेक्शन नहीं दिये हैं। डाबडी को हरियाणा से बिजली मिली है मगर ली नहीं जा रही है। कस्बा भादरा में वाटर वर्क्स तैयार है गांव पानी के अभाव में मर रहा है इसलिये कि बिजली विभाग के अधिकारी बिजली नहीं दे रहे हैं। सेकडों बार इस बात की मांग की गई है।

गंगानगर में घग्घर का बेड है जिसका पानी साठ सत्तर मील के 1 क्षेत्र में बहता रहता है। वहां अगर बिजली दी जाय तो घग्घर का बेड इतना उपजाऊ है कि चावलों की पैदावार में जापान को भी मात कर

(श्री हंसराज ग्रार्य)

सकता है। वहां पर एक एकड़ में 130 मन चावल पैदा हो सकता है। इस ग्रोर सरकार का ध्यान नहीं गया तो बिजली विभाग का ध्यान जाने है का सवाल ही पैदा नही होता।

ग्राज गंगानगर जिले में हालत यह है कि ग्रासपास बिजली होते हुए भी टीबी जो तहसील का हैडक्वार्टर है एक मकान पर भी बिजली नहीं दी है। वहां पर पचास कुग्रों पर बिजली है लेकिन टीबी जो हैडक्वार्टर है तहसील का उसको बिजली नहीं दी गई है। बिजली वालों ने पांच सौ रुपये मांगे थे जिसको नहीं दिया गया उसी के कारण तहसील हैडक्वार्टर को बिजली से वंचित कर दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: तहसील हैड-क्वार्टर तो ग्रभी हुग्रा है।

श्री हंसराज ग्रार्य: तीन साल से है। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का नमूना है जिसकी ग्रोर सरकार को ध्यान नहीं गया। ग्रगर किसान के साथ इसी प्रकार का व्यवहार इस विभाग का रहा तो खूनी क्रान्ति न होजाय ग्रोर लाल झण्डे वालों को मौका न मिल जाय।

श्री सभापति: श्री डूंगाराम राजो-रिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया: (दौसा सु.) सभापति महोदय, बिजली विभाग के बजट पर विचार हो रहा है उसके साथ ही दस करोड़ से बढाकर पचास करोड़ तक कर्जा लेने का प्रावधान करने जा रहे हैं उसका बिल भी साथ में है। इन दोनों बातों पर सदन में विचार हो रहा है, मैं भी इस पर कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि सरकार ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने को कोशिश कर रही थी इसके लिए गांधीसागर डेम जवाहरसागर ग्रादि की योजनायें बनायी थी। इससे हम यह ग्राशा करते थे कि हमारे यहां बिजली का उत्पादन ज्यादा होने लग जायगा ताकि गांव गांव ग्रोर किसान के कुए पर बिजली मिल सके यह साधन सरकार पैदा नहीं कर सकी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि या तो यह सरकार ग्रन्धी है या बहरी है। यह पीछे से सोचती है। हमारे यहां बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि पिछली रोटी खाते हैं तो ग्रकल भी पिछली ग्राती है। पर मैं तो यह कहता हूं कि ग्रपने पड़ोसी राज्य को देखकर तो ग्रकल ग्रानी चाहिये।

यह सरकार यह पहले नहीं देखती कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं उसको कहां खपावेंगे। पहले से यह भी प्रावधान उसको करना चाहिये था। ग्रगर यह प्रावधान करके चलती तो कई गांवों में ग्राज बिजली पहुंच जाती। हमें सदन में सरकार को इस तरह बुरा भला कहने का ग्रवसर नहीं मिलता। सरकार को कहने सुनने की ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ती।

यह सरकार की कम ग्रकल का नमूना है। जो 10 करोड़ से बढा कर 50 करोड़ का कर्जा लेने का ग्रब बिल लाया गया है यह बहुत पहले लाना चाहिये थे जिससे ग्राज तक काफी गांवों में बिजली पहुंच जाती।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दूसरी बात, मैं निवेदन करूं कि आज मद्रास राज्य को देखिये। गांव गांव में और कुए कुए पर उसने बिजली दे दी है। चांवल की खेती वहां साल में तीन बार काटी जाती है। इसी तरह के नमूने दूसरे राज्यों में भी हैं। पर हमारे यहां बिजली होते हुए भी बिजली का उपयोग करने की क्षमता हमारे में नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

आपकी घंटी अभी से चालू हो गई है।

श्री सभापति : समय बहुत कम है।

श्री शंकरलाल : समय बढ़ा दीजिये साहब।

श्री सभापति : समय बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। 24 घन्टे ही होते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो गांव गांव में बिजली देना चाहती है तो वह इसके लिये दूसरे सारे साधन जुटावे।

इसके साथ ही दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं दौसा व जमुवा रामगढ़ की इन तहसीलों में केवल चार 2 पांच 2 गांवों में ही बिजली दी गई है। इन तहसीलों में कोई सिंचाई के साधन बान्ध आदि के रूप में नहीं हैं। पर यहां कुए बहुत हैं इसलिये इनको बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता है। इन्हें अधिक बिजली देनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

पांच मिनिट तो होने ही चाहिये साहब।

श्री सभापति : पांच मिनिट से ज्यादा बीत गये हैं। तीन तीन घडियां चल रही हैं। टाइम मैंने अलग से नोट कर रखा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं तो पूरे जयपुर जिले के बारे में ही अर्ज करूंगा। यहां कुए काफी हैं। कुओं में पानी अच्छी मात्रा में है और बहुत थोड़ी गहराई पर ही है। कितने ही गांवों में रात दिन पानी निकाला जा सकता है। पानी की कोई कमी आने वाली बात नहीं हैं। मैं मेरा उदाहरण देना चाहता हूं। रामोजी का खवा में बिजली है, रात दिन कुए चलते हैं पर पानी टूटता ही नहीं है। तो इसको देखते हुए ऐसे गांवों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिजली दी जानी चाहिये ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो।

एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में बिजली पहुंची हुई है उनके आस पास के गांवों व ढाणियों में बिजली आसानी से दी जा सकती है। इससे कम खर्चा होगा और अधिक लाभ होगा। दौसा और जमुवारामगढ़ तहसीलों के गांवों में जहां जहां से लाईन गई है वहां आस पास में ही सैकड़ों कुए हैं जैसे भांडारेज करबा वहां बिजली गई हुई है। पर उसके आगे एक आध मील के गांवों के कुओं में बिजली की काफी आवश्यकता है आप उनको भी बिजली आसानी से दे सकते हैं। आधे आधे फर्लांग पर गांव हैं और काफी कुए वहां पर हैं। पांच छः पंचायतों के गांव पास पड़ते हैं। इस तरफ के गांवों को बिजली मिलनी चाहिये।

इस वर्ष बिजली बोर्ड ने कुछ मिले वाइल रुपयों का प्रावधान किया है। इसमें

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जयपुर जिले को भी कुछ रुपया मिला है। हमने जिला परिषद् से एक प्रस्ताव पास करके भेजा है कि हर तहसील में चालीस किलो मीटर पर 11/33 के. वी. की लाइन डालने का प्रावधान किया जावे। इस विषय पर मैं यह अर्ज करना चाहता था कहीं ऐसा न हो कि बोर्ड लम्बी लाइन खींच कर भूल जावें। रुपया बेकार चला जावे और लाइनें खिची की खिची रह जावें। जैसे आपने दौसा से लालसोट तक लाइन तो खींच दी हैं, खम्भे भी लगा दिये हैं पर उसका उपयोग ही नहीं हुआ। चालीस किलो मीटर की लाइन खींचने के बाद उसका उपयोग सही रूप से न हो तो यह उचित बात नहीं है। बिजली बोर्ड को आसपास के गांवों व कुओं तक बिजली पहुंचाने में जो रुपया खर्च हो उसका भी प्रावधान करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे तो बोलना बहुत कुछ है।

श्री सभापति : पर मैं क्या करूं?

श्री शंकरलाल : समय बढ़ा दीजिये।

श्री सभापति : फिर भी सब तो नहीं बोल सकेंगे। फिर यह भी आपको चाहिये कि कार्य सलाहकार समिति को कह कर दो की जगह तीन दिन रखा लें। इस समय तो आई कान्ट हैल्प इट।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सरकार ने अभी तक 2248 गांवों को बिजली दी है। इस हिसाब से हर तहसील में कम से कम सात आठ कस्बों का विद्युतिकरण होना चाहिये। मेरे इलाके जमवारामगढ में तो दो ही कस्बे ऐसे हैं जहां सरकार रोशनी के लिये बिजली दे पाई है। कहीं तो सात सात और आठ आठ गांवों को एक तहसील में दे दें और कहीं एक दो को ही दें यह न्याय संगत नहीं है। दौसा और जमुवा रामगढ़ के साथ साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे कस्बे आस पास में हैं उन सारों में बिजली जानी चाहिये।

इसके साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : एक बात कहते कहते तो दस बातें कह दी हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह पिछड़ी जाति के लोगों की बात है। जिन शहरों और कस्बों में बिजली दी गई है, वहां पिछड़े तबकों, का शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की बस्तियों का सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। जिन बस्तियों में पिछड़े लोग रहते हैं उनमें आज तक अन्धेरा है। क्या शहरों के मौहल्लों में, क्या कस्बों में तो खास कर मैं इनके लिये विद्युत् बोर्ड के अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा कि इस तबके का वे खयाल रक्खें और इनकी बस्तियों में भी रोशनी कर दें।

(4 म. प.)

श्री बालसिंह सोढ़ा : सभापति महोदय....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके डीजल सेट लगा दिये हैं जैसलमेर में तो।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जो डीजल सेट लगाये हैं 600 वाट के लगाये हैं और बिजली देते हैं 150 वाट की।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विद्युत मंत्री) : माननीय चेयरमैन महोदय, दो रोज से सदन में इस साल के बिजली के बजट पर और एक दूसरा प्रस्ताव जिसमें पब्लिक बारोइंग पर 50 करोड की लिमिट का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में विचार चल रहा है। लगभग 30 माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। विचारों में काफी नाराजगी, काफी उग्रता भी और काफी इच्छायें भी रहीं। इच्छाओं का होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और वहां की इकोनोमिक ग्रोथ और प्रोडक्शन की ग्रोथ वहां की तरक्की का मूल भूत आधार है। माननीय चेयरमैन, आज हिन्दुस्तान दुनियां के दूसरे मुल्कों के मुकाबले प्रोडक्शन और इकोनोमिक ग्रोथ में बहुत पीछे है। ब्राजील से यह मुल्क 20 वर्ष पीछे है, जापान जैसे मुल्क से यह देश 40 वर्ष पीछे है और इंगलेन्ड जैसे मुल्क से यह देश 45 वर्ष पीछे है और अमेरिका की मैं बात नहीं करता लेकिन अमेरिका की जितनी पावर 1920 में अवेलेबिल थी उतनी आज हमारे सारे मुल्क में भी अवेलेबिल नहीं है, तो लगभग 50 वर्ष पीछे हम पावर के मायने में हैं।

जिस देश की ऐसी हालत है उसमें इकोनोमिक और प्रोडक्शन की गति को बड़ी तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा हमारे इकोनोमिक ग्रोथ की रफ्तार इस योजना में 8.4 ऐडीशनल हो। उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम मूल भूत आधार में जो शिकायत है, जो जरिया है उसमें सुधार करें। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा जरिया है जो इस ग्रोथ को बढ़ाने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में खास आधार बन सकता है और इसी के जरिये समाजवाद भी देश में आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम, और इसमें पानी को और मिला दें तो समाजवाद का पर्यायवाची रूप हो जाता है...

श्री दौलतराम सारण : यह नई व्याख्या समाजवाद की है ?

एक माननीय सदस्य : इसी को आप समाजवाद कहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति जी, यह मैंने हिन्दुस्तान की स्थिति बताई, राजस्थान की स्थिति और भी गंभीर है। राजस्थान का इलाका क्योंकि यहां पर कई माननीय सदस्यों ने हरियाणा और दूसरे प्रान्तों से मुकाबला किया, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में राजस्थान की स्थिति अपने आपमें विचित्र है जो कि दूसरे प्रान्तों में नहीं है। 1 लाख 43 हजार मील का यहां साइज ऐरिया है और जिसके अन्दर डिस्टेन्सेस एक प्रॉबलम है और जिसके अन्दर पानी का न होना भी एक प्रॉबलम है, और फिर स्वयं के रिसोर्सेज न होना–आऊट साइड सोर्सेज पर डिपेन्ड करना भी एक प्रॉबलम है, पिछड़ापन होना एक प्रॉबलम है, अब इन सब प्रॉबलम्स के होते हुये क्या किया है, क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिये इन सभी बातों पर गहराई से विचार करना होगा।

जब राजस्थान बना था तो, माननीय चेयरमैन, यहां की क्या स्थिति थी। राजस्थान बनने के वक्त केवल 42 लोकलटीज में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बिजली थी और अब 42 के आधार पर 31,201 कन्जूमर्स हैं और यहां की केपेसिटी जो 33...

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह हमने पढ़ लिया है । यह टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद और चम्बल में 64 से 68 तक रिडक्शन के बावजूद इस थोड़े से अर्से में लिमिटेड फाइनेन्स के आधार पर बहुत कुछ नहीं कर पाये लेकिन जो कुछ हुआ है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है । उसके अन्दर 2-3 कारण महत्वपूर्ण हैं जो कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले तुलना करने में हमको मदद दे सकते हैं । आज राजस्थान में इस महीने की अन्तिम तारीख तक, मतलब अक्टूबर की अन्तिम तारीख तक, 2278 नये कुये इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं । तीन लाख 51 हजार कन्ज्यूमर इस समय बिजली का लाभ उठा रहे हैं । ये अब तक के अचीवमेंट्स हैं । इन सारी परिस्थितियों के बावजूद...

(4.07 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले हम किस जगह स्टेण्ड करते हैं, हमारे बोर्ड की क्या पोजीशन है—असेट्स की और लायब्लिटीज की । अचीवमेंट घाटे के हैं, इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है और साथ ही साथ यह भी मालूम होना चाहिये कि फोर्थ प्लान में पर केपिटा क्या होगा और आगे क्या योजनायें हैं जिससे राजस्थान की सही तस्वीर बनेगी उसकी जानकारी मिल सके । मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं फर्स्ट प्लान से पहले 13 मेघावाट बिजली थी वह 31-3-70 तक 518 मेघावाट हो गई है और इस फोर्थ प्लान में 785 मेघावाट बिजली पैदा करने की जो इन्स्टाल्ड केपेसिटि है उसको पूरा करने का ध्येय है । इसके साथ साथ एनर्जी आपरेशन जिस समय राजस्थान नहीं बना था उस समय की अवेलेबिल नहीं है लेकिन 55 में 3.09 थी उससे बढ़कर अब 48.09 हो गई है और चतुर्थ योजना में 126 होने की सम्भावना है । इस तरह पर केपिटा एनर्जी कन्ज्यूमर्स को 1.37 से बढ़कर 38.89 हो गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो ब्रिटिश पीरियड का बताया । मुस्लिम पीरियड का भी बता दें ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मुस्लिम पीरियड में बिजली नहीं थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उससे भी कम्पेरिजन करेंगे तो अच्छा रहेगा । आपके कम्पेरिजन करने का यह क्या तरीका है । यू कम्पेयर्ड विथ दी लास्ट ईयर ।

श्री दौलतराम सारण : आप युद्ध में रत जर्मनी और जापान से कम्पेयर करिये जो युद्ध में समूल नष्ट हो गये थे । पुराने जमाने से क्या कम्पेरिजन करते हैं ?

श्री देवी दत्त गाडिया (बारां) : यह तो लकीर पीटने के आदी है....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

इनके पास हैं क्या। ये तो जो मुख्य मंत्री जी कहते हैं वही करते हैं।

श्री दौलत राम सारण : आगे क्या कर रहे हैं, यह बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमैन, मैंने डिबेट को शार्ट करने के लिए बीच के पीरियड को नहीं बताया था।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.): आप तो आगे क्या करने जा रहे हैं यह बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसमें पर केपिटा कन्जम्पशन आफ एनर्जी इन हरियाणा एण्ड अदर स्टेटस क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह भी बता रहा हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : दूसरी स्टेट्स के बारे में बतायें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : इसी तरह से जो सरप्लसेस हमारे एडीशनल रेवेन्यू और एडीशनल एक्सपेन्डीचर होते हैं वह हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जितना होता है उससे हमारा अधिक है। इससे यही बात साबित करना चाहता हूं कि सारे ही काम घाटे में चल रहे हैं और बचत नहीं हो ऐसी बात नहीं है...

श्री दौलतराम सारण : हिसाब नहीं हो आपके पास तो दूसरी बात है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बता रहा हूं आडिटेड अकाउन्ट्स से। राजस्थान में आपरेटिंग रेवेन्यू 1391 करोड़ है और आपरेटिंग एक्सपेन्डीचर 581 करोड़ है और ग्राम सरप्लस 812 और इसका परसेन्टेज निकालें तो वह 59 आता है। पंजाब में यही परसेन्टेज 60 है, मध्यप्रदेश में यह परसेन्टेज 56 है, गुजरात में 36 है और महाराष्ट्र में 39 है। तो हम पंजाब को छोड़कर दूसरी स्टेटस के मुकाबले में अच्छे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो पर-कैपिटा कन्जम्पशन का बतायें बाकी की स्टेट्स से कम्पेयर करके?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : बाकी की स्टेट्स के फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप तो यह बताइये कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हमारे यहां पावर हम ज्यादा क्यों नहीं अवलेबल करा पाये?

श्री दौलतराम सारण : आप तो भाषण देने के बजाय हमारे प्रश्नों के उत्तर ही दे दें आपने यह जो पुस्तक में जानकारी दी है इसको आपने घोट घोट कर सारा पी लिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके पास जो जानकारी थी वह आपने दे दी और जो मेरे पास जानकारी है वह मैं दे देता हूं। माननीय चेयरमैन महोदय, इस तरह से बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि हरियाणा के अन्दर बहुत बिजली है और सब जगह पेड़ों पर और दूसरी जगह लगाई जाती है और उसका मुकाबला राज-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्थान से किया। मुझे खुशी है कि हरियाणा इस काम को कर सका और आगे चलकर वहां और भी गांवों को बिजली दी जायेगी। इसमें अफसोस नहीं है लेकिन साथ ही साथ राजस्थान और हरियाणा के फर्क को भी हमें समझना होगा। जितना हमारे जैसलमेर का क्षेत्र है वह सारे हरियाणा का क्षेत्र है। 16 हजार स्क्वायर मील हमारे जैसलमेर का क्षेत्रफल है और हरियाणा का क्षेत्रफल 1611 हजार स्क्वायर मोल है। तो आज हरियाणा में आबादी कम और हरियाणा गांव में कुल 7 हजार के करीब हैं और डेन्सिटी आफ पापुलेशन हमारे यहां राजस्थान के अन्दर 393 के करीब है और वहां पर 262 और 273 के बीच में रेन्ज करती है। तो हरियाणा में बिजली के मामले में तरक्की हुई है वह अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान की परिस्थितियां भी विशिष्ट परिस्थितियां हैं और उन विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी किया है वह आपकी निगाह में और साथ ही साथ हमारी निगाह में भी कम है। इससे अधिक होना चाहिए, यह सबकी इच्छा है क्योंकि इकानामिक ग्रोथ और प्राडक्शन की ग्रोथ तब तक नहीं होती है जब तक कि पानी है और वहां पर पानी के लिए उसको लिफ्ट करने के लिए बिजली न दें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरियाणा छोड़ दो। आपके पास किसी भी स्टेट की तुलना में पर-कैपिटा कन्जम्प्शन जिसका भी ऊंचा हो चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, मध्यप्रदेश ले लें, केरल ले लें, मद्रास ले जिसकी भी आपके पास फीगर्स हों आप बता दें कि वहां पर पर-कैपिटा कन्जम्प्शन राजस्थान में इन इन स्टेट्स से ज्यादा है और इन इन से कम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास 14 स्टेट्स की इस बात को फिगर्स है कि एनर्जी अवेलेबल पर-कैपिटा। तो हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान एक आसाम को छोड़कर सबसे खराब है सबसे कम एनर्जी है। मैं इन्कार नहीं करता हूं। महाराष्ट्र 25 है हाइएस्ट और लोएस्ट है आसाम में 56 और राजस्थान में 57 है। यह फिगर्स पर-कैपिटा किलोवाट है। राजस्थान की अवेलेबलिटी आफ एनर्जी का जहां तक प्रश्न है वह कम है looking to the requirements of Rajasthan area first of land and cultivator.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Including Assam lowest per capita is last in Rajasthan.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This can be.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके कहने के मुताबिक ऐसा ही है। आसाम की पापुलेशन और राजस्थान की पापुलेशन का हिसाब लगायेंगे तो Rajasthan is lowest in the whole country.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I cannot say this is lowest. But this is with some variations. ट्रान्समिशन लाइन खींचना, बिजली का विकास करना, इस पावर जनरेशन ज्यादा हो इन बातों के प्रयत्न करना और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बात का प्रयत्न करना दो मुख्य चीजें बोर्ड के सामने रहती हैं और इसी वजह से जो सोर्सेज राजस्थान में ही नहीं थे उन सोर्सेज को लेने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के लिए बाई एग्रीमेंट हम पार्टनर्स बने हैं। मिसाल के तौर पर व्यास प्रोजेक्ट नं. 1 और 2 और एटोमिक पावर प्राजेक्ट की स्थापना राजस्थान में हुई जिससे कि 400 मेगावाट बिजली हमको मिलेगी और इसी तरह से व्यास प्राजेक्ट नं. 1 और 2 में हमारे शेयर्स हैं और उनसे हमको बिजली मिलेगी और उनकी डेट्स हैं कि अमुक प्रोजेक्ट अमुक साल में उसकी फर्स्ट स्टेज सेकिण्ड स्टेज और थर्ड स्टेज उनकी पूरी होगी और उसके अनुसार हमारी बिजली का जो हिस्सा है या एनर्जी पर केपिटा जनरेशन हमारे राजस्थान की दृष्टि से है वह बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारी रिक्वायरमेन्ट्स चाहे वह इन्डस्ट्रीज के लिए हों, चाहे एग्रीकल्चरल हों चाहे डोमेस्टिक हो वह भी बढ़ेंगी। तो इसका विस्तार हो। अभी राजस्थान में चूंकि बहुत कमी पहले से है इसलिए अधिक से अधिक जो भी साधन हम जुटा पायें, जो भी लोन्स हम ले पायें, जो भी सरकार की तरफ से रुपया दिया बोर्ड को उसका इस्तेमाल कर पाये उसके अन्दर जो कुछ भी हुआ है वह आपके सामने मैंने रखा है···

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपकी इनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन हमारी एनर्जी कल से कम हो रही है उसका भी तो जवाब दो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): पंजाब और मध्यप्रदेश से अपने शेयर्स हैं तो क्या हम अपना पूरा शेयर उनसे ले रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस से ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाखरा से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा से हम पूरा शेयर ले रहे हैं और मध्यप्रदेश से सतपुड़ा के अभी दो यूनिट फंक्शन कर रहे हैं और तीन यूनिटस फंक्शन नहीं कर रहे हैं कोल की कमी की वजह से तो तीन यूनिट्स का शेयर हम नहीं ले रहे हैं और न उनको ही मिल रहा है और जो दो यूनिट्स चालू हैं उनका शेयर हमको मिल रहा है····

श्री दौलतराम सारण : तो हम समझें कि जितना विद्युत् का उत्पादन होता है उसमें शेयर के हिसाब से पूरा शेयर हम ले रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मध्यप्रदेश से ?

श्री दौलतराम सारण : नहीं, सारा टोटल। जो देश में उत्पादन होता है और जिसमें शेयर है उससे अपने शेयर का पूरा शेयर हम ले रहे हैं–यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, सही है।

श्री दौलतराम सारण : यह सही नहीं है चेकिंग करवा लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चेकिंग करवा लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : आप अपना पूरा शेयर नहीं ले रहे हैं, मैं अपना चेलेन्ज करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारा शेयर दिनों दिन बढ़ेगा।

श्री दौलतराम सारण : दिनों दिन बढ़ेगा वह अलग बात है लेकिन आज हमारा जो शेयर है वह नहीं ले पा रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्डा : इस साल 1250 कुओं को बिजली देने का प्रावधान रखा गया है इसके अलावा 636 गांवों को इलेक्ट्रिफाई करने का कार्यक्रम रखा है। इन सब कार्यक्रमों से काफी विस्तार होगा लेकिन इससे भी आगे और तेजी से हम जाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी योजनायें जो क्लस्टर स्कीम के नाम से कहते हैं कि जहां पानी अवेलेबल होता है, वहां पर ग्रुप आफ विलेजेज की स्कीम बनाकर उसको कारपोरेशन के पास भेजकर वहां से लाइन लेकर उसको इलेक्ट्रिफाई करें जिससे हमें वर्तमान साधनों के अलावा और भी अधिक साधन उपलब्ध हो जायें तो उसके लिए भी 19 योजनायें बोर्ड ने एप्रूव की है और उन योजनाओं में से करीब 4 योजनाएं मन्जूर भी हो चुकी हैं और 15 योजनाओं की कार्यवाही प्रेलिमिनेरी सर्वे, एन्क्वायरी वगैरह जेर कार्यवाही हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : चार योजनाएं कौन कौन सी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : एक है शायद सांगोद इन कोटा डिस्ट्रिक्ट सैकण्ड रेलमगरा इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, थर्ड इज गोविन्दगढ़ इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट एण्ड फोर्थ इज इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट, मैं नाम भूल गया हूं। चार योजनाएं तो मन्जूर हो चुकी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हमारा तो बिल्कुल उलटा हो गया।

श्री रामप्रसाद लड्डा : 40-50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की योजना है। इनमें काफी गांव आ जाते हैं, काफी कुऐ आ जाते हैं। इस तरह की 19 योजनाएं बोर्ड ने अप्रूव की हैं। उनको हम एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं तीन सालों के भीतर भीतर मन्जूर होती जांय और काम शुरू होता जाय तो हमको रिटर्न मिल जाय।

साथ-साथ इस प्रकार के क्लस्टर स्कीम्स के प्रोग्राम्स को हमारे प्लान के हिसाब से हम और जगहों पर भी फैलाएं जिससे और क्षेत्र भी इसके परव्यू में आ जायं। तो एक तरफ तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम विलेजेज और लोकल बोडीज का ले रहे हैं। वह लिया है और एक तरफ इन्टेन्सिव प्रोग्राम को लिया है, और दोनों को मिलाकर धीरे धीरे इसके अन्दर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का विचार है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय हरिदेवजी बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने उपस्थित करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is not proper time. It is four twenty.

श्री हरिदेव जोशी : It is four twenty one, not four twenty.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not saying that you are four twenty, but the time is four twenty.

श्री हरिदेव जोशी : The time is four twenty one.

सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 29 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पढ़ दें ताकि सदन को मालूम हो जाय।

श्री हरिदेव जोशी : जो पास कर चुके हैं वही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हम को तो पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : चेन्ज हो गया होगा।

श्री हरिदेव जोशी : कार्य सलाहकार समिति का 29 वां प्रतिवेदन।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार दिनांक 4 नवम्बर, 1970 को हुई।

दिनांक 9 से 16 नवम्बर, 1970 तक लिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि इसके लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जायः—

सोमवार, दिनांक 9 नवम्बर, 1970

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारणः—

1–राजस्थान टैनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1970।

2–राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970।

मंगलवार, दिनांक 10 नवम्बर, 1970

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारणः—

1–राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970।

2–राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1970।

बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर, 1970

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

1–राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970।

2–राजस्थान राज-भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, 1970।

शनिवार, दिनांक 14 नवम्बर, 1970

राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, 1970 पर विचार एवं उसका पारण।

सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर 1970

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारणः—

1–राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970।

2–राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक 1970।

उपरोक्त कार्य के बटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

सदन की बैठकें 5, 6, 7, 8, 12, 13 व 15 नवम्बर, 1970 को नहीं होंगी।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 29 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.) : माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में जो हमारे समाज कल्याण मंत्री महोदय ने जो अनुसूचित जाति व जन–जाति की रिपोर्ट रखी है उसको भी ले लिया जाय तो क्या आपत्ति है ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

स्वीकृत

प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

माननीय विद्युत् मंत्री जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमेन महोदय, कई माननीय सदस्यों ने......

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन कर रहा हूं कि उसके लिए या तो हमारे समाज–कल्याण मंत्रीजी कमजोर पड़ते हैं इसलिए उस रिपोर्ट को नहीं लिया जा रहा है या हम लोगों ने आपसे निवेदन नहीं किया कि इसको भी इस सदन में रखेंगे। इसी सदन में सारा प्रोग्राम ले लिया जाय तो बहुत अच्छा हो सकता है। लोग अपने विचार इसके बारे में रख सकें। अगले सेशन में तो रिपोर्ट बहुत पुरानी हो जाती है। उस वक्त न तो अपने विचार रख सकते हैं, न आपत्तियां रख सकते हैं और न हरिजनों के साथ में जो अत्याचार होता है उसका विवरण सदन में रख सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार नहीं रखना चाहती है। आप में ताकत हो तो रख लें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है......

श्री सभापति : प्रतिवेदन स्वीकृत हो चुका है, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उससे क्या हुआ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी विधेयक रखे गये हैं वे पारित होने वाले हैं और जितने भी प्रतिवेदन रखे हैं वे सारे उप सूचि में हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के लिए क्या बात हुई है कि इस सेशन में उस विषय में विचार नहीं हो रहा है। इसमें भी छुआ छूत वाली बात अगर सरकार करती है तो यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आपकी और सदन की भावना को माननीय अध्यक्ष के पास पहुंचा दिया जायगा और उनको स्थिति से अवगत करा दिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : उधर के अनुसूचित जाति के विधायक भी अपने विचार प्रकट कर दें।

राजस्थान विद्युत् मण्डल से सम्बन्धित संकल्प एवं आय-व्ययक, 1970–71 पर अग्रेत्तर विचार

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय चेयरमेन महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बिजली विभाग के सम्बन्ध में कई समस्याएं और शिकायतें और सुझाव सदन के सम्मुख रखें। बहुत सारी बातें ऐसी थीं कि जो ग्राम नेचर की, जनरल नेचर की हैं जो कि वे सभी जाहिर करती थीं। तो कुछ ग्राम मुद्दों पर बोर्ड और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
राज्य सरकार क्या करना चाहती है, उन तकलीफों को कैसे दूर किया जाय जो माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करूंगा।

यहां मैं एक बात यह कहूंगा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मोहल्ले हर कस्बे और गांव में होते हैं जहां बिजली नहीं पहुँची है। जब योजनाएं बनाई जाती हैं तब उसमें वे शरीक नहीं होते हैं या उनको शरीक नहीं किया जाता है रिटन्र्स या किसी आधार पर और बाद में वे बिना बिजली के रह जाते हैं। फिर समाज-कल्याण विभाग के ग्रान्ट देने पर थोड़ी बहुत जगहों पर काम किया जाता है और आम तौर पर वे मोहल्ले जो गरीब लोगों के होते हैं वे यानी बिजली से महरूम रह जाते हैं। समाज-कल्याण विभाग की तरफ से अब तक लगभग 23 लाख रुपये दिये गये लेकिन वह बहुत थोड़ी रकम है जो सब जगहों की समस्या को हल नहीं कर सकती है...

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप ज्यादा..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप मेरी बात सुनिये।

इसलिए राजस्थान सरकार चाहती है और बोर्ड भी चाहता है कि हम इस समस्या का हल दो तरह से करें। एक तो यह है कि यह जो एक्जिस्टिंग लोकेलिटीज हैं जिनमें पिछड़े वर्ग या गरीब लोगों के मोहल्ले हैं वहां पर बिजली नहीं है तो वहां पर बिजली किस तरह से पहुंचाएं। दूसरा आयन्दा के लिए क्या योजना बनाई जाय कि शुरू में ही वे मोहल्ले ले लिये जायं ताकि बाद में समाज-कल्याण या किसी के पास जाने की आवश्यकता ही न पड़े। इन दोनों मुद्दों पर जो हम चाहते हैं वह मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। आयन्दा से जो भी कोई योजना बने किसी कस्बे की तो वह योजना सारे कस्बे की बने यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स या और गरीब लोग हैं उनके मोहल्ले को शामिल किया जायगा। टाउन या विलेज एज ए होल को युनिट मानकर ही योजना बनाई जाय ताकि बाद में नये सिरे से बिजली की कोशिश करने की जरूरत न पड़े और उस एक योजना में ही सब का समावेश हो जाने से सब के साथ बिजली मिलने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, अनइलेक्ट्रिफाइड हैं, उनके लिए हमारी राज्य सरकार यह चाहती है, समाज कल्याण रुपया देगा या नहीं देगा या कितना देगा तो भी इस तबके को जहां शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं तो उनको एक निश्चित प्रोग्राम बनाकर बोर्ड की तरफ से भी बिजली दी जाय उस पुरानी कमी को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : पूरा तो सुने।

श्री लादूराम सुलानियां : मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि मन्त्री महोदय आज 23 वर्ष बाद यह कह रहे हैं। अब वह हरिजन और गरीब तबके के लिए योजना बना रहे हैं। मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर भी यह है कि जो सामुहिक तौर

(श्री लादूराम मुलानियां)

पर सुविधाएं अब तक देनी चाहिये थीं उनको अब तक क्यों नहीं दिया गया है। 23 लाख रुपया समाज कल्याण विभाग को दिया है। हरिजनों के मुहल्ले के लिए दिया है। और जो समान अधिकार से मिलना चाहिए वह क्यों नहीं मिला? यह सारा कारण बताते हुए यह भी बताइये कि अब आप क्या कर रहे हैं? अब तक क्यों नहीं दिया है? वह मुख्यतया कारण भी बताइये कि पहले जो मूलभूत अधिकार और समानता के नाते मिलना चाहिए, वह क्यों नहीं मिला?

श्री सभापति : आपकी बात को मैं समझ गया।

श्री लादूराम मुलानियां : सारी बातें बताइये, तब मैं मानूंगा कि राज्य सरकार ने समानता बरती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा लगता है, मैं जो कह रहा हूं...

श्री लादूराम मुलानियां : पिछले 23 वर्ष बाद आप यह कह रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बहुत लेट आये हैं।

श्री लादूराम मुलानियां : (किन्हीं माननीय सदस्य के हंसने पर) यों हंसने से काम चलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम मुलानियां : कोई अधिकार उनको नहीं मिला है। लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। जयपुर शहर की हालत देख लीजिये। सारे हरिजन मुहल्लों में अंधेरा है और जहां पर सवर्ण लोग रहते हैं वहां पर ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं।

(हियर-हियर)

हम लेखा जोखा लेना चाहते हैं। यह तो हम भी जानते हैं, आप कितनी बिजली देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बैठना नहीं है क्या?

श्री लादूराम मुलानियां : माननीय मन्त्री जी यह सन्तुष्ट होने की बात नहीं है। यह बताइये कि 13 वर्ष में जिनको मिलनी चाहिए उनको क्यों नहीं मिली?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह 9 वीं बार दुहराया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, 15% रिटर्न होना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स मुहल्लों के लिए 15% से कम कर दिया। 3% दी जाये। और 3 साल में वह 10% हो जाए तो आगे चलकर ओरीजनल योजना बनायेंगे तो उसमें हम ऐसा मानकर चलेंगे कि इकोनामिक रुकावट नहीं आएगी। हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट मुहल्ले शामिल हो जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर उठेगा, देख लेना।

श्री गंगासहाय : यह किसकी गलती है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब हो रहा है।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : अब तक तो हरिजनों का उद्धार हो जाता।

श्री संरोसिंह : एक जानकारी मैं चाहूंगा, बिजली के बारे में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को विशेष व्यवस्था देने का जो प्रावधान किया है, यह कब किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी जैसा कि मैंने सदन में कहा I am announcing it today.

एक माननीय सदस्य : आज का है।

श्री दौलतराम सारण : जो खर्चा होगा वह अतिरिक्त। जो घाटा होगा राज्य सरकार उसकी पूर्ति करेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो स्कीम बनेगी, गांव में हमने रिटर्न तय कर लिया है। पूरे गांव का हो जाएगा। एक्जिस्टिंग है सो पूरे मुहल्ले का हो जावेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : यह क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने समझा नहीं है। प्रापने समझा होता तो····

श्री लादूराम सुलानिया : आपने नहीं समझा होगा। एक दिन मेरे साथ घूम ले। बंगले में बैठकर आप नहीं समझ सकते हैं। ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो अपने कान्स्टीटुएन्सी में चलें। आपकी समझ में आया नहीं है। मेरे ख्याल में जब तक आप कुर्सी पर बैठें हैं, आपकी समझ में आयेगा भी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कृपया आप यह बतायें जो 3% वाली बात बतायी गई है, उसकी फाइनेंशयल पोजीशन क्या होगी? रिटर्न पर बोर्ड को घाटा होगा। या यह केवल अनाउन्समेण्ट है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल अनाउन्समेण्ट नहीं है। बल्कि वास्तव में जो करना चाहते हैं रिटर्न के अन्दर सोच समझकर जो करना चाहते हैं। जो उनका अधिकार है, वह उनको मिले। इकोनामिक फिजिबिलटी के साथ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा मतलब यह नहीं था।

श्री दौलतराम सारण : सवाल यह है सभापति महोदय, यह मामला कामर्शियल डिस्प्यूट का है। लासेज गवर्नमेण्ट देगी या बोर्ड घाटा उठाकर सामाजिक सेवा करने को तय कर चुका है। या घाटा होगा वह राज्य सरकार देगी?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं शायद अपनी बात क्लियर नहीं कर सका। ऐसा है, यह अनाउन्समेण्ट स्वागत योग्य तभी हो सकता है जब उसे बोर्ड के अन्दर हम करेंगे। इसके लिए बोर्ड को भी डिसीजन लेना होगा और गवर्नमेन्ट को भी डिसीजन लेना होगा! 3% में पिछड़ी जातियों में अगर बोर्ड करने को तैयार है तो यह बोर्ड का होगा गवर्नमेंट का नहीं होगा। अगर यह सही है तो अब तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डिसीजन फार्मली नहीं लिया है। अगर लिया है तो करोड या 10 या 50 करोड का घाटा होगा या नहीं होगा? या 1972 के जनरल इलेक्शन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को ध्यान में रखकर एक्सप्लायटेशन करने के लिए यह अनाउन्समेन्ट आप कर रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं माननीय चेयरमैन, आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं । माननीय सदस्यों को यह कन्सेशन सुन कर हैरानी हो रही है· ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो स्वागत की बात होनी चाहिए उसके बदले हैरानी हो रही है और चुनाव याद आ रहा है । मैंने यह· ·

श्री दौलतराम सारण : हैरानी नहीं हो रही है । यह सरकार कई बार घोषणा कर चुकी है और थूक कर चाट चुकी है, इसलिए हमको शंका इसमें हो रही है कि इस घोषणा के सम्बन्ध में कितनी बोनाफाइडी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब मैं बिजली मंत्री की हैसियत से बोलता हूं तो मैं अपने अधिकार को समझता हूं । आखिर यह सरकार भी हरिजनों के भले बुरे को समझती है· ·

श्री दौलतराम सारण : लैंड रेवेन्यू के बारे में राज्य सरकार राज्यपाल महोदय के मुंह से कहला कर भी मुकर गई । हमें इस सरकार की बोनाफाइडी में सन्देह है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बोनाफाइडी है, इसके सम्बन्ध में आपको जानकारी के वास्ते निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बोर्ड से मुझे सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर गवर्नमेंट लेवल पर जो डिस्कशन हुआ उसके उत्तरदायित्व की दृष्टि से मैं इस बात को कहता हूं और जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं । इसलिए इसको चुनाव की आड़ से नहीं समझना चाहिए, इसकी बोनाफाइडी को डाउट नहीं करना चाहिए । आखिर यह सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कन्सेशन देती है तो अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स को कन्सेशन दे दिया तो इसमें क्यों विरोध होना चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह गलत बात कहते हैं आप । इसमें प्रश्न यह खड़ा होता है कि शहरों की शिड्यूल्ड कास्ट्स की बस्तियों में आप बिजली देते हैं तो उसका पेमेन्ट म्यूनिसिपेलिटी करती है····

श्री लादूराम जुझानियां : एक मिनट को मान लें कि आपने यह कन्सेशन दे दिया तो कौनसा अहसान कर दिया····

श्री देवीदत्त गाडिया : बोर्ड का नाम ले लें तो कैसे होगा ? आखिर नगरपालिका पेमेन्ट करती है ।

श्री लादूराम जुझानियां : हम इस प्रकार अहसान से दी हुई बिजली नहीं चाहते· · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपकी तरफ से अगर इसको पसन्द नहीं किया जाता है और इसे अनधिकृत समझा जाता है तो इस पर विचार कर लें दुबारा । सभापति महोदय, अगर माननीय सदस्य नहीं चाहते····

श्री दौलतराम सारण : इस शासन में जो रहेगा उसको झक मार कर यह करना पड़ेगा । जो पब्लिक ग्रीवियेन्स हैं उन पर विचार करना पड़ेगा । आप कोई उदारता नहीं दिखा रहे हैं, इस प्रकार कोई अहसान

(श्री दौलतराम सारण)

नहीं कर रहे हैं। पब्लिक से आप टैक्स लेंगे तो आपको झक मारकर यह करना पड़ेगा। हरिजन बस्तियों को इलेक्ट्रिफाई करने की मांग आ रही है उसको पूरा करना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, जो मुद्दे मैंने उठाये हैं वह प्लेन और सिम्पल हैं......

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनका जवाब नहीं दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो विरोध कर रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी सु.) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, उसके बारे में मंत्री महोदय बताना नहीं चाहते हैं और कहना यह चाहते हैं, हरिजनों पर इस बात की जिम्मेदारी थोपना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि यह स्वागत लायक बात थी। आपने कौनसा अहसान किया ? आपका किस बात का स्वागत किया जाय ? आप हमारे मूलभूत अधिकार तो खा जायं और एक टुकड़ा डाल कर अपना स्वागत कराना चाहते हैं। आपका किस बात का स्वागत किया जाय ? आप हमारे मूल अधिकार तो खा गये। अब कहते हैं कि तीन प्रतिशत पर बिजली देंगे इसलिए आपका स्वागत किया जाय। आपका किस बात के लिए स्वागत किया जाय ? आपने कौनसा अहसान कर दिया ? आप यह बताइये कि इससे कितना घाटा होता है और उस घाटे की पूर्ति कैसे करेंगे ? जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके बारे में आप आंकड़े बतायें। आपके पास आंकड़े हैं नहीं ? आपने लैंड रेवेन्यू में छूट देने की बात कही थी, लेकिन आपके पास में लैंड रेवेन्यू के आंकड़े नहीं हैं। आप छूट देते हैं लेकिन कितने काश्तकारों को छूट दी है ? आप कहते हैं कि यह छूट दी है, लेकिन छूट देने वाले आप कौन हैं ? क्या मंत्रिमण्डल ने यह डिसीजन लिया है ? क्या सरकार के द्वारा यह तय हो गया है ? और जो बिजली बोर्ड को घाटा होगा उसकी पूर्ति समाज कल्याण के नाम से करेंगे या जो हरिजनों के नाम से सहायता दी जा रही है उससे करेंगे या किसी की जेब काटेंगे ? यह बता दीजिये कि यह घाटा कहां से पूरा करेंगे ? आप हमें बतायें कि स्वागत किस बात के लिए करें ? क्या यह स्वागत लायक बात है ? आपने बहुत बढ़िया बात कह दी कि तीन प्रतिशत पर बिजली देंगे और इसके लिए आप अपना स्वागत करवाना चाहते हैं.....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, भाषण नहीं।

श्री लादूराम सुलानियां : हम यह साफ पूछना चाहते है, हम घाटे और पूर्ति का ताल-मेल जानना चाहते हैं। और जब हम यह कहते हैं तो आप हमें दबाना चाहते हैं, सदस्यों को दबाना चाहते हैं ? यह नहीं हो सकता है। यह करोड़ों हरिजनों का सवाल है, यह एक-दो व्यक्तियों का सवाल नहीं है। हम यहां बैठे हैं तो हमारे और आपके बीच में डिस्कशन होकर फैसला होना चाहिए, और आपको आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए कि बोर्ड को इतना घाटा

(श्री लादूराम सुलानियां)

होगा, वह घाटा क्या मन्त्रि मण्डल अपने खजाने से देगा, सरकारी खजाने से देगा, या विद्युत मन्त्री अपनी जेब से देंगे ? आपने कहा कि कह दिया, आखिर क्या कह दिया...

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : कितना घाटा होगा ? यह बतायें। इसके आंकड़े रखिए सदन में, उन आंकड़ों पर सदन विचार करेगा, माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और उन सबका आप स्पष्टीकरण कीजिये। इसमें हमें आपत्ति नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके जो बातें माननीय सदस्य ने पूछी हैं उनका आप विस्तारपूर्वक जवाब दीजिए सही तरीके से ताकि हम समझें कि आपका कहना सही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं केटेगरीकली गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि जो तीन प्रतिशत रिटर्न पर पिछड़ी हुई बस्तियों में बिजली लगायेंगे तो क्या इस सम्बन्ध में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डिसीजन लिया है ? एक बात। अगर डिसीजन लिया है तो कब लिया है ? दूसरी बात है, इससे फाइनेंसियल इम्प्लीकेशन कितने होंगे ? फाइनेंसियल लॉस कितना होगा ? करोड़ का है तो सरकार उसे बर्दाश्त करे— इसमें मुझे एतराज नहीं है, यह स्वागत योग्य बात है। लेकिन आप इसे पॉलिटिकल कलर देकर कहते हैं कि हम इसका स्वागत नहीं करते हैं तो हम तो इस सम्बन्ध में एजीटेशन करते आये हैं, प्रदर्शन करते आये हैं। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के बजट के 60 प्रतिशत को रामप्रसाद लड्ढा कन्ट्रोल करते हैं, इरिगेशन और पावर की पोर्टफोलियो आपके पास हैं, आपको हरिजनों से इतनी हमदर्दी है तो आप यह पोर्टफोलियो अमृतलाल जी यादव को दे दीजिए। लेकिन आपको दे रखी हैं, सब पोर्टफोलियो और आप राजस्थान के बजट के साठ प्रतिशत पर कन्ट्रोल रखते हैं इससे मालूम पड़ता है कि कितनी हमदर्दी हरिजनों के साथ आपकी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप पर बड़ी मेहरबानी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मन्त्री महोदय ने नीति की घोषणा की कि शिड्यूल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में थोड़ा रिलीफ किया है बिजली के एक्सटेन्शन में—यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य बात है। हम इस बात से एग्री करते हैं, फाइनेन्सियल थोड़ा लॉस भी हो, तीन प्रतिशत मुनाफा नहीं भी हो तो भी पिछड़े वर्ग को इस तरह प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को लॉस उठाना होता है। गवर्नमेंट मुनाफे को तरफ ही नहीं देखती है, पूंजीपति ख्यालात के व्यक्ति इस तरह की बात देखते हैं। लेकिन जानना चाहूंगा, माननीय मन्त्री जी से केटेगरीकली कि क्या गवर्नमेंट की अभी जो नीति इस सम्बन्ध में राजाओं को बिना पैसे पानी, बिजली देने की थी, या इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कन्सेशन देने की नीति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी, नुकसान उठाकर या गांव के वर्ग की ओर ध्यान नहीं देने की नीति थी, क्या उसमें रैडिकल चेंज करने का अनाउन्समेंट करते हैं ? क्या आप परमानेन्टली इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो नीति अपनाई थी वह गलत थी। अब देश के वातावरण को देखते हुए अपनी नीति मे रैडिकल चेंज स्वीकार करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : रैडिकल चेंज कर दी, राजाओं के प्रिवीपर्स के बारे में।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, तीन प्रतिशत के रिटर्न के लिए कहा हरिजन मोहल्लों के लिए तो वेदर इट इज फीजिबल, वहां कच्चे मकान होते हैं, तो जो स्ट्रीट लाइट होगी उनके लिए तीन पर्सेन्ट तक रखेंगे और उनसे हरिजन मोहल्लों को इलेक्ट्रिफाई करेंगे क्या ? वेदर यू आर रेडी टू क्लेरिफाइ इट ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : स्ट्रीट लाइट होगी · · · ·

श्री एक माननीय सदस्य : स्ट्रीट लाइट की म्यूनीसिपैलिटी स्वीकृति देगी, तो क्या उससे लेंगे?

श्री पी. के. चौधरी : स्ट्रीट लाइट टू नाट एलोन · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने तो साधारण सी बात कही थी, जब हम कल्टीवेटर्स के लिए, जिनसे 15 पर्सेन्ट रिटर्न लेते हैं इतना रिटर्न हो तो योजना स्वीकार की जाती है। अब हमने उसको चेंज करके किया है कि फर्स्ट ईअर में 10 पर्सेन्ट हो जाय और थर्ड ईअर में 15 पर्सेन्ट हो जाय तो यह योजना का रिटर्न ठीक मान लिया जाना चाहिए और उनको बिजली का लाभ मिलना चाहिए। यह चेंज कल्टीवेटर्स को फायदा देने की दृष्टि से किया है। इसके साथ साथ बैकवर्ड क्लासेज के लिए यह किया कि फर्स्ट ईअर में तीन पर्सेन्ट हो जाय और थर्ड ईअर में 10 पर्सेन्ट हो जाय तो उसको ठीक मान लेना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि हमने उनकी सारी समस्या हल कर दी लेकिन हम उस दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम आयन्दा ज्यादा लाभ पहुंचा सकें। इस नियत से, इस दृष्टि से और बिना किसी राजनैतिक कारण से क्योंकि आम हवा और आम डिस्कन्टेन्टमेंट असल में इन वर्गों के बारे में यही था उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह डिसीजन किया। फाइनेंसियल लॉस जो आयेगा, क्योंकि अभी तीन पर्सेन्ट रिटर्न पर किया है और थर्ड ईअर में 10 पर्सेन्ट रिटर्न की बात आयेगी तो उसमें लॉस बहुत बड़ा नहीं होता है-यह जानकारी मुझे दी गई है। साथ साथ कोई यह माने कि अकेले मैंने डिसीजन ले लिया होगा – तो ऐसा नहीं है। आफिसियल मेम्बर्स ऑफ दी बोर्ड, जिनकी मेजोरिटी है उन्होंने इसको डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया और जब सलाह होकर बात तय पाई तब मैंने यह सदन के सामने सबकी जानकारी के लिए निवेदन किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोर्ड का डिसीजन है या कन्सल्ट किया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड का डिसीजन नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बोर्ड का डिसीजन है, बोर्ड का डिसीजन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब हुआ है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है, इट इज pitiable ऐसे इकॉनामिक प्रश्न पर, रेडीकल प्रश्न पर बोर्ड का डिसीजन हो और गवर्नमेंट नहीं ले। If the Government has taken a decision, then the Government is bound.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Section 78-A of the Electricity (Supply) Act provides that in such matters of policy, even if the Government takes a decision, it can give directions to the Board. Therefore whatever I am saying here is meant for compliance and that will be done.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह डिसीजन गवर्नमेंट का है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेंट का भी और गवर्नमेंट ने डिस्कस करके भी लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह किसकी अक्ल की बात है, किसकी समझ की बात है। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की तरफ से यह आया उसको मंत्रिमण्डल ने इन्डोर्स किया या इनिसियेटिव मंत्रिमण्डल ने लिया है? इनीसियेटिव किसका है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सबने डिस्कस करके फैसला लिया है। अगर आगे चलायें काम तो कई समस्या हल करने की कोशिश, सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबमें यह दिक्कतें आती हैं। उन बातों को रहने दें और छोटी मोटी बात कह कर चलें तो मैंने माइण्ड एप्लाई किया है, आफिसर्स और बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने माइण्ड एप्लाई करने की कोशिश की है कि जो रोज प्रश्न असेम्बली में उठते हैं इनका इलाज हो सकता है या नहीं...

श्री रामप्रसाद लड्डा : With due discussions and considerations, we have tried to solve some of the problems which I am placing before you.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह जो आपकी घोषणा है, जैसे फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 3 प्रतिशत के लिए आप एग्री हुए कि आप शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से लेकर उनकी बस्तियों के अन्दर लाइट प्रोवाइड करेंगे। यह बेमाने है। जिन का स्टेन्डर्ड ऐसा है, दो टाइम रोटी नहीं मिल सकती, भूख से तड़पते हैं, वह मकान के अन्दर बिजली कैसे लायेंगे। आप एक एनाउन्समेंट कर दें। सरकार ने फैसला किया है, क्या कि चाहे पंचायत क्षेत्र हो, चाहे नगर परिषद् क्षेत्र हो, उसके अन्दर जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियां हैं, उनको स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करने के लिए आप नगर पालिकाओं को शत प्रतिशत सबसीडाइज करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्डा : इसका सम्बन्ध मुझसे नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं जवाब नहीं दे सकता कि सैंट परसेन्ट सबसीडाइज कर देंगे, दिस रिप्लाई आइ केननाट गिव।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर बाईंडिंग क्या है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने कहा था कि आप हरिजनों के जितने शहरों में मौहल्ले हैं, कस्बे

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हैं वह बिजली नहीं दे पाते हैं इसलिए आपको शहरों व कस्बों से शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बिजली देना चाहिए उस संदर्भ में आपने जवाब दिया है। जैसे गोयल साहब ने कहा, उन लोगों की बस्तियों में आप बिजली फ्री दें चाहे पंचायत दिलाये चाहे नगरपालिका दिलाये चाहे खुद दें। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके मोहल्लों में बिजली के लट्टू लगने चाहिए जैसे शहरों में है। हमारे पास मकान पक्के नहीं हैं जिनमें बिजली ला सकते हैं, हमारी इतनी शक्ति नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जैसे शहरों में बिजली दी है, सभी मोहल्लों में दी है, उसी प्रकार हमें भी मिलनी चाहिये, जैसे कस्बे में बिजली देते हैं उसी प्रकार हमारे यहां भी बिजली की लाइन आनी चाहिए। यह कहां का न्याय है कि 3 कोनों को बिजली देने और एक कोने में अन्धेरा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए, आप गुमराह करते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बहका रहे हैं। आप कहिये कि आप शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मोहल्लों में बिजली जिस तरह से लोगों को दी है उसी प्रकार देंगे। यह घोषणा करेंगे तब हम मानेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मुझे माननीय सदस्य की समझ पर तरस आ रहा है। मैं कहता हूं कि जब खम्भा आयेगा तब घरों में बिजली आएगी।

श्री देवीदत्त गाडिया: कच्चे घरों में बिजली कैसे जायगी?

(शोरगुल)

उनके पास पैसा नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आप सुनें नहीं तो...

श्री देवीदत्त गाडिया: आप घोषणा करें कि गरीबों को शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बिजली देंगे...

श्री रामप्रसाद लड्ढा: आई कैननाट

श्री लादूराम सुलानिया: मंत्री महोदय को माननीय सदस्य के कहने पर तरस तो आया, अगर वह मोहल्लों को देखें तो उनको रोना भी आ सकता है। किसी की बात कहने से अगर उनको तरस आ जाय तो मैं मानता हूं कि वह कम से कम उनके दिल में...

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सभापति महोदय, अगर डिबेट को कन्ट्रोल करना है तो करें या मुझे अपनी बात कहने दें। या...

श्री लादूराम सुलानिया: हमारी भी सुनें और मन्त्री महोदय की सुनें...

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री लादूराम सुलानिया: सभापति जी आप मन्त्री महोदय के संकेत पर बोलें यह परम्परा आज तक नहीं रही है। आप कहते हैं कि मन्त्री महोदय बोलें। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि किस बात पर तरस आपको आई?

श्री सभापति: आर्डर प्लीज!

श्री लादूराम सुलानिया: कम से कम यह तो बतायें कि आप कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं हैं तो बिजली विभाग दो मंत्रियों के पास है क्या, तब तो उनसे पूछ लें। आप बिजली विभाग के मंत्री नहीं हो तो दूसरे से

(श्री लादूराम सुलानिया)
पूछ लें कि यह किसके जुरिस्डिक्शन की बात है।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खेरथल) : यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर जो कुछ भी कहा गया चाहे माननीय सदस्य की भावना कुछ भी हो, लेकिन मैं उनकी भाषा को पसंद नहीं करता। सरकार ने बहुत से काम हरिजनों की भलाई के लिए, नल व बिजली पहुंचाने के लिए किए हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : चमचागिरी नहीं चलेगी।

श्री गोकुलचन्द जाटव : सुन लीजिए। वास्तव में बात यह है कि इस लोकतांत्रिक युग में सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हैं और उनके अनुसार जो कुछ अब तक किया है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन आज का जो प्रश्न हैं, उसमें कन्फ्यूजन है। 3 प्रतिशत का जो आपने कहा है, उसमें सवाल यह है कि योजना में जितने गांव आयेंगे, उसमें जिस कस्बे में या गांव में बिजली पहुंचेगी वहां 3 प्रतिशत आप लेंगे, वहां 100 घरों की बस्ती है वहां पर एक दो आदमी ऐसे हो सकते हैं जो बिजली लेंगे लेकिन हरेक आदमी नहीं लेगा। वहां स्ट्रीट लाइट देने के लिए मेन लाइन पहुंचाई जाय तो हर घर में बिजली पहुंचे, वह सुविधा हरिजनों को देने के लिए सरकार इस खर्चे को बरदाश्त करेगी या नगरपालिका बरदाश्त करेगी, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने बहुत समय से घोषणा की है लेकिन अभी तक भी बहुत से गांव रह गए हैं, सरकार प्राथमिकता देगी या नहीं उनका क्या होगा ?

तीसरी बात यह है कि सरकारी घोषणा हो जाने के बाद और योजना स्वीकृत हो जाने के बाद भी मैं सरकार की मशीनरी में जो धांधलबाजी देख रहा हूं, वह आपके सामने रखता हूं।

सभापति : भाषण दे रहे हैं क्या ?

श्री गोकुलचन्द जाटव: यह हरिजनों का प्रश्न है, मुझे सुन लीजिए, गम्भीर बात है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दादरहेड़ा गांव में डेढ़ साल से 4 चमार बिजली लेने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, कुओं पर बिजली के लिये पीछे पड़ रहे हैं। हमने इंजीनियर से कहा कि इन कुओं को अभी तक बिजली क्यों नहीं दी जब कि अन्य 4 कुओं को पहले दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भूल से बिजली दे दी। उस समय हमने समझा था कि दादरहेड़ा खेरथल का हिस्सा है परन्तु बाद में मालूम हुआ कि दादरहेड़ा अलग गांव है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य···

श्री गोकुलचन्द जाटव : सुनिए तो। कलेक्टर साहब उस क्षेत्र में गये। उनका कहना है कि खेरथल का एसिस्टेन्ट इंजीनियर रिश्वतखोर है, एसिस्टेन्ट इंजीनियर जो रिश्वतखोर है और बगैर पैसे हरिजनों का काम नहीं करना चाहता, तो सरकार की योजनाओं पर हम कैसे विश्वास करें। इसलिए कह रहा हूं कि यह गारन्टी दें कि सरकार की मशीनरी ठीक तरह से काम करेगी। डाइरेक्टर साहब ने जानकारी दी थी कि 11 नाम हमने भेज दिए हैं किन्तु उस लिस्ट में उस गांव का नाम ही नहीं है, तो इलाज क्या है ?

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही का समय सदन की अनुमति से पन्द्रह मिनिट और बढ़ाया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति जी, अभी माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठायी और पहले भी कई माननीय सदस्यों ने आपत्तियां उठायीं, कई बार ट्रान्सफोर्मर के पास ही खेत होने पर वहां पर बिजली पहुंचने की हालत में भी यह कहा जाता है कि रेवेन्यू विलेज है, ट्रान्सफार्मर स्थिति है वह एक्स विलेज है और खेत में पानी ले जाना चाहता है वह वाई विलेज है, रेवेन्यू विलेज है उसको कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ने फैसला दे दिया है और सदन की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि यह रेस्ट्रिक्शन समाप्त कर दिया गया है।

इस तरह से पहले जो यह समस्या थी कि एक ज्युरिस्डिक्शन से दूसरे ज्युरिस्डिक्शन को समस्या को हल करने से यह आयन्दा समस्या नहीं रहेगी।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बिल 15 तारीख को आता है, 13 तारीख को मयाद खत्म हो जाती है और फिर डिस्कनेक्शन हो जाता है और इससे कन्ज्यूमर्स को बड़ी परेशानी होती है। इस समस्या को हल करने की दृष्टि से भी यह तय किया गया है कि डिस्कनेक्शन कब हो ? जैसे इस महीने का बिल ड्यू होकर जाता है...

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभापति महोदय, बीच में बोलने की आवश्यकता इसलिये है कि एक माननीय सदस्य ने..

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि रिश्वत खाते हैं। माननीय मंत्री उस पोइन्ट को छोड़कर दूसरी बात कहने लगे हैं..

श्री सभापति : आप सुनिये।

श्री लादूराम सुलानिया : उसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं ? जब उधर के माननीय सदस्य भी यह कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला रिश्वत खाते हैं तो उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं मंत्री महोदय उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां : वह बात बता देंगे तो हम छोड़ देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : हमारा राइट है माननीय सभापति महोदय...

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.) : माननीय सभापति महोदय, माननीय गोकुल चन्दजी ने जो प्रश्न रखा है वही हम भी रखना चाहते है।

(व्यवधान) (शोरगुल लगातार)

हरिजनों को बिजली देना चाहते हैं या नहीं किस प्रकार बिजली देना चाहते हैं ?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय मंत्रीजी।

Page No 120

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जैसा कह रहा था पेमेंट वाली बात आती है कई बार डिस्कनेक्शन हो जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : पेनेल्टी देंगे। जमा नहीं करायेंगे तो। गोकुलचन्द जी ने जो आरोप लगाये हैं क्या वे सही हैं कि इन्जीनियर्स रिश्वत खाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : हरिजनों को आप कब बिजली देंगे आप बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि माननीय सदस्य अधिक सुनने में दिलचस्पी न लेते हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो क्वश्चन रखा है और डिबेट की है उन हरिजन मोहल्लों को बिजली मिलनी चाहिये उसका उत्तर भी न दें। और आप उदारता भी बरतते जा रहे हैं और उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। उन हरिजन मोहल्लों को बिजली देने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

(शोरगुल) (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यादव जी के कहने से तो कह दें।

श्री दौलतराम सारण : यादव जी कान में कह रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह : यादवजी ने क्या कहा कान में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्कनेक्शन के लिए जो फैसला किया है उसके लिये निवेदन करना चाहता था कि पहले डिफाल्ट का कोई डिस्कनेशन नहीं होगा और नेक्स्ट डिफाल्ट के लिये होगा। उसके लिये एक महीने की अवधि मिल जावेगी।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो मंत्री महोदय बहरे हैं या वे सुनते नहीं है। हम दस दफा कह चुके हैं...

श्री सभापति : आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, बैठिये।

श्री लादूराम सुलानिया : हमें उस बात का उत्तर चाहिये। क्या उन्होंने घोषणा की ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(शोरगुल)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय, उत्तर दे रहे हैं जब तक वे समाप्त न कर दें अपना भाषण तब तक उनको बीच में डिस्टर्ब न किया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : मंत्री जी ने घोषणा की है। उनको कार्य रूप में कैसे परिणत करेंगे वह हम सुनना चाहते हैं। उनके (श्री मोदी) मार्गदर्शन पर नहीं चलने वाले हैं। आप जैसे बहुत देखे हैं।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल मोदी : आप जैसे भी बहुत देखे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं बोलने देंगे मंत्रीजी को! आप क्या करेंगे? झूंठी जबरदस्ती घोषणा करते हो और असेम्बली को धोखे में रखना चाहते हो और हमको दबाव में रखना चाहते हो। नहीं बोलने देंगे।

(लगातार शोरगुल) (व्यवधान)

नहीं सुनना चाहते हैं। आप यह बताइये कि किस प्रकार आप अपनी घोषणा को कार्य रूप में परिणत करना चाहते हो? मंत्री जी से यह जावाब लेना चाहते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। माननोय सदस्य।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम मंत्री जी से यह सुनना चाहते हैं...

श्री सभापति : यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कार्य रूप में किस प्रकार परिणत करना चाहते हैं, उसके लिये क्या योजना है यह हम सुनना चाहते हैं मंत्रीजी से। वरना हम यह कहते हैं कि यह उनकी योजना झूंठी है, निरर्थक है और केवल एडवरटाइजमेंट मात्र है और इस प्रकार की निरर्थक घोषणा को असेम्बली में हम नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी समझ में नहीं आया एक छोटी सी बात है...

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपके लिए छोटी सी बात है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप बीच में मत बोलो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप दें जवाब।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपके लिये छोटी सी बात है। वे इसको छोटीसी बात कहते हैं।

(शोरगुल)

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं उसको तो सुनिये आपके पोइन्ट को कह रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके फायदे की बात कह रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे।

(लगातार शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप झूंठी बातें कहते हैं आपके जो वादे हैं वे झूठे हैं और लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं। उसके बाद आप फिर धमकाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : प्रोन ए पोइण्ट प्राफ प्रार्डर सर, ऐसा है सभापति महोदय, सदन में जो मांग उठती है उनका जवाब देने का आपका फर्ज है और सरकार को चाहिये कि उनका सही उत्तर दे जिससे सदस्यों को सन्तोष हो सके। आपने जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य है लेकिन इसके बावजूद हम यह महसूस करते हैं कि जिन बस्तियों के लोग अपने यहां बिजली लगाने के लिये विद्युत् बोर्ड को आवेदन देंगे उसके आधार पर आप तीन प्रतिशत कनेक्शन्स हरिजन मौहल्लों को देंगे। कच्ची बस्तियों का जहां तक ताल्लुक है उनमें फिटिंग नहीं हो सकती इस बिना पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कह देगा कि हम इस प्रकार कच्ची बस्तियों में कनेक्शन्स नहीं दे सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां कच्ची बस्तियों का सवाल है झोपड़ियों का सवाल है वहां सरकार को पचास घरों के बीच में एक पोल बिजली का देना चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो ऐसी बस्तियों के निवासियों को राहत मिल सकती है और आपका इस प्रकार का कदम स्वागत योग्य होगा लेकिन इस प्रकार की चीजें डोमेस्टिक परपज के लिये संभव नहीं हैं कच्चे मकान या झोंपड़े हैं उनके लिये आप इतनी सी व्यवस्था कर दीजिये पचास घरों पर एक खम्भा लगा देंगे और एक बिजली का बल्ब लगा देंगे क्या इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तैयार है यदि ऐसा कर सकते हैं तो काफी सन्तोष हो जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, पहले मैंने जो कुछ निवेदन किया जैसो कि हमारी योजना है जनरल मोहल्लों को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिये जो क्राइटेरिया है पन्द्रह परसेण्ट जिन लोकेलिटीज में लाइट दी जायगी इन लोकेलिटीज में इन मोहल्लों में इस क्राइटेरिया को दस की बजाय तीन प्रतिशत कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रीटलाइट्स उन इलाकों में दी जा सकती है कि जहां घरों में लाइट लेने वाले पांच दस आदमी हो जायं, पांच दस कनेक्शन हो जायें तो वहां से तीन परसेण्ट का रिटर्न आ सकता है। जिस तरह से दूसरी जगहों पर दस परसेण्ट है यहां के लिये तीन परसेन्ट किया यही मैंने घोषणा की थी और यही मैं निवेदन कर रहा था।

श्री जयनारायण सालोदिया : इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपकी घोषणा केवल मात्र एडवरटाइजमेण्ट है।

श्री लादूराम मुलानिया : इससे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा यह आपकी थोथी घोषणायें हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : समाज कल्याण विभाग की तरफ से घोषणा की गई इस गांधी शताब्दी वर्ष में केवल हरिजनों, आदिवासियों में ही जमीनें बांटेंगे लेकिन इस गान्धी शताब्दी वर्ष में एक बीघा भी जमीन हरिजनों को नहीं मिली ये आपकी घोषणायें बेकार हैं केवल इस गरीब तबके को भुलावे में डालने वाली हैं।

श्री सभापति : पहले मंत्री महोदय अपनी बात कह दें उसके बाद आप पूछ लीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीसरी बात यह कही गई थी बहुत सारी दरख्वास्तें पेन्डिंग रहती हैं, प्रायोरिटीज में पक्षपात

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
होता है और इनका डिसपोजल बहुत देरी से होता है इसलिये भी लोगों को कनेक्शन मिलने में देरी होती है। मैंने यह मालूम किया है 31-3-70 तक कितनी एप्लीकेशनें पेण्डिग हैं मुझे बताया गया कि करीब दस हजार एप्लीकेशनें पेण्डिग हैं · ·

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय 15 मिनिट और बढ़ाया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस प्रकार के फालतू जवाब देने से क्या मतलब है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस बारह हजार दरख्वास्तें भिन्न भिन्न सर्कल्स में और डिवीजनों में पेण्डिग हैं। मैंने इस संबन्ध में बातचीत की है इनका फैसला जल्दी से जल्दी किस प्रकार से हो ताकि लोगों को सुविधा हो और पेण्डिग एप्लीकेशनों का डिसपोजल हो सके। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं 31-3-70 तक की जितनी भी पेण्डिग दरख्वास्ते हैं जो सब की सब टेकनिकली फिजीबल हैं सब को 31-3-71 तक निपटा देंगे। जो एप्लीकेशनें टेक्निकली फिजीबल होंगी उनको हम 31-3-71 तक निपटा देंगे यह हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा यह निवेदन है कि जिन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये और वे टाइम बार हो गये उनका जो अमाउन्ट जमा था वह लेप्स हो गया क्या आपका यह विभाग गरीब मजदूरों का जो पांच-पांच रुपया जमा किया जाता है इस तरह से आपके विभाग में हजारों रुपया लोगों का जमा है उनको क्या रिटर्न करेंगे ? विभाग की गलती के कारण लेप्स हो गया उन रुपयों को क्या विभाग लौटाने की व्यवस्था करेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पेण्डिग एप्लीकेशनें जितनी हैं उनमें से या तो एक्सेप्ट होंगी या रिजेक्ट होंगी। टेक्निकली जो फिजीबल हैं, स्वीकृति के लायक हैं उन सबको 31-3-71 तक स्वीकार कर लिया जायगा। इसके जो कोन्सीक्वेन्शल एक्शन्स होते हैं वे तो ओटोमेटिकली होंगे ही।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे क्षेत्र की करीब एक हजार एप्लीकेशनें हैं वे रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं आउट आफ डेट होने के कारण उनकी फीस रिटर्न नहीं हो सकती। इस तरह से करीब पांच हजार रुपया जमा पड़ा है क्या आप उसको रिटर्न करवायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will look into it कई बार ऐसा होता है कि मिनिमम गारन्टी के पैसे ले लिये जाते हैं एक कुए पर बिजली ले लेते हैं उसके लिए मिनिमम गारण्टी ले ली जाती है इसके बाद भी दो तीन चार कुए और हो जाते हैं उनकी मिनिमम गारण्टी बरकरार रह जाती है। जब कि दूसरे कुओं पर बिजली मिल चुकी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए हम चाहते हैं कि कोई फार्मूला वर्क आउट किया जाय जिससे एक से यदि मिनिमम गारन्टी ले ली जाती है तो सबसीक्वेण्ट जो उसके कनेक्शन्स हैं तो उन पर प्रोपोर्शनेटली बरडन को रिड्यूस किया जाय ताकि वे उसमें शेयर कर सकें और अकेले पर सारा बरडन न पड़े। उससे यह तकलीफ दूर हो सकती है · · · ·

Page No 124

श्री शिवनाथसिंह : क्या इस पोइण्ट पर केबीनेट से डिसीजन हो चुका है : · · · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिस्कशन के बाद तय किया है. Formal approval will be obtained by the Member of the Board, but this has almost been decided. The Board will approve it.

इस बात को व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया: एक तरफ तो मन्त्री महोदय बात कहते हैं।

श्री सभापति : मंत्री जी अपनी बात कह दें उसके बाद आप पूछ लीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया: अलवर के श्री गोकुल प्रसाद जी ने आरोप लगाया था रिश्वत का उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को चाहिए कि जिन बातों का हमने उल्लेख किया है उनका जवाब दें, उधर के माननीय सदस्य श्री गोकुलचन्दजी ने आरोप लगाया था रिश्वत का उसका भी जवाब नहीं मिला। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि हमारे चाकसू के अन्दर जो बिजली दो जाती है वहां का आनन्दीलाल लाइनमेन लोगों से रिश्वतें लेता है और वह कहता है जो रुपये मैं लेता हूं उसका हिस्सा × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य के वाक्य निकाल दिये जायं।

श्री लादूराम सुलानिया : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सदन के दिमाग में बैठने चाहिये।

(5.20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कार्यवाही से निकालने से कोई बड़ा असर पड़ता नहीं है मैं नाम लेकर बता रहा हूं आनन्दीलाल लाइनमैन है वह फी कनेक्शन सो रुपया लेता है और वह कहता है यह रुपया × × ×

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्य की बहुत इज्जत करता हूं और ज्यादा इस बारे में कहना भी नहीं चाहता। मैं तो दो बार रोज से ही इस विभाग में आया हूं और तब भी माननीय सदस्य मुझे पूछ रहे हैं कि आप का इस रिश्वत में लाइनमेन की रिश्वत में हाथ है। मुझे तो केवल आप पर रहम ही आता है। और तो क्या कह सकता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं यह नहीं जानता कि उस वक्त कौन मन्त्री था। आप उनसे जानकारी कर लीजिये जो उस वक्त थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो और बहुत बातें कहना चाहता था पर माननीय सदस्य ऐसा लगता है, सुनने के मूड में ही नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मूड में है आप कहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिमिट मेक्सिमम प्रेस्क्राइब करने के लिए राज्य सरकार

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
की ओर से प्रस्ताव रखा है इसका अनुमोदन किया जावे। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया: राजस्थान के मन्त्री-मण्डल ने यह ते किया था कि कोटा जिले की तहसील किशनगढ़, शाहबाद और दीगोद, पीपलदा इनमें हैडक्वार्टर पर बिजली पहुंचा दी जावेगी। यह शाहबाद, किशनगढ़ शिड्यूल्ड कास्ट क्षेत्र है। उनको ऊपर उठाने के लिए उनको बिजली मिलना जरूरी है। तो यह बिजली उन तक कब तक पहुंचा दी जावेगी। इस बारे में आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया, एक बात।

दूसरी बात, इस विभाग में लाखों-करोड़ों की खरीद होती है। मैंने उदाहरण भी दिया था जैसे एक अस्सी, नब्बे लाख का ट्रान्सफोर्मर की खरीद में भयंकर घोटाला है। क्या यह उस समय खरीद कर ली गई। किस कन्सर्न से, किस कम्पनी से ली गई थी और किस किस कम्पनी को ऑर्डर दिया, इस बारे में कुछ नहीं बताया।

इसी तरह अनेकों मुद्दे हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण करना चाहिए था पर आप उनको नजरअन्दाज कर के चलना चाहते हैं तो इस पर से मैं यह मानकर चलता हूं कि आप इन सारे आरोपों को स्वीकार करते हैं, सही मानते हैं और इस कारण इनका कोई स्पष्टीकरण आपके पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: एक बात। बोर्ड के रिकन्स्ट्रक्शन के सिलसिले में क्या यह सही है कि वर्तमानों में एक सदस्य है कांग्रेस के श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत जिन पर 420 के अन्दर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। ऐसे आदमी को जिस पर 420 में मुकदमा चल रहा है, बोर्ड का सदस्य रखना क्या आप उचित समझते हैं। नहीं तो इतनी रेस्पोन्सिबल बॉडी में ऐसे आदमियों को मेम्बर न रखकर इसका रिकन्स्ट्रक्शन करने का इरादा रखते हैं?

क्या यह भी सही है कि इस बोर्ड के एक सीनियर मोस्ट मेम्बर, चेयरमेन हैं, जिनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, उनके खिलाफ इस समय ढाई लाख की रिश्वत का मामला सी. बी. आई. की जांच में चल रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: Both are not in my notice.

श्री दौलतराम सारण: दो-तीन इन्फोर्मेशन चाहता हूं।

श्री बिरदाराम (जालोर सु.): हरिजनों के मोहल्लों में बिजली जावेगी या नहीं। बाहर गांवों में चालीस पचास घर हैं पर एक भी कनेक्शन लेने वाला नहीं है, तो क्या वहां ऐसे ही रहेगा, वहां उजाला नहीं होगा। महलों में ही होगा?

सरकार की नीति है कि हरिजनों के मोहल्लों में बिजली जावे। तो दस-पन्द्रह घर जहां है वहां आपने एक को भी नहीं दी। यह सरकार घोषणा कर दे तब तो सही है, नहीं तो पिछड़े तबके लोग यही समझेंगे कि सरकार कहती है, करती नहीं। गरीबों को बिजली नहीं देगी। पिछड़े वर्ग हैं उनके और गरीब काश्तकार हैं उनके बिजली जानी चाहिये। साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि हमारे

(श्री बिरदाराम)
बालौर जिले के विशेष कर उदयपुर से सिरोही····

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है।

श्री बिरदाराम : मजदूर वैली है। बोर्ड से तै हो गया है। भीनमाल से सांचोर रानीवाड़ा, डूंगराज रुणिवा में भी जानी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लडढा : भीनमाल में दो महीनों में 24 घण्टे बिजली चलेगी।

श्री दौलतराम सारण : बहस के समय भी जिक्र आया और कई बार पहले भी जिक्र आ चुका है कि 25 मेगावाट बिजली भाखरा से खाद कारखाने के लिए रिजर्व हुई थी उसके बाद में डी. सी. एम. को 35 मेगावाट का खुद का प्लान्ट लगाकर उत्पादन का लाईसैन्स दे दिया गया था। इस वजह से 3॥ पैसा प्रति यूनिट जो बिजली मिलती थी उनको छः सात पैसा चार्ज करते तो इससे राजस्थान को 90 लाख के आसपास वार्षिक घाटा हुआ, क्या यह सही है ?

क्या यह भी सही है कि उसी डी. सी. एम. को राणा प्रतापसागर से 1 हजार यूनिट तीन पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से दे दी गई है, फिर से ?

एक यह जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ट्रान्समिशन लोसेज राजस्थान से अधिक होते हैं तो हम यह नहीं समझ सके कि ट्रान्समिशन लोसेज कुल कितना है ? और उसके कारणों में मेटीरियल के डिफेक्ट की वजह से लोसेज अधिक होता है या और इसके लिए अलग से कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं और ट्रान्समिशन लोसेज का प्रतिशत क्या रहा है ?

इसके अलावा यह जानना चाहते हैं कि राजस्थान में सरप्लस बिजली कितनी है व इसके उपयोग के लिए क्या योजना है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने वाद-विवाद के समय कई मुद्दे उठाये थे। जितने अपोइन्टमेंट डेपुटेशन पर पड़े हैं उनकी लिस्ट तैयार नहीं हुई। इसका जवाब नहीं दिया।

दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दो ग्रुप चल रहे हैं, इससे सारा काम सफर कर रहा है।

तीसरा, पर्चेजेज के बारे में था। आडमा मशीन जो खरीदी गई थी उसका कन्सट्रक्शन डिफेक्टिव है। इसके परचेजेज में बंगलिंग हुआ। घोटाले हुए हैं। लाखों रुपया जहां इन्वाल्व्ड है उन सारे मसलों के बारे में नहीं स्पेसिफिक केस उठाया था। ट्रान्समिशन के केस उठाये थे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, उनका ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इण्डस्ट्रियलिस्ट हैं। खास कर डी. सी. एम. वाले हैं, जयपुर उद्योग है सवाल उठाये थे मैंने इनके बारे में, एरियर इनमें काफी बाकी है। इन्होंने एक्ट का वायोलेशन किया है। पर आपने आज तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। आपने इसका भी जवाब दिया। आप मौन हैं। इससे लगता है। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस संकल्प के पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री शिवनारायसिंह (गुढ़ा) : एडवांस की स्कीम चालू की है। इस एडवांस को लेकर इसमें मैंने ऐतराज किये हैं। एडवांस देकर कनेक्शन लेता है तो एक ग्रार्डिनेरी किसान महरूम रह जाता है। उसके पास तो खाने का भी साधन नहीं; तो एडवांस कहां से देगा ? इसलिए क्या यह आप नहीं सोचते कि इस एडवांस का अलग से एक बजट अलाट किया जावे !

दूसरी बात, बोर्ड के रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में सरकार क्या इरादा रखती है ? यह भी पूछा था। क्या सरकार नान-आफीशियल का बोर्ड बनाने का इरादा रखती है ? नान आफीशियल होंगे तो वे पब्लिक की ज्यादा सेवा कर सकेंगे। तीसरे जैसे मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने कहा बोर्ड की कितनी रकम बकाया है ? उसके लिये बोर्ड क्या कर रहा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैंने दो सवाल पूछे थे। एक तो भीनमाल में हाइडल लाइन कब आयगी, और सांचोर में 24 घंटे बिजली कब मिलेगी ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि भीनमाल में हाइडल लाइन कब आयगी उसके बारे में मैंने कहा करीब दो महीने बाद हो पायेगी और सांचोर में 24 घंटे बिजली कब मिल सकेगी इसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है। इसकी मैं जानकारी करूंगा ।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था और चाहता भी था मैं उनका जवाब देता अब दुबारा उठाये हैं तो मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं जिस समय मिस्टर खुराना चेयरमैन थे इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के उस समय की परचेजेज को लेकर कुछ बातें कही गई हैं जिसमें खास तौर से मशीन का जिक्र किया गया है कि 20 लाख की कोई मशीन खरीद ली और मशीन काम में नहीं आती है और उसमें घोटाला किया गया है, कोई टेन्डर नहीं लिये गये, अवैधानिकता की गई है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो जानकारी की है उसके आधार पर जो तथ्य सामने रखे हैं वह भिन्न हैं। वास्तविकता और है । 20 लाख की कोई मशीन नहीं खरीदी गई है, केवल 10 लाख की बात है जिसमें ढाई लाख का आर्डर दिया गया है और ढाई लाख का आर्डर भी डी. जी. एस. डी. रेट्स पर है विच इज टैन परसेन्ट बिलो। यह ढाई लाख की मशीन काम कर रही है। इसकी सक्सेसफुली काम करने की रिपोर्ट बोर्ड के पास आ चुकी है इसलिये न तो रकम ज्यादा है और न ऐसी कोई चीज खरीदी गई है जो काम में नहीं आती है। जो आपने सदन में कहा इस पर बोर्ड का एप्रूवल भी मौजूद है। बोर्ड का एप्रूवल बारहवीं मीटिंग में दिनांक 5-7-70 का मौजूद है। मैं नहीं समझता इसमें कोई अवैधानिकता बरती गई है इसलिये आगे किसी कार्यवाही की जरूरत हो ।

उन्होंने नेक नीयती से बोर्ड के इन्टरेस्ट में काम किया है इसलिये मैं गलती नहीं मानता। दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
वहां के डी. सी. एम. के नीचे से एक अन्डरग्राउन्ड वायर ले जाने की कोशिश करने का उठाया कि अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं। इस बात के लिये शिकायतें मिली है और शिकायतों की जानकारी की गई है। उसके बाद हर महीने रिपोर्ट आती है और लेटेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है, उसके आधार पर जितना हम सप्लाई कर रहे हैं और जितने का पैसा चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा का जो कंजम्पशन है वह उन्हीं के शेयर से है। वे अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और पैसा नहीं देते हैं; यह गलत है। यह जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उससे भी यह प्रमाणित हुई है कि इस बात में सत्यता नहीं पाई जाती है। यह हमारी एन्क्वायरी के आधार पर है। हर महीने रिपोर्ट आती है इसलिए कहीं गलती हो और हर अधिकारी किसी से मिल जाय यह बात नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स जाते हैं, ऐसी बात होना सम्भव नहीं है इसलिए मैंने स्पष्ट निवेदन किया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एरियर्स।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक आप लोगों ने बात कही, माननीय सदस्यों ने बात कही कि बहुत सारी सर्विसेज में कन्फरमेशन नहीं सीनियेरिटी लिस्ट डिसाइड नहीं हुई। अभी बोर्ड ने सर्विस रूल्स अडोप्ट किये या नहीं किये, गवर्नमेंट के पास इनके प्रपोजल्स विचाराधीन हैं। सीनियेरिटी, फिक्सेशन के अन्दर एक दूसरे के झगड़े होने से रिप्रजन्टेशन करते हैं, उनके फैसले भी करने पड़ते हैं इसलिये सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। मैं कोशिश करूंगा इस मामले को जल्दी निपटाया जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जयपुर उद्योग ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जयपुर उद्योग के बारे में मैंने जानकारी की, आपकी शिकायत में सत्यता नहीं है। ऐसा कहा गया है। जो जानकारी मैंने की, वह मैंने रख दी। मैं डिटेल्स में जो नोलेज है, जो जानकारी है वह मुझे बतायेंगे तो मैं निश्चय ही उसकी जानकारी करने की कोशिश करूंगा और जहां कहीं गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : 25 मेगावाट ·

श्री देवीदत्त गाडिया : गैस टरबाईन...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह का कोई डिसिजन हुआ तहसील हैड क्वार्टर्स को बिजली से जोड़ा जाय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स ही नहीं, 52 पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स ऐसे हैं जो बिजली से जुड़े हुये नहीं हैं और इन 52 पंचायत समितियों में भी 38 ऐसी पंचायत समितियां हैं जो तहसील हैडक्वार्टर्स हैं लेकिन बिजली से जुड़े हुये नहीं है। हम अगर यह चाहें एक तरफ से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के जरिये कुओं पर अधिक से अधिक बिजली पहुँचावें और दूसरी तरफ यह चाहें कि हर तहसील हैडक्वार्टर्स बिजली से जुड़

Page No 129

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जायं तो एक साल में जुड़ जायं यह सम्भव नहीं है। हम 52 पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स को जोड़ना चाहते हैं तो नहीं जोड़ सकते हैं। इसको हम चाहते हैं तो एक फेज प्रोग्राम के जरिये ही कर सकते हैं दूसरी फिजीबिलिटी और प्रोग्राम के जरिये नहीं हो सकती है। फेज प्रोग्राम द्वारा ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। फेज प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और उस फेज प्रोग्राम के जरिये ही धीरे धीरे यह लिन्क बैठ सकता हैं जहां हम पावर चाहते हैं चाहे वह तहसील हैड क्वार्टर हो और चाहे पंचायत समिति हैड क्वार्टर हो और जहां पर साइमलटेनियसली पानी की सुविधा हो ऐसी जगह को हम प्राथमिकता दें ताकि यह काम हो सके।

जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने पूछे और जो कुछ मैंने जानकारी की वह मैंने देने की कोशिश की। मुझे इस बात को मानने में कतई ऐतराज नहीं है बहुत सारी चीजों की जानकारी तत्काल नहीं हो पाई क्योंकि इस विभाग को सम्भाले मुझे ज्यादा दिन नहीं हुये हैं। इस विभाग का बैकग्राऊन्ड थोड़ा अर्सा होने से मालूम भी नहीं है इसलिये बहुत सारे मामलों में मैं माननीय सदस्यों को सेटिसफाई नहीं कर सका हूं लेकिन सदन के सामने जो विचार प्रस्तुत किये गये हैं, उन विचारों की स्प्रिट में जो कुछ बोर्ड से जानकारी प्राप्त हुई है वह मैंने आपके सामने रखी है। इन समस्याओं के लिये भी मैंने बोर्ड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है और भी आगे बात करूंगा उसके हल करने की कोशिश करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : पांच करोड़ की बात की आपको जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय एक बात बता दीजिये····

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें पूछी हैं····

श्री लादूराम सुलानिया : एक बात उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया हमने पंचायत समिति फागी से एक लाख रुपया बोर्ड को देने की मंजूरी ली है। क्या फागी को इस वर्ष बिजली दे देंगे ?

श्री खेतसिंह (उपमंत्री) : पैसे जमा नहीं कराये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं मालूम करूंगा कि आपकी पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार एक लाख रुपया पर्टीकुलर नम्बर आफ विलेजेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खजाने में जमा करा दिया है या नहीं ? अगर करा दिया है तो उस पर बोर्ड ने कार्यवाही क्यों नहीं की, इसको मैं जानकारी करूंगा और यदि रुपया जमा हो गया है तो जो काम है उसको हम कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : हमने प्रस्ताव भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज।

श्री लादूराम सुलानियां : यह स्वीकार कर लें और हम रुपया दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर मंत्री महोदय, से अलग से बात कर लें।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, उपाध्यक्ष महोदय। केवल 5 करोड़ के घाटे का सवाल है····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, ट्रान्समिशन लोसेज की चीज को माननीय सदस्य पूछते हैं कि कैसे हुए···

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान में अभी होता है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्योंकि पावर जनरेशन के स्थान और पावर डिलीवरी के स्थान में डिस्टेन्स ज्यादा है इसलिए दूसरे प्रान्तों के मुकाबले अपने यहां जनरली ट्रान्समिशन लासेस ज्यादा होते हैं—यह बात मैंने कही थी। आप पूछें कि कितने लासेस हुए और कितने होते हैं तो यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं कि जो अभी मैं आपको बताऊं मैंने कहा था कि वहां के मुकाबले अपने यहां ट्रान्समिशन लासेस ज्यादा होते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह कम करने की कोशिश करें।

श्री दौलतराम सारण : मेरे ध्यान में यह बात आई है कि मेटीरियल डिफेक्टिव होने की वजह से लासेस ज्यादा हो रहे हैं। आज तक कोई भी टेक्नीकल चैकिंग नहीं हुई है कि लासेस होने के क्या कारण हैं और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो चोरियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं तो खराब मेटीरियल होने की वजह से लासेस होते हैं और वह सब लासेस के अन्दर इन्क्लूड कर लिया जाता है और सब कामों को छुट्टी मिल जाती है और मैंने 25 मेगावाट और एक हजार यूनिट वाली बात रखी थी उसका भी जवाब दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रश्न अभी उठाया है उसका जवाब अभी ही दिया जाये।

श्री दौलतराम सारण : 25 मेगावाट का प्रश्न एक बार नहीं अनेकों बार आया है और चेलेन्ज के साथ आया है। 5 करोड़ रुपये के लासेस का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि यह सदन विद्युत (रसद) अधिनियम, 1948 की धारा 65 (3) के अधीन मण्डल द्वारा 26 फरवरी, 1970 के पश्चात् किसी भी समय ऋण लेने की अधिकतम राशि को उच्चतर करके 50 करोड़ रुपये निश्चित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ?

(स्वीकृत)

(प्रस्ताव स्वीकार किया गया)

सदन की कार्यवाही दिनांक 9 नवम्बर, 1970 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5 बजकर 44 मिनट पर 9 नवम्बर, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No 131

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 30 की सूची)

APPENDIX

POSTS AS PER SANCTIONED BUDGET UNDER REGULAR ESTT. OF P. W. D., (B&R), DEPARTMENT AS ON 31-3-1970 AND ALSO ON 30-6-70.

OFFICERS.	
Chief Engineer-1, Addl. Chief Engineer-1, Dy. Chief Engineer-1, Accounts Officers-3, Executive Engineers-30, Asstt. Engineers-108, Geologist-1, Asstt. Architect-1, Adm. Assistant-1, Personnel Officer-1, L. W. O.-1, Supdtg. Engineer-6, Asstt. Accounts Officer-1, Land Acquisition Officers-6.	162
NON-GAZETTED.	
Engineering Subordinates.	471
Other Subordinates.	255
Ministerial.	1138
Class IVth Servants.	474
Grand Total....	2500

Page No 132

सूची (क)

POSTS SANCTIONED FOR EXECUTION OF FAMINE WORKS.

	Posts sanctioned	Posts abolished from 1-10-70	Posts retained after 1-10-70.
OFFICERS.			
Supdtg. Engineer.	1	—	1
Executive Engineer.	11	6	5
Assistant Engineers.	86	65	21
Asstt. Accounts Officer.	1	—	1
NON-GAZETED			
Engineering Subordinates.	+ 448	381	67
Other Subordinates.	2	—	2
Ministerial	267	180	87
Class IV.	122	84	38
	938	716	222

* Only 410 posts filled up.

HEAQUARTERS OF THE SUPDTG. ENGINEER AND EXECUTIVE ENGINEERS FAMINE CONTINUED BEYOND 1-10-70

1 Supdtg. Engineer.	Headquarter at Jodhpur.
5 Executive Engineers.	Headquarter at Jodhpur, Jalore Churu, Nagaur and Udaipur

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 31 की सूची)

जिला जालोर में दिनांक 1-10-70 को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत विचाराधीन मामलों की सूची:–

क्रमांक	नाम तहसील	विचाराधीन मामलों की संख्या
1	जालोर	491
2	आहोर	497
3	भीनमाल	470
4	सांचोर	389
	कुल	1847

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पेय जल की व्यवस्था

35. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के 26 जिलों में कितने ऐसे गांव हैं, जिनमें मनुष्य और मवेशी के पीने के लायक मीठा पानी नहीं है ? क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाई है ?

(2) यदि हां, तो कृपया उस सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सारे पानी वाले गांवों को पीने के लिए मीठा पानी दिये जाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

(4) यदि हां, तो कृपया उस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) यदि योजना नहीं बनाई है तो क्यों ?

(6) कितने समय में समूचे राजस्थान से पीने के पानी के अभाव को दूर कर दिया जावेगा ?

(7) पिछले भयंकर अकाल से मुकाबला करते समय सरकार ने यह नहीं सोचा कि राजस्थान में पीने के पानी की कितनी भयंकर समस्या है ?

(8) इस समस्या के समाधान पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और क्या वह धनराशि राज्य सरकार जुटा सकेगी ?

(9) यदि नहीं तो क्या भारत सरकार से पानी के समाधान के लिये प्लान द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है ?

(10) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(11) क्या पिछले अकाल के पश्चात् सरकार ने पीने के पानी की नई योजना भी तैयार की है ?

(स्थगित किया गया)

मेड़ता तहसील में भूमि का एलाटमेंट

36. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता तहसील में शिड्यूल कास्ट के लोगों को भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में किन किन व्यक्तियों को कितनी भूमि एलाट हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस समय भी मेड़ता तहसील के कई गांवों में भूमि अलोट नहीं की गई है एवं प्रार्थना-पत्र दिये हुए हैं ? कृपया इन गांवों की सूची व प्रार्थना-पत्रों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रार्थना-पत्र वालों को शीघ्र ही भूमि एलाट करवाने के लिये प्रयत्नशील है ?

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, सूची संख्या 1 संलग्न है।

(2) जी हां, सूची संख्या 2 संलग्न है। सूची संख्या 2 में अंकित गांवों के कुल 650 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(3) जी हां, जहां जहां भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है वहां पर प्रार्थियों को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचोर जल प्रदाय योजना

37. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर जल प्रदाय योजना का कार्य अभी तक अधूरा है? अगर हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर जल प्रदाय योजना का नलकूप खराब हो गया है परन्तु उसका दुबारा विकास अब तक नहीं कराया गया है? अगर हां, तो नलकूप कब से खराब है? अब वह नलकूप कब तक विकसित करा दिया जावेगा?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जल प्रदाय योजना अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत सांचोर को सुपुर्द की हुई है? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त योजना के विभाग के अन्तर्गत लेने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे हैं? अगर हां, तो कब कब? अब उपरोक्त योजना विभाग के अन्तर्गत कब तक ले ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां, जी हां, यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही है। अतः नलकूप के पुनः विकास का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत का ही है।

(3) जी नहीं, योजना स्थाई रूप से ग्राम पंचायत को सुपुर्द की हुई है। जी हां, प्रथम बार दिनाक 20-2-69 एवं दूसरी बार दि. 8-3-69 को। पंचायत द्वारा जिलाधीश से प्रभावित कराकर यह सर्टीफिकेट देने पर कि योजना का सारा व्यय पंचायत देने को तैयार है व जिसको मौजूदा हालत में रिपेयर व चलाने का खर्चा देने पर।

बिगोडी की वसूली

38. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था कि जिन जिलों में तीन वर्ष से अधिक समय से लगातार अकाल पड रहा है उन जिलों में किसानों से बीगोडी वसूल नहीं की जावेगी? अगर हां, तो जैसलमेर जिले में आज तक वसूली रोकने के आदेश नहीं देने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि आज तक पटवारी लोग वसूली कर रहे हैं जिससे

(श्री बालसिंह सोढा)

किसान बड़े परेशान हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार कब तक इस पर निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) जिन क्षेत्रों में तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है वहां वसूली की प्रक्रिया संलग्न परिपत्र द्वारा निर्धारित की गई थी यह पूरे राज्य के लिये लागू किया गया है। जैसलमेर में अकाल के कारण दिनांक 30-9-70 तक वसूली स्थगित थी।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

/ गेंगहट के निर्माण पर व्यय

39. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील गोगुन्दा के ग्राम सायरा में एक गेंग हट बनायी गयी है ? यदि हां, तो इस गेंग हट के बनाने में कुल कितना खर्च हुआ तथा वह रकम किस मद से खर्च की गई ?

(2) क्या यह गेंग हट रेस्ट हाउस के आकार की है ?

(3) इस गेंग हट में कौन कौन ठहरने के अधिकारी हैं ?

(4) क्या गेंग हट में राज्य के मन्त्री लोग भी ठहरते हैं।

उत्तर

(1) जी हां। 12,837 रु. व्यय हुआ है। यह धनराशि 50 सार्वजनिक रिपेयर्स मद से खर्च की गई है।

(2) यह रेस्ट हाउस के मन्जूर शुदा नक्शे अनुसार नहीं है।

(3) निरीक्षण हेतु आने वाले सभी ठहरते हैं।

(4) निरीक्षण हेतु आने वाले मन्त्री भी ठहरते हैं।

/ ग्राम बोरदिया में भूमि का आवंटन

40. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील के पटवार सर्कल निनोर के गांव बोरदिया व पंचेश की सरहद को मध्य प्रदेश की जावरा तहसील, जिला रतलाम के गांव चन्दावता के नक्शे में मध्य प्रदेश के शासन ने ले ली है व उस जमीन को चन्दावता वालों को जावरा तहसील ने एलाट कर दी है व प्रतापगढ़ तहसील ने भी बोरदिया ग्राम के भूमिहीनों को एलाट कर दी है जिसने दोनों गांवों के किसान लड़ रहे हैं ? यदि हां, तो यह मामला कब से चल रहा है ?

(2) इस समस्या के हल के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि प्रतापगढ़ तहसील के पटवार सर्कल निनोर के ग्राम बोरदिया

Page No 137

(राजस्व मन्त्री)

तथा पंचेवा की सरहद को मध्य प्रदेश की जावरा तहसील जिला रतलाम के ग्राम चन्दावता के नक्शे में मध्य प्रदेश के शासन ने ले ली है। क्योंकि ग्राम बोरदिया तथा पंचेवा के बन्दोबस्ती नक्शों में सीमा लाइनें पुख्ता होकर कब्जा राजस्थान सरकार का है। कोई जमीन मध्य प्रदेश शासन ने नहीं ली है ऐसी अवस्था में जावरा तहसील द्वारा आवंटन करने की संभावना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अलबता बोरदिया ग्राम के भूमिहीनों को तहसील प्रतापगढ़ द्वारा आवंटन किया गया है। इस आवंटन के पश्चात् बोरदिया के काश्तकारों से कतिपय चन्दावता के काश्तकारों ने सन् 64–65 में झगड़ा किया था किन्तु इस बाबत कोई प्रकरण तहसील प्रतापगढ़ एवं उप-खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ को कार्यालय में दायर नहीं हुआ और न इस वक्त कोई मामला चल रहा है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार जब कोई मामला ही नहीं चल रहा है तो आगे कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ताड़–गुड योजना के अन्तर्गत नियुक्तियां

41. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ताड़-गुड़ उद्योग योजना सरकार ने चालू की थी ? यदि हां, तो योजना कब चालू की गई थी और इसमें कितने लोगों को नियुक्तियां दी गई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने यह योजना खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी ? यदि हां, तो कब और किन किन शर्तों के साथ ? अब इस योजना की क्या स्थिति है ?

(3) सरकार ने जिन कर्मचारियों को ताड़-गुड़ योजना के अन्तर्गत नियुक्ति दी थी उनकी अब क्या स्थिति है ? वे अब कहां पर कार्य कर रहे हैं ? नाम पदों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, यह योजना 1949–50 में चालू की गई थी। यह योजना अब 1956 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को स्थानान्तरित की गई उस समय 33 व्यक्ति थे।

(2) जी हां, तारीख 1–4–56 को। आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

वर्तमान में इस उद्योग में कार्य करने वाली संस्था सहकारी समितियों को खादी ग्रामोद्योग आयोग के पेटर्न के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाकर अन्य उद्योगों की भांति कामगारों को कार्य के लिए सुविधा दी जाती है।

(3) तत्कालीन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(INDUSTRIES & MINES DEPARTMENT)
(INDUSTRIES SECTION)

No. D. 5827/F31 (3)-CI/55. Dated Jaipur 7th June, 56.

From :

The Secretary to the Government.

To

The Commissioner for Industries & State Commercial Undertakings, Rajasthan, Jaipur.
Sub:—Palm Gur Organisation.

I am directed to convey sanction of His Highness the Rajpramukh to the transfer to the Palm Gur Organisation from the supervision and control of the Directorate of Industries & Commerce to that of the Rajasthan Khadi and Village Industries Board, Jaipur with effect from the Ist April, 1956.

Since the Rajasthan Khadi and Village Industries Board is a Statutory Body distinct from the Government, the existing Palm Gur Organisation should be treated as having been wound up, the Department Officers/officials retrenched and dispensed with as under:—

(1) The following Officers/Officials serving in Palm Gur Organisation on deputation from other State departments should, with the exception of Shri H. D. Swami, whose services shall be on deputation to the Board, revert to their parent departments unless the Board may want to retain the services of any of this staff on deputation, in which case leave & Pension contribution, according to Rules, shall be payable by the Board.

S.No.	Name	Designation	Name of the parent deptt.
1.	Shri M. L. Nangia	Head Clerk-cum-Accountant	Director of Ind. & Commerce.
2.	,, Lalita Shanker Dube	Store-keeper	—do—
3.	,, Raghunath Singh	Darist-cum-Typist	Office of the Marketing Officer.
4.	,, Om Prakash Saxena	Senior Instructor	Medical & Health Deptt.

2. The following officials holding seasonal appointments should be retrenched forthwith subject, however, to the condition that the Board may, if it so likes, absorb any of the staff from this category:—

1.	Murli Ram	Tapper Instructor.
2.	Mal Singh	,,
3.	Shiv Prasad Kanu	,,
4.	Dhannalal	,,
5.	Jai Ram	,,
6.	Hari Prasad	,,
7.	Chatur Bhuj	,,
8.	Dhulji	,,
9.	Banshidhar	,,

3. The following officials who hold purely temporary posts with service ranging from one year to six years:—

1.	Shri	K. L. Verma	Senior Instructor.
2.	,,	Kalyan Mal	,,
3.	,,	Chitar [illegible]	,,
4.	,,	Madho Singh	,,
5.	,,	Mal Chand	,,
6.	,,	Roshanlal	,,
7.	,,	Kedar Nath	,,
8.	,,	Ram Gopal	,,
9.	,,	Bhagwat Sahai	,,
10.	,,	Ratanlal	,,
11.	,,	Damodarlal Kutta	,,
12.	,,	Phool Chand	,,
13.	,,	Shri Ramesh Kumar	From Civil Supplies Deptt.
14.	,,	Inder Narain	,, Deptt. C. D. Squad.
15.	,,	Ram Prakash	Tapper Instructor (C.D Squad)
16.	,,	Kalu Ram Verma	,,
17.	,,	Gulab Chandra	,,

as also the following class IV servants.—

1.	Bodu Ram	Peon.
2.	Kishan	,,
3.	Girdhar	Cycle Sawar.

Should be declared surplus for absorption like other surplus staff subject, however, to the condition that the Board may, if it so likes retain the services of any of the staff from this category.

Necessary orders regarding payment of subsidy to the Rajasthan Khadi & Village Industries Board for continuing the implementation of the Palm Gur Scheme in Rajasthan shall be issued on receipt of your recommendation.

By Order,
G. K. BHANOT,
Dy. Secretary to Govt.

No. D. 5827/F 31 (3)-C1/65 Dated Jaipur 7th June, 58.

Copy forwarded for information & necessary action to the:—

1. Finance Department with a spare copy for the Budget section with reference to their No. 593./FIII/Dev.B/55, dated 21-3-56.
2. Medical & Health Department, Raj., Jaipur.
3. Accountant General, Raj., Jaipur.
4. Accountant General Raj., Jodhpur.
5. Secretary, Rajasthan Khadi & Village Ind. Board, Jaipur.
6. Palm Gur Organisation Raj., Jaipur.

Sd/—Dy. Secretary to Govt.

ग्राम बड़ला बासनी में भूमि का आवंटन

42. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बड़ला बासनी (जोधपुर) में 8200 बीघा सरकारी परती भूमि थी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवड़ा जो कि उपरोक्त ग्राम से करीब 1 मील दूर है उसमें अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसान इस भूमि के लिये 1958 से मांग कर रहे थे ?

(3) क्या इन्होंने इसके वास्ते आवेदन पत्र भी जिलाधीश जोधपुर व तहसीलदार ओसियां को दिये थे ?

(4) क्या राजस्व मंत्री ने पत्र. सं. वि. नि. स. रा. म. । 68 दिनांक 3-4-68 द्वारा यह आश्वासन दिया कि उपरोक्त परती भूमि इनको दी जायगी ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि जमीदारों व साधन सम्पन्न लोगों को दे दी गई है ?

(6) अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को आश्वासन देने पर भी यह भूमि न देने के क्या कारण हैं ?

(7) जिन साधन सम्पन्न लोगों को यह भूमि दी गई उसके पास पहले से कितनी भूमि थी ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) जी हां

(3) जी हां

(4) जी हां

(5) जी नहीं, उपरोक्त भूमि में से 430–14 बीघा भूमि इस वर्ष उस गांव के 41 भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित की गई है । इसके अतिरिक्त सन् 1968–69 में उप-जिलाधीश (जागीर) जोधपुर द्वारा 1570 बीघा भूमि नियमानुसार 10 भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त हेतु आवंटन की गई ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं. 27 की सूची)

Expenditure incurred on roads in progress upto October, '70 in Tonk District.

S. No.	Name of road	Expenditure upto Oct.'70
1.	M/R From Banli to Newai Jhirana on Tonk Malpura road.	2,12,540
2.	Const. of M/R from Malpura to Lamba Harisingh road.	3,63,624
3.	B/T of Tonk Deoli road.	6,47,273
4.	B/T of Sanganer Malpura road.	3,50,723
5.	B/T of Tonk S. Madhopur road.	2,73,64
6.	M/R from Todarai Singh to Nagaria (Malcra)	1,55,035
7.	C.D. Works on Dudu Malpura road.	2,13,24
8.	M/R from Uniara to Indergarh via Khatoli.	2 61,518
9.	Repair of Fraser Bridge at mile 55-56 of Jaipur Tonk road across river Banas.	50,327

परिशिष्ट– 5

(अ.प्र. स. 24 की सूची)

सूची (क)

DISTRICT CHITTOR

(Amount in lacs)

S.No.	Name of works.	Provision in 1970-71	Expenditure from 1-4-70 to 30-9-70.
1.	B/T of Bundi-Chittor Road.	0.25	0-62
2.	M/R from Pratapgarh to Dhariawad.	0.10	0.06
3.	M/R from Mangalwar to Dungla.	0.15	0.05
4.	M/R from Pratapgarh to Piploda via Arnod.	0·25	0.17
5.	M/R from Kapasin to Rasmi.	0.20	0.04
6.	M/R from Chittorgarh to Kapasin.	—	—
7.	M/R from Bhadsora to Kapasin.	0.20	0.03
8.	M/R from Nimbahera to Pratapgarh.	0.65	0.95
9.	M/R from Pratapgarh to Banswara.	0.25	0.28
10.	B/T of Udaipur-Chittor Road via Kapasin.	0.25	—
11.	M/R from Gangrar to Rashmi.	0.25	—
12.	M/R from Bari Sadri to Bhoda.	0.10	0.03
13.	M/R from Bhadesar to Hoda.	0.25	0.76
14.	W.B.M. and B/T of road from Nimbahera to Mangalwar.	0.25	0.87
15.	Road from Binota to Jaloda.	0.23	0.23
16.	Road from Bhadesar to Awarimataji.	0.12	0.02
17.	C.D. Works on Bhadosra Mandfia Chikarda Road.	0.25	0.07
18.	M/R from Bhadsora to Chikarda.	0.10	—
19.	M/R from Bassi to Gwalior.	0 25	0.28
20.	Road from Nikum Ka Chauraha on Nimbahera-Mangalwar Road to Nikum.	0.25	0.16
21.	Dabok-Bhatewar-Mangaewar-Bari Sadri Choti-Sadri Neemuch upto Raj. Border (S.H. No. 15).		
	(a) B.T of Chhoti Sadri to Bari Sadri Road.	0.46	—
22.	C.D. Works on Nimbahera-Pratapgarh Road	0.45	1.55
23.	B/T road from Bari Sadri to Dungla (Bari Sadri to Jarkhana Portion).	0.45	—
24.	B/T road from Nikum to Awarimataji.	0.40	—
25.	Improvement of Chittor to Mangalwar Rd.	0.45	—

सूची (ख)

S. No.	Name of Road.	Physical Progress.
(A)	M/R from Bhadesar to Hoda.	Entire length has been constructed.
(B)	Road from Bhadesar to Awari-Mataji.	5 Kms. have been constructed out of total of 6 Kms.
(C)	B/T Road from Nikum Crossing to Awari Mataji.	Only earth work done in 2 Kms. out of total 6 Kms.
(D)	Road from Nikum Ka Chauraha to Nikum.	Metalled road has been completed.

परिशिष्ट 6

(प्र. प्र. सं. 29 की सूची)

भूमिहीन आदिवासी हरिजनों को तहसील उदयपुर वाटी की पंचायत समिति क्षेत्र उदयपुरवाटी में भूमि आवंटन 2 अक्टूबर, 69 से 31 अगस्त, 1970

जिला झुन्झुनू

कुल भूमि जो आवंटन की गई			आवंटित भूमि जिस पर कब्जा दिया जा चुका है			स्टे आर्डर के कारण आवंटित भूमि जिस पर कब्जा नहीं दिया गया।			शेष आवंटित भूमि पर कब्जा दिये जाने के आदेश पटवारियों को दिये जा चुके हैं।		
भूमिहीन परिवार जो लाभान्वित हुए	क्षेत्रफल		परिवारों की संख्या	क्षेत्रफल		परिवारों की संख्या	क्षेत्रफल		परिवारों की संख्या	क्षेत्रफल	
	बीघा	बिस्वा		बीघा	बिस्वा		बीघा	बिस्वा		बीघा	बिस्वा
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
310	1643	17	14	103	11	106	509	7	190	1030	19

Page No 146

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 की सूची)

राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की दफा 15 एवं 19 के तहत दिये गये खातेदारी अधिकारों की जिलेवार सूची

नाम जिला	धारा 15 के तहत खातेदारों की संख्या	धारा 19 के तहत खातेदारों की संख्या
1. अजमेर	33222	12665
2. अलवर	85839	14583
3. बांसवाड़ा	36349	2328
4. बाड़मेर	1439	50
5. भरतपुर	116186	36553
6. भीलवाड़ा	9831	2237
7. चित्तौड़गढ़	7264	2456
8. बूंदी	10261	2196
9. चूरू	47169	15008
10 बीकानेर	14392	2948
11. डूंगरपुर	63117	6768
12. गंगानगर	12299	90
13. जयपुर	12491	27101
14. जैसलमेर	12	218
15. जालोर	1433	1701
16. झालावाड़	5656	3889
17. झुन्झुनूं	2449	38617
18. जोधपुर	16798	242
19. कोटा	3043	1230
20. नागौर	20623	25442
21. पाली	3061	3562
22. सवाईमाधोपुर	12186	10831
23. सीकर	2929	43883
24. सिरोही	7946	507
25. टोंक	10875	6102
26. उदयपुर	5855	809
योग	552725	262016

शुद्धि पत्र

(बुधवार दिनांक 4 नवम्बर, 1970)

क्र. सं.	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1	2		3	4
1		8	निमाए,नगर विकाा:	निर्माण, नगर विकास
,,		10	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से	7	अहत	अहाते
3	,,	15	श्री रघुनथ विश्नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
		7	अप	आप
	,,	2	वन	बात
7	,,	12	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	,,	7	आदेश	आवेश
,,	,,	3	म	में
9		16	पा	कृपा
11		18	ानवटारे	निबटारे
15		9	म	में
15		4	मेन्टनेन्स	मेन्टीनेन्स
,,		11	(दसूचो	(सूची
17	अन्तिम से	12	चार्चज	चार्जेज
19		10	इलोगेशन है	एलीगेशन हैं
22	अन्तिम से	10	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
,,		7	श्री खेतीहं	श्री खेत सिंह
24		2	इन्स्योरेन्स	इन्श्योरेन्स
27		11	की	को
28		2	खरने	रखने
29		8	तफा	दफा
,,		12	हफ्ताह	सप्ताह
,,		15	की	को
31	अन्तिम से	6	उपाघ्सक्ष	उपाध्यक्ष
33	,,	7	श्री भरोंसिह	श्री भैंरोंसिंह
34	अन्तिम से	6	जा	जो
38	,,	12	श्री अमीनुद्दीन अहृद	श्री अमीनुद्दीन अहमद
,,	,,	7	रिपार्ट	रिपोर्ट
39		6	चाहय	चाहिये
41	अन्तिम से	4	श्री भेरांसिह	श्री भैंरोंसिंह
43	,,	5	नादतो	नादोती
47		2	मोत्तिल	मोअत्तिल
48		1	सही कि	सही है कि

1	2	3	4
,,	अन्तिम से	12 15, 13 रुपये	15,513
55	,,	12 का	के
60		13 विास	विकास
62		8 24. रामकुमार नन्दवाना	श्री रामकुमार नन्दवाना
65	अन्तिम से	13 सामान्यता	सामान्यतया
,,	,,	8 म	में
66	,,	14 सही कि	सही है कि
94	,,	3 मुख्तयार	अखत्यार
95	,,	3 कैसी	करती है
96		6 सनस्य	सदस्य
97	अन्तिम से	12 इम्पोर्टटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
99		5 श्री दवीदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
,,		13 होगा	होगा।
103	शीर्षक	अध्यक्षीय व्यवस्था पर	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
104		1 देन	देना
105 से 112	शीर्षक	-2 अपल	-4 नवम्बर
106		5 म	में
108	अन्तिम से	4 उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
124		16 फायद	फायदा
125	शीर्ष	(श्री गंगासहाथ)	(श्री गंगासहाय)
129		14 व्ययस्था	व्यवस्था
,,		1 अनके	उसके
130		11 मुझें मौका न मिले	मुझे न मिले
131	अन्तिम से	8 मं ा वायस	मेगा वाट्स
136		11 रिपार्टमेंट	डिपार्टमेन्ट
141	अन्तिम से	8 भय	भेंट
,,	,,	6 कुनजा	कुबजा
142	,,	12 2 से 2.10	——
144		17 गपबाजी	अपव्राजी
146		8 परचैस	परचैज
149		3 दें	है
153		5 पेलेन्टी	पेनल्टी
157		17 इनमें	इनके
158		10 इन्डस्ट्री	इन्डस्ट्री
162	अन्तिम	नहर	नहीं
170	,,	11 जिये	लिये
171	,,	15 गहा	कहा
185		10 हुआ	हुआ
196		1 ।थ	साथ

1	2	3	4
197	13	बड़ा	बढ़ा
208	3	ओप	और
211	1	श्री रामप्रसाद लड्हा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
232	10	श्री कृष्ण कुमार गीयल	श्री कृष्ण कुमार गोयल
,,	अन्तिम से 11 व 7	सक्सीडाइब	सब्सीडाइज
,,	,, 7	सैट.	सेंट
267	2	यंचेवा	पंचेवा
273	17	Bhoda	Hoda
,,	अन्तिम से 8	Mangaewar	Mangalwar
274	, 2	ompleted	completed